लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]

Second Session

[खंड VII में अंक 41 से 50 तक हैं]
[Vol. VII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का शुद्धि संस्करण

शुक्रवार 21 जुलाई, 1967 । श्रावण 30, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
6121	नीचे से पंक्ति 7 के अन्त में (Placed in Library. See No. LT-1151/67) शब्द भी पढ़िये ।
6124	नीचे से पंक्ति 15 के प्रारम्भ में `श्री प्र.चं. गौड़ ' पढ़िये ।
6152	अन्तिम पंक्ति में `1175 । 67 ' के स्थान पर `1135।67 ' पढ़िये ।
6156	पंक्ति 19 में `इस्पात , खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र.चं. सेठी ) ' के स्थान पर `इस्पात , खान तथा धातु मंत्री (ला.चन्ना रेड्डी) ' पढ़िये ।
6197-98	प्रश्न संख्या 6402 तथा उसके उत्तर के अंग्रेजी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित हिन्दी रूपान्तर पढ़िये :

`दिल्ली के निकट बल्लभगढ़ में निर्माण करने वाले कारखाने

6402 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या औद्योगिक विकास तथा सलाह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तथा अमरीकी व्यापारियों के सहयोग से दिल्ली के निकट बल्लभगढ़ में भारत की बढ़ती हुई औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्लास्टिक खिलौने बनाने के नये कारखाने स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हाँ , तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
	औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, हाँ। पावर रिलेओं, कन्टेक्टरों, स्टार - डेल्टा - डायरेक्ट - ऑन - लाइन स्टार्टरों, लिमिट स्विचों, पुश बटनों तथा मास्टर स्टेशनों और थर्मोस्टेटों का निर्माण करने के लिये फरीदाबाद में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स कट्लर हैमर इण्डिया लिमिटेड कलकत्ता को 26 फरवरी, 1966 को एक लाइसेंस दिया गया था। सरकार ने इस फर्म को अमरीका के मैसर्स कट्लर हैम्मर इंक के साथ सहयोग की शर्तों का भी अनुमोदन कर दिया है।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 45 शुक्रवार, 21 जुलाई, 1967 / 30 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 46 Friday, July 21, 1967 / Asadha 30, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. सं./S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1291	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गन्धक का आयात	Import of Sulphur through S. T. C. ...	6119–6123
1292	निर्यातकों को पुरस्कार	Awards to Exporters	6123–6127
1293	भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant	6127–6130
1294	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन	Agitation by All India Railwayman's Federation ...	6130–6134
1299	ट्रावनकोर टाईटेनियम प्राड्क्ट्स लिमिटेड	Travancore Titanium Products, Ltd ...	6134–6136
1302	अखबारी कागज में आत्म-निर्भरता	Self-Sufficiency in Newsprint	6136–6137

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:

ता.प्र.सं. / S. Q. Nos.			
1296	शल्य-क्रिया के उपकरण	Surgical Instruments	6137–6138
1297	राज्य व्यापार निगम द्वारा हैवी सोडा ऐश का आयात	Import of Heavy Soda Ash by S. T. C. ..	6138

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता प्र. संख्या/ S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
1298	दक्षिण पूर्व रेलवे मे रेलवे यार्ड का विस्तार	Expansion of Railway yards on S. E. Railway	6138
1300	रुपये में लेनदेन के आधार पर व्यापार सम्बन्धी करार	Trade Agreements againts Rupee Clerance Accounts	6139
1301	पिछड़े क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Inudustries in Backward Areas	6139
1303	कोयला उद्योग में मन्दी	Depression in Coal Industry	6140
1304	भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच व्यापार	Indo-UAR Trade	6140–6141
1305	घरेलू गैस के सिलेंडरों का निर्माण	Manufacture of Domestic Gas Cylinders ..	6141–6142
1306	व्यापारिक मोटर गाड़ियों के मूल्य	Price of Commercial Vehicles	6142
1307	हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	6142–6143
1308	कलकत्ता पत्तन पर लाइसेंस मेंजरसं	Licensed Measurers at Calcutta Port ...	6143
1309	माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा बिजली के कम्प्यूटरों का क्रय	Purchase of Electronic computers by the M. & A. M. C.	6143–6144
1310	दिल्ली के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को हटाना	Shifting of Industries from crowded Areas of Delhi	6144–6145
1311	खान के मुहानों पर जमा कोयला	Coal stocks at Pit Heads	6145

ता.प्र.संख्या/ S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1312 पट्टा दिलाया जाना	Lease of Mines in Orissa	6145–6146
1313 रेलगाड़ियों को डीजल से चलाने का कार्यक्रम	Dieselisation Programme	6146–6147
1314 नारियल जटा बोर्ड	Coir Board	6147
1315 वाणिज्यिक मोटरगाडियों के मूल्य	Price of Commercial Vehicles	6147–6148
1316 मध्य प्रदेश में रेलवे सुविधायें	Railway Facilities in Madhya Pradesh ..	6148
1317 राज्य व्यापार निगम के पास सोयाबीन के तेल का स्टाक	Stocks of Soya-Ben Oil with S. T. C. ..	6148–6149
1318 बिड़ला की फर्में	Birla Concerns	6149
1319 छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cars	6149–6150
1320 सेलम इस्पात परियोजना	Salem Steel Project	6150
अतारांकित प्रश्न सं./U.S.Q.Nos.		
6317 महेन्द्रू घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) में सीमेंट की बोरियों का पकड़ा जाना	Seizure of Bags of Cement at Mahendru Ghat (N. E. Rly)	6150–6151
6318 गुजरात के लिये स्टेनलैस स्टील का नियतन	Allotment of Stainless Steel to Gujrat ...	6151
6319 गुजरात का खनिज सर्वेक्षण	Mineral Survey of Gujarat	6151–6152
6320 गुजरात में नमक का उत्पादन	Production of Salt in Gujarat	6152
6321 गोआ से लोहा तथा मैंगनीज अयस्क के परिवहन पर माड़े से आय	Freight Income from Transport of Iron and Manganese ore from Goa	6152–6153

प्रश्नों के लिखित उत्तर— जारी)//WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

6322	माल भाड़े तथा यात्री किराये से आय	Income on Account of Goods and Passengers Fares	6153
6323	कृषि कार्यों के लिये मशीनों का निर्माण	Manufacture of Machineries for Agricul tural purpose	6153–54
6324	मध्य प्रदेश में शक्ति चालित करघा उद्योग	Powerloom Industry in Madhya Pradesh	6154
6325	गुजरात में दस्तकारी उद्योग का विकास	Development of Handicrafts Industries in Gujarat ...	6154–6155
6326	लघु उद्योग	Small Scale Industries	6155–6156
6327	रत्नगिरि में एल्यूमिनियम का कारखाना	Aluminium Project in Ratnagiri ...	6156–6157
6328	हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	6157
6329	कुडा तथा निमाकनगर (पश्चिम रेलवे) के बीच रेलवे फाटक	Level Crossing between Kuda and Nimaknagar (W. Rly)	6158
6330	लिटिल रन की कृषि औद्योगिक क्षमता	Agro Industrial Potential of Little Rann ...	6158
6332	रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases on Railways ..	6158–6159
6333	रेलवे कुलियों के लिये भविष्य निधि योजना	Provident Fund Scheme for Railway Porters	6159–6160
6334	जामननगर – जोडिया–पोपलिया-शापुर-सुसवाव हलवद रेल सम्पर्क	Jamnagar–Jodiya–Piplia Shapur Susvav–Halvad Railway Link	6160–6161
6335	झुण्ड धरंगधरा रेलवे लाइन	Jhund–Dhrangadhra Rail Link	6161
6336	अहमदाबाद में सूती कपड़े की मिलें	Cotton Textile Mills at Ahmedabad... ...	6161–6162

प्रश्नों के लिखित उत्तर – (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

6337	शाहीबाग समपार (पश्चिम रेलवे) में हाल्टिंग स्टेशन	Halting Station at Shahibag Crossing (W. Rly.)	6162
6338	गिरधर नगर तथा असारवा में रेलवे समपार	Level Crossings at Girdharnagar and Asarwa	6163
6339	कालोल स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर प्लेटफार्मों पर शेड	Sheds over Platforms at Kalol (W. Rly) ...	6163–6164
6340	पूर्व रेलवे के शिवनारायण पुर स्टेशन पर गाडियों का रुकना	Stopping of trains at Shivanarayanpur Station on Eastern Railway	6164
6341	पूर्व रेलवे में रेलगाड़ियों का एकचारी हाल्ट पर रुकना	Stopping of Trains at Ekchari Halt in E. Rly.	6164–6165
6343	बेलाडिल्ला (मध्य प्रदेश) से जापान को भेजा गया लोह अयस्क	Iron ore sent to Japan from Bailadilla (M P.)	6165
6344	बस्तर जिले में खनिजों तथा तेल का सर्वेक्षण	Survey of Minerals and oil in Bastar District	6165–6166
6345	टेलीफोन उपकरणों का निर्यात	Export of Telephone Apparatus	6166
6346	भारत में अभ्रक उद्योग	Mica Industry in India	6166–6167
6347	सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात	Export of Ready-made Garments	6167
6348	इलायची उद्योग	Cardamom Industry	6167
6349	छतरियों का निर्यात	Export of Umbrellas	6168
6350	महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना	Setting-up of Industries in Maharashtra	6168–6169

6351	महाराष्ट्र में कागज बनाने का कारखाना	Paper Factory in Maharashtra	6169
6352	ग्रांड ट्रंक रोड तथा राष्ट्रीय राजपथों पर रेलवे के समगार तथा पुल	Railway Crossing and Bridges on G. T. Road and National Highways	6169–6170
6353	मध्य प्रदेश में हथकरघा तथा विद्युत करघा वस्तुओं का उत्पादन	Manufacture of Handloom and Powerloom products in Madhya Pradesh	6170
6354	लम्ब्रेटा स्कूटरों की बिक्री	Sale of Lambretta Scooters	6171
6355	स्कूटरों तथा मोटर साईकिलों की किस्म	Quality of Scooters and Motor Cycles	6171–6172
6356	कोयला नियंत्रक (मुख्यालय कार्यालय) कर्मचारी संस्था, कलकत्ता	Coal Controllers (Hrs. Office) Employees Association, Calcutta	6172
6357	कोयला नियंत्रक का प्रधान कार्यालय संगठन	Head quarters organisation of the coal controller ... —	6172–6173
6358	रेलवे समितियां बनाने के लिए कमेटी	Criteria for Constituting Railway Committee	6173–6174
6359	विकासशील देशों में व्यापार सम्बन्धी एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग सम्मेलन	ECAFE Meet on Trade in Developing countries	6174
6360	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा तारों (केबलों) का आयात	Import of Cables by H. C. L.	6174
6361	खानों पर सरकारी स्वामित्व	State Ownership of Mines	6174–6175
6362	यूगोस्लाविया के ट्रैक्टरों का आयात	Import of Yugoslav Tractors ...	6175

तारा. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :		
6363 जसवंत नगर स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Darailment at Jaswant Nagar Station ...	6175–6176
6364 हाजीपुर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर दुर्घटना	Accident at Hajipur Station (N. E. Rly)	6176
6365 अप्रैल, 1967 में मंसूरी दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी तथा ट्रक के बीच टक्कर	Collision of Mussorie-Delhi Express Train with a Truck in April, 1967 ...	6176
6366 सिम्भूली रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल	Over-Bridge at Simbheoli Station	6177
6367 पांशाकुड़ा रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) से पान का बुक किया जाना	Booking of Betel Leaves from Panskura Station (S. E. Railway)	6177–6178
6368 334 डाउन फरक्का सवारी गाड़ी (पूर्व रेलवे) में डकैती	Robbery in 334 Down Farakka Passenger Train (E. Railway) ..	6178
6369 उत्तर रेलवे में जनता एक्सप्रेस गाड़ी में आभूषणों का लूटा जाना	Looting of Ornaments in Janta Express Train on the N.Railway ..	6178
6370 विदेशों में रेलगाड़ियों के तेज गति से चलने की व्यवस्था का अध्ययन	Study of System of Quick Movement of Trains Abroad	6179
6371 संश्लिष्ट पत्थरों का निर्यात	Export of Synthetic Stones	6179–6180
6372 अफ्रीका के नवस्वतन्त्र देशों के साथ व्यापार	Trade with Newly Liberated countries in Africa	6180
6373 चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स	Chittaranjan Locomotive works	6180

6374	बम्बई में लम्बी रेल यात्रा के टिकटों की अनधिकृत बिक्री	Unauthorised Sale of long journey Railway tickets at Bombay	6181
6375	1966–67 में लोहे और इस्पात का उत्पादन	Iron and Steel produced during 1966–67	6181–6182
6376	जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय, जमालपुर	Jagjiwan Ram Shramik Mahavidyalaya, Jamalpur –	6182–6183
6377	रिपब्लिक फोर्ज	Republic Forge ...	6183–6184
6378	इंडियन बैल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज (प्राइवेट) लिमिटेड, सेरामपुर	Indian Belting and Cold Stroage (p) Ltd., Serampore	6184-6185
6379	डंकन स्टार्टन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	Duncan Startton and Co.Ltd., ...	6185
6380	सफदर जंग हवाई अड्डे के समीप के फाटक पर ऊपरी पुल	Over bridge at crissing near safdarjung Air port ..	6185-6186
6381	रेत की बिक्री पर रायल्टी (स्वामित्व)	Royalty on the sale of sand – ...	6186
6382	बिहार में सीप से बटन बनाना	Manufacture of buttons from conchn shells in Bihar	6186
6383	सीप से बटनों का निर्माण	Manufacture of Buttons from coach shells ...	6187
6374	राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद्	National Productivity Council	6187
6385	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाइसेंस प्राप्त कुलियों की हड़ताल	Strike by licensed Porters at New Delhi Railway Station ...	618761–88
6386	दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन पर खजाने से चोरी	Theft in Treasury at Delhi Main Railway Station ...	6188-6189

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS -Contd.

6387	मूल उद्योगों में उत्पादन	Production in Key Indutries	6189–6190
6388	वस्तुओं के लाने ले जाने के भाड़े की दरों में कमी	Reduction in Freights of Goods	6190
6389	जेनेवा में कैनेडी राउन्ड व्यापार वार्ता	Kennedy Round Trade Talks in Geneva	6190
6390	रेलवे में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	Stenographers on Railway	6191
6391	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मशीनों के पुर्जों का गुम हो जाना	Loss of Machinery Parts in Durgapur Steel Plant	6192
6392	चमड़े के माल का निर्यात	Export of Leather Goods	6192–6193
6393	रेलगाड़ी द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाना	Movment of Water by Rail to Scarcity Areas	6193
6394	रुपये में लेन देन के आधार पर व्यापार सम्बन्धी करार	Trade Agreement against Rupee Clerance Accounts	6193–6194
6395	मध्य प्रदेश में आपरेशन हार्ड रॉक का कार्यक्रम	Programme of Operation Hard Rock in Madhya Pradesh	6194
6396	होसपेट क्षेत्र (मैसूर) में लौह अयस्क	Iron Ore in Hospet Area (Mysore)	6194–6195
6397	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals (P) Ltd.	6195–6196
6398	आयात सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	Violation of Import Regulations	6196
6399	उत्तर प्रदेश के लिये औद्योगिक लाइसैंस	Industrial Licences for U. P.	6196–6197

6400	पूर्वोत्तर रेलवे में स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था करना	Electrification of Station on N. E. Railway	6197
6401	पूर्वोत्तर रेलवे में निम्न राजपत्रित सेवा के पद	Posts in Lower Gazetted Service in N. E. Railway	6197
6402	दिल्ली के निकट बलछागढ़ में निर्माण करने वाले कारखाने	Manufacturing Plant at Balchhagarh near Delhi	6197-6198
6403	भारतीय रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियेशन और उसके कर्मचारी संघ के बीच समझौता	Agreement between I. R. C A. and its Employees, Union	6198
6404	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड	All India Handicrafts Board	6198-6199
6405	किराया-खरीद के आधार पर केरल को मशीनों की सप्लाई	Supply of Machines on Hire Purchase to Kerala	6199
6406	कोयले के आसवन उत्पाद निकालने का संयन्त्र	Plants for recovery of distillation products of coal	6199-6200
6407	बिहार में एम. ओ पी. बटन उद्योग	M. O. P. Button Industry in Bihar	6200
6408	निर्यात-आयात बैंक	Export-Import Bank	6200-6201
6409	कांगड़ा तथा देहरादून के चाय बागानों के कालिकों के अध्ययन दौर	Study tours by Kangra & Dehra Dun Tea Planters	6201
9410	चाय के लिये जापानी मशीनरी	Japanese Machinery for Tea	6201-6202

6411	टायर बनाने हेतु रबड़ के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Rubber for Manufacture of Tyres	6202
6412	जोरहाट रेलवे स्टेशन पर पुलिस की ज्यादतियां	Police Excesses at Jorhat Railway Station	6202–6203
6413	टायरों तथा ट्यूबों का निर्यात	Export of Tyres and Tubes	6203
6414	नायलोन के धागे का आयात	Import of Nylon Yarn	6203–6204
6415	पाकिस्तान के साथ पटसन का व्यापार पुनरारम्भ करना	Resumption of Jute Trade with Pakistan	6204
6416	फर्रुखाबाद जाने वाली यात्री गाड़ी की टक्कर	Collision of Kanpur Passenger	6204–6205
6417	राज्यों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना	Setting up of Industrial Estates in States	6205
6418	स्पेन में अन्तर्राष्ट्रीय मेला	International Fair in Spain	6205–6206
6419	लखनऊ स्टेशन से लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी का देरी से चलना	Late Departure of Lucknow Express from Lucknow Station	6206
6420	राजस्थान में सिमेंट का कारखाना	Cement Factory in Rajasthan ...	6206
6421	विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड	Foreign Investment Board	6207
6422	वैल्डिंग इलेक्ट्रोड उद्योग	Welding Electrode Industry	6207–6208
6423	पश्चिम बंगाल में पटसन के माल का व्यापार में संकट	Crisis in Jute Goods Market in West Bengal	6208
6424	पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेल्वे में रेल सेवाओं का अस्त व्यस्त हो जाना	Dislocation of Train Service on the Eastern and South Eastern Railways	6208

6425	औषधि निर्माण करने वाली कम्पनियां	Pharmaceutical Concerns	6208-6209
6426	पठानकोट स्टेशन पर आस्ट्रेलियाई महिला पर्यटकों के साथ अशिष्ट व्यवहार	Discourtesty shown to Australian Women Tourists at Pathankhot Station ...	6209-6210
6428	स्टेनलेस स्टील के आयात के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licence for the Import of stainless Steel	6210
6429	माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन	Mining and Allied Machinery Corporation	6211
6430	माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन	Mining and Allied Machinery Corporation	6212
6431	मद्रास में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग प्रदर्शनी	Indian International Trade and Industries Fair, Madras	6212-6213
6433	पाकिस्तानी नागरिकों की सम्पत्तियों का अर्जन	Acquisition ef Properties of Pak. Citizens	6213
6434	मैसर्स कपाडिया एण्ड बारिया और टोपलिस एण्ड हार्डिंग (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई द्वारा मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन	Valuation Reports from Messrs Kapadia and Baria and Toplls and Harding (Pvt) Ltd. of Bom bay	6213-6214
6435	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड	All India Handicrafts Board	6214
6436	गुंटाकल स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर रेलवे रेस्तरां	Railway Restaurant at Guntakal Station (S. Rly)	6214-6215

प्रश्न सं./U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.-Contd		
6437 निर्यात	Exports	6215
6438 लोहे और इस्पात का नियतन तथा इस्पात निर्यात सम्बर्द्धन	Allocation of Iron and Steel and Steel Export Promotion	6215-6216
6439 केरल में नारियल जटा का माल बनाने वाले कारखानें	Coir Factories in Kerala ...	6216
6440 आसाम में अखबारी कागज बनाने का कारखाना	Newsprint Factory in Assam	6216-6217
6441 लक्ष्मीरतन काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर	Luxmi Rattan Cotton Mills, Ltd, Kanpur	6217
6442 कोयला नियन्त्रक के कार्यालय में वरिष्ठता निर्धारण	Fixation of Seniority in Coal Controller's Office	6217-6218
6444 अलौह धातु उद्योग	Non-ferrous Metal Industry	6218-6219
6445 पुरी-तालचेर यात्री गाड़ी से मेल कराने वाली हावड़ा-कटक रेल गाड़ी	Train from Howrah to Cuttack connecting Puri-Talchar Passenger train	6219
6446 बिना टिकिट यात्रा	Ticketless Travelling	6219-6220
6447 मध्य प्रदेश में डीजल रेल इंजन	Diesel Locomotives operating in Madhya Pradesh	6220
6448 सरकारी उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारी	I. A. S./I. C. S. Officers in Public Undertakings	6220
6449 शाहदरा दिल्ली के बीच रेलगाड़ियां	Trains between Shahdara and Delhi ...	6220-6221

अता. प्र. संख्या / U. S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
6450	निर्यात Exports	6221–6222
6451	अभ्रक का निर्यात Export of Mica	6222
6452	समवाय कार्य विभाग के अनुसन्धान तथा सांख्यकी प्रभाग द्वारा गैरसरकारी समवायों के बारे में अध्ययन Department of company Affairs Research and Statistics Divisions study of Private Companies	6223
6453	आमों का निर्यात Export of Mangoes	6223–6224
6454	विदेशी कम्पनियों में भारतीय Indians in Foreign Companies	6224
6455	राजस्थान में करौली क्षेत्र की खानों से निकलने वाले पत्थर की मांग Demand for stone from quarries of Karauli area in Rajasthan	6225
6456	बनास नदी (पश्चिम रेलवे) पर पुल Bridge over Banas River (W.Rly)	6225
6457	बोकारो कारखाने के सिविल निर्माण कार्यों के ठेके Contracts for Bokaro Civil Works	6225–6226
6458	मोटरकारों का गुण प्रकार Quality of Passenger Cars	6226
6459	भिलाई इस्पात कारखाना के उत्पादन में कमी Fall in the out-put of Bhilai Steel Plant	6226–6227
6461	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का चापुरमुख–सिलघाट सेक्शन Chaparmukh-Silghat Section of North-East Frontier Railway – ...	6227–6228
6462	चाय का निर्यात Export of Tea	6228
6463	अलवाय स्टेशन के लाइसेंस प्राप्त कुलियों द्वारा ज्ञापन Mem randum by licensed porters at Alwaye Station	6228

6464	केरल में सीमेंट विक्रेता मण्डल त्रिचूर	Kerala Chamber of cement stockists Trichur	6229
6465	कोचीन तेल शोधक कारखाने के रेलवे लाइन के कर्मचारी	Workers of Cochin Oil Refinery Railway Line	6229
6466	कल्लूर में मार्शलिंग यार्ड	Marshalling Yard, Kallur	6229-6230
6467	केरल में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Kerala ...	6230
6468	साहेबपुर कमाल स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर गुंडागर्दी	Hooliganism at Sahebpur Kamal Station (N. E.Rly)	6230-6231
6469	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	Exports of Textiles to U. K.	6231-6232
6470	सिगरेटों का निर्माण और निर्यात	Manufacture and Export of Cigarettes ...	6232
6471	आसनसोल में रेलवे कर्मचारी के शव का जलाया जाना	Burning of Dead Body of a Railway Employee in Asansol...	6232-6233
6472	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल की यूनिफार्म निःशुल्क देना	Free Supply of Uniforms to Children of Railway Employees	6233
6473	राज्यों को लोहे तथा इस्पात के उत्पादकों का नियतन	Allocation of Iron and Steel Products to States	6233-6234
6474	विदेशी कारों का आयात	Import of Foreign Cars	6234
6475	ब्रजघाट (उत्तर रेलवे) में लगने वाले मेलों में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिये विशेष रेल-गाड़ियां चलाना	Running of special trains for pilgrims attending the fair held at Brajghat (N. Rly.)	6234-6235

6477	क्यूबा के साथ व्यापार	Trade with Quba	6235
6478	मांट्रियल मेला	Montreal Fair	6235-6236
6479	दक्षिण पूर्व रेलवे में दूर संचार संवर्ग का वायरलैस विंग	Wireless Wing of Telecommunication Cadre on S. E. Railway	6236–6237
6480	उत्तर प्रदेश में कच्चे माल की कमी के कारण कारखानों का बन्द होना	Closure of factories in U. P. for want of Raw Materials	6237
6481	मैसूर तथा मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखाने	Cement factories in Mysore and M. P. ...	6237–6238
6482	रेलवे में चार्जमैनों के लिये प्रोत्साहन बोनस	Incentive Bonus to Chargemen on Railways	6238
6483	जमशेदपुर में मिश्रित इस्पात परियोजना	Alloy Steel Project at Jamshedpur	6238-6239
6484	इंजीनियरी के सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods	6239
6485	राज्य व्यापार निगम को देय व्यापार कमीशन	Trade Commission Payable to S. T. C. .. —	6239-6240
6486	रेफ्रीजेरेटरों का निर्माण	Manufacture of Refrigerators	6240
6487	यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों में संगचल कर्मचारी	Detailing of Running Staff on the passenger Trains	6241
6488	रेलवे के संगचल कर्मचारियों को क्वार्टरों का नियतन	Allotment of quarters to Railway running staff	6241
6489	ब्रिटिश कोलम्बिया के सहयोग से भारत में स्थापित किये जाने वाले उद्योग	Industries to be set-up in India with the collaboration of British Columbia	6242

6490 मध्य प्रदेश लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Madhya Pradesh	6242-6243
6491 भिलाई इस्पात कारखाने के उपयोगार्थ मध्य प्रदेश में खरखरा तथा हसदेव परियोजनाएं	Kharkhara and Hasdeo Projects in M. P. for the use of Bhilai Steel Project	6243-6244
6492 फ्लैक्स का आयात	Import of flax	6244-6245
6493 केरल में विशेष धातु मिश्रित इस्पात कारखाने	Special Alloy Steel Plants in Kerala	6245
सभा में बोलने के लिये सदस्यों का चयन करने के बारे में प्रक्रिया	Procedure Regarding Selection of Speakers	6245–6247
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants.	6247–6258
औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय-जारी	Ministry of Industrial Development and Company Affairs	6247
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	6247
श्री जनार्दनन	Shri C. Janardhanan	6249
श्री ज. अहमद	Shri J. Ahmed	6251
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	6252
श्री कार्तिक ओरओं	Shri Kartik Oraon	6253
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	Shri Y. S. Kushwah ...	6254
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	6254
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bill and Resolutions	6258
नौवां प्रतिवेदन	Ninth Report	6258
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	6258
(1) गंगा घाटी निगम विधेयक, 1967 श्री महाराज सिंह भारती का	(1) The Ganaga Valley Corporation Bill, 1967 by Shri Maharaj Singh Bharti ...	6258

तारांकित प्र. संख्या. /U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
(2) संविधान (संशोधन विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 93 का संशोधन) श्री नाथ पाई का	(2) The Constitution (Amendment) Bill 1967 ... .. (Amendment of article 93) by Shri Nath Pai	6253
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 16 का संशोधन) श्री शिव चन्द्र झा का	(3) The Constitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of article 16) by Shri Shiva Chandra Jha	6259
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 3,6 आदि का संशोधन) श्री पन्नालाल बारुपाल का	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill 1967 (Amendment of Sections 3, 6 etc,) by Shri P. L. Barupal	6260
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	Motion to Introduce—Negatived	6261
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	
(अनुच्छेद 398 का संशोधन) श्री नाथ पाई का	(Amendment of article 368) by Shri Nath Pai	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee ...	6261
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon ...	6261
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	6263
श्री न. कु सालवे	Shri N. K. P. Salve	6263
श्री श्री अ. डांगे	Shri S. A. Dange	6264
श्री कुन्दू	Shri S. Kundu	6266
श्री गनेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	6267
दुर्गापुरा इस्पात सयन्त्र के बारे में पांडे समिति के प्रतिवेदन के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Panda Committee on Durgapur Steel Plant	6267
श्री मधुलिमये	Shri Madhu Limaye	6267
डा. चन्ना रेड्डी	Dr. Chenna Reddy	6269

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 21 जुलाई, 1967/ 30 आषाढ़, 1889 (शक)
Friday, July 21, 1967/*Asadha* 30, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रंधक का आयात

+

*1291. **श्री मधु लिमये :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या वाणिज्य मन्त्री 7 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 324 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी फर्म को कोई अर्थदण्ड दिया गया था जिसका वचन भूतपूर्व वाणिज्य मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने 21 नवम्बर, 1966 को लोक सभा में दिये गये अपने वक्तव्य में दिया था ;

(ख) क्या बड़े ठेके देने से पहले उन विदेशी फर्मों के, जिनके साथ करारों पर हस्ताक्षर करने का विचार हो, पूर्व-इतिहास और स्थिति की जांच करने की शर्त अनिवार्य करने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या यह पद्धति सरकार के अधीन विभागों और सरकारी उपक्रमों, दोनों पर लागू होगी ;

(घ) क्या सरकार का विचार करारों के साथ साथ पूर्व इतिहास सम्बन्धी रिपोर्टों को प्रकाशित करने का है ;

(ङ) क्या अमरीकी फर्म से वसूल की गई 75,000 रुपये की राशि में इस कार्य के लिये सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा विदेश यात्रा पर किये गये सभी व्यय, साख-पत्र पर व्यय तथा विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने से हुई हानि शामिल है ; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (ङ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो पूर्ण हानि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) बातचीत के परिणामस्वरूप एक समझौता हो गया है जिसके अनुसार वह फर्म राज्य व्यापार निगम के दावों के निपटारे के लिये 75,000 रुपये देने के लिये सहमत हो गयी है ।

(ख) तथा (ग) यह क्रिया विधि पहले ही लागू हैं ।

(घ) करार के साथ पूर्व-इतिहास सम्बन्धी रिपोर्टों को प्रकाशित करना उचित नहीं होगा क्योंकि बैंकों तथा अन्य संस्थाओं आदि द्वारा दी गई पूर्व इतिहास सम्बन्धी रिपोर्टें गोपनीय होती हैं ।

(ङ) 75,000 रु० की राशि से निगम द्वारा करार के सम्बन्ध में किया गया सारा खर्च बिल्कुल पूरा हो जाता है । निगम के किसी भी प्रतिनिधि ने विशेषतः उक्त करार के सम्बन्ध में विदेश यात्रा नहीं की । एक अधिकारी को, जो किसी और काम से अमेरिका गया हुआ था, इस करार के अन्तर्गत आयात के पूरे होने की सम्भावना की जांच करने का कार्य सौंपा गया था । साख पत्रों पर कोई निबल व्यय नहीं हुआ ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye : In answer to the question as to whether any enquiry is made about the antecedents and background of the parties with whom any agreement is entered into, the hon. Minister has said :

"This procedure is already in vogue."

Mr. Syal Singh had this to say in his telex message about this contract with Ovalin for the supply of sulphur and I have also placed. This message on the table of the House :-

"I shall come to the inevitable conclusion that Ovalin has entered into a contract with us just for speculative purposes of their own."

In the light of this telex I want to know from the hon. Minister as to whether enquiries from banks were made or information from any American company the name of one of them is Don Brad Street or from our Embassy was sought before entering this contract with this company about its soundness to execute such a big contract ?

Shri Dinesh Singh : We had asked our embassy there to make enquiries from the company referred to by the hon. Member before signing this contract. The representative of the S. T. C. who resides there in connection with some other work of S. T. C. was also asked to look into the prospects of imports materialising under this deal. Before the receipt of his report, the Ovalin Company representatives came here and gave us every kind of assurance. This was a promotional contract of S. T. C. There is shortage of sulphur every where at that time and we needed it badly. There fore we wanted to secure whatever was available. We were hopeful of getting sulphur from that quarter. We tried out utmost and also in great hurry.

I agree with the hon. Member that we should have waited for the full report and studied it. As the report had not been received we included such clauses in the agreement by which S. T. C. did not suffer any loss in money. In the statement laid on the table I have stated that the firm has agreed to pay a sum of Rs. 75000 for the settlement of the claims of the S. T. C. They have already paid 10 percent of the above sum and the rest will also be sent to us.

The qustion is whether we have incurred any loss or not. So far as any study of the relevant papers goes, it seems that we have not incurred any loss. According to the estimates of the people we have not incurred an expenditure of more than Rs. 10,000 in all, and we are getting Rs 75.00. This also includes the element of compensation. Our lawyer advised us not to go in for legal action. There is not intention on our part to hide anything from the hon. Members. If there has been any serious lapse, it should be thoroughly gone in to and I am ready for firm action. If you, Sir, think it proper you suggest the names of 4-5 member. They can have a meeting with me in an informal manner and can see those papers and satisfy themselves whether the action that we are taking is right or wrong,

Shri Madhu Limaye : This is not something between us and the hon. Minister His suggestion is welcome. A committee of five members may duly be constituted.

Shri Dinesh Singh : We should sit informally and if any lapse is detected, certainly we shall adopt the appropriate procedure.

Shri Madhu Limaye : We should think in terms of constituting a committee. I am placing the Don Brad Street report, duly authenticated by me, on the table with your permission so that the House may know that this contract can not be signed on the basis of such a report.

When the State Trading Corporation decided to import this sulphur through its own agency-may be in the end of August or in the beginning of September last year were the prices of sulphur not between 40 to 45 dollar per ton ? But when the S. T. C. took it over, it was contracted to supply it at the rate of dollar 55 per ton.

Shri Dinesh Singh : According to my information this was the best offer we had received. Several Committees had gone into it.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether before the signing of this contract by the S. T. C. sulphur was being imported into this country at the rate of 40-45 dollar per ton ?

Shri Dinesh Singh : We are not concerned about the old rates. The consideration which really matters is what were the new sale prices at that time and at what prices we could import it from outside.

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के लम्बे वक्तव्य से भी मेरी तसल्ली नहीं हुई कि इस करार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है । भूतपूर्व मन्त्री श्री मनुभाई शाह तथा इस फर्म की जो आलोचना की गई थी, उसको दृष्टि में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय इस मामले की एक संसदीय समिति द्वारा जांच के लिए तैयार हो जायेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने कह दिया है । अब तो यह सभा ही इस बारे में निर्णय कर सकती है । प्रारम्भ में ही संसदीय समिति नियुक्त करने से एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पर जो अच्छा काम कर रहा बुरा असर पड़ेगा । इस लिये मेरा सुझाव है कि कुछ माननीय सदस्य मेरे साथ बैठ कर जांच करें और यदि कोई गलती मिले, तो आगे की कार्यवाही के बारे में आप निर्णय कर सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : इसे लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाए ।

श्री रंगा ; आपको ऐसे विवादास्पद मामले को लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सौंपने का अधिकार है ।

Shri George Fernandes : The export-import policy of the Government is quite strange. Order for import of sulphur is placed with a firm which actually manufactures ladies shoes and licences for the import of steel are issued to film heroes. The hon. Minister has said in his reply that they had incurred an expenditure of Rs. 10,000 in this case and got Rs, 75,000 in return and on the whole no loss was suffered. I think we have received this extra sum of Rs. 65;000 in dollars. Then why do they not go in for more such contracts and earn this extra money ?

Shri Dinesh Singh : I hope the S. T. C will earn money by expanding its business. I may also make it clear to the hon. Member that one third of this Amount of Rs. 75000 will be paid in dollars and the rest in rupees.

Shri S. M. Joshi : I am asking about part (d) of the question. Will Government publish a report containing the antecedents of all the firm with whom S. T. C. has entered into contracts so far ? If the antecedents provided by the banks are confidential, they may be kept out of that. Is the hon Minister prepared to agree for the constitution of a parliamentary committee before which the antecedents of the firms entering into cont. ract with S. T. C. may be placed, if such antecedents are not to be disclosed to the public ?

Shri Dinesh Singh : There are already two committees of the House-the P, A. C. and the E. C. which can go into all such matters. As I have already said, I leave it to you Sir. I shall accept your decision.

श्री दामानी : मेरी जानकारी के अनुसार ठेका समाप्त कर दिया गया था क्योंकि : यह फर्म माल सप्लाई नहीं कर सकती थी। बाद में जो सल्फर खरीदा गया था क्या वह ऊंचे दरों पर खरीदा गया था या कम दरों पर ?

श्री दिनेश सिंह : मैं बाद में खरीदी गई सल्फर का सही मूल्य नहीं बता सकता। वह मेरे पास इस समय नहीं है परन्तु मैं उन्हें बाद में यह जानकारी दे दूंगा।

Shri Abdul Gani Dar : Shri Madhu Limaye had asked why sulphur was purchased at the rate of Rs. 55 per ton when it was being sold in the country at Rs. 45 per ton.. The hon. Minister replied that when they purchased it from out side that very rate was prevailing at that time. May I know whether before placing this order abroad Government had ensured that no sulphur was available in this country and if not, why it was not ensured ? When the rate here was so low, why was it procured at higher price from abroad ? Why was this allowed ?

Shri Dinesh Singh : There is acute shortage of sulphur in our country and we import it in large quantities from out side. This year we are going to import about 6 lakh tons of sulphur from out side. There fore there is no question that it was available here at low price but we did not purchase.

निर्यातकों को पुरस्कार

\+

*1292. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यातकों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होने देने तथा उनको पुरस्कार देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) असाधारण निर्यात प्रयत्न के लिये शील्डों के रूप में सीमित संख्या में पुरस्कार देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। पुरस्कार सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिये एक समिति स्थापित की जायेगी। पुरस्कार के लिये असाधारण निर्यात निष्पादन करने वाले निर्यातकों तथा साथ ही निर्यात संवर्द्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली अन्य संस्थाओं के नामों पर विचार किया जायेगा।

Shir Yashpal Singh : Instead of giving such awards to the people, why does Government not take this export trade in to its own hands and utilise this money for promotion of exports ?

Shri Dinesh Singh : It is not a question of distribution of money. It is a sort of shield to them.

श्री स० चं० सामन्त : व्यापार बोर्ड ने सिफारिश की थी कि अच्छे निर्यातकों को राष्ट्रपति द्वारा उपयुक्त पुरस्कार दिये जाने चाहिये । क्या उस पर विचार किया गया है और क्या पुरस्कार विजेताओं को कोई वित्तीय सहायता भी दी जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने उत्तर में कहा है कि इसके लिये एक समिति बनाई जा रही है । पहले समिति बन जाने दीजिये और उसकी सिफारिशें आने दीजिये ।

श्री दामानी : निर्यात बढ़ाने के लिये यह एक अच्छा प्रोत्साहन होगा । परन्तु निर्यात बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारी वस्तुएं प्रतिस्पर्धा करने योग्य है या नहीं। हमारा निर्यात कम होता जा रहा है । क्या निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार इसके अलवा किसी अन्य उपाय के बारे में भी विचार कर ही है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं मानता हूं कि उन्होंने प्रतिस्पर्धा वाली जो बात कही है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं । परन्तु कभी कभी इस प्रकार का प्रोत्साहन भी सहायक सिद्ध होता है । निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी योजनाओं पर यहां विस्तार से चर्चा की जा चुकी है । इस बारे में छोटा सा उत्तर नहीं दे सकता ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : While giving such awards, will any consideration given to the imports being made by the recepient party ? May I also know whether this award will be given to parties exporting to hard currency areas only or to others as well ?

Shri Dinesh Singh : As yet, no award has been given, There is a proposal to give such awards in future.

मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इन परिस्थितियों में निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से केवल निर्यातकों को ही आयात लाइसेंस देने का विचार करेंगी ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके और वे निर्यात करने में होने वाले घाटे को आयात के द्वारा पूरा कर सके ।

श्री दिनेश सिंह : यह बड़ा पेचीदा प्रश्न है । मैं माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखूंगा ।

Shri Ram Charan : Just as you are chalking out a scheme to give reward to the exporters, are you also making an arrangement to impose penalty on those who supply inferior quality goods ?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member might be knowing that there is a Standards Institution and there are other ways also by which we try to maintain our standard of export goods and also try export that sub-standard goods are not exported.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या सरकार ने निर्यात संवर्द्धन योजनाओं की वित्तीय कठिनाइयों पर विचार किया है और यदि हां, तो क्या सरकार निर्यात को सीधा प्रोत्साहन देने के लिये इस धन का प्रयोग करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां । हमने वित्तीय कठिनाइयों पर विचार किया है । हमने इस बारे में वित्त मन्त्रालय से बातचीत की थी जिसने इसकी बहुत ध्यान पूर्वक छानबीन की है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : एक ओर तो सरकार का विचार प्रोत्साहन इनाम देने का है और दूसरी ओर वित्त मन्त्री ने सभी निर्यात प्रोत्साहन और कर प्रोत्साहन देने बन्द कर दिये हैं । क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि सरकार की नीति परस्पर विरोधी क्यों है, निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या ठोस उपाय करने का विचार है ? मैं केवल दो अथवा तीन महत्व-पूर्ण उपाय जानना चाहता हूं ।

श्री दिनेश सिंह : मोटे तौर पर बात यह है कि हमें आशा है कि व्यापारी लोग इस स्थिति में निर्यात करके देश की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे जिसके लिये हमें उन्हें मान्यता प्रदान करेंगे बजाय इसके कि वे केवल धन कमाने का ही प्रयास करें ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : निर्यात संवर्द्धन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : ऐसी आशा थी कि अवमूल्यन के कारण हमारा निर्यात व्यापार बढ़ेगा परन्तु अब निर्यात में कमी हो गई है । इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मन्त्री निर्यात व्यापार का प्रक्रमों में सरकारी क्षेत्र में लेने की सम्भावनाओं पर विचार करने को तैयार है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि माननीय मन्त्री ने कहा है सारे निर्यात व्यापार को प्रक्रमों में सरकारी क्षेत्र में लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इसके लिये कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है । जैसा कि सभा को मालूम है जिस का सदस्य होने का मुझे सौभाग्य मिला है उसने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की है और में उन पर ध्यान पूर्वक विचार कर रहा हूं ।

श्री हेम बरुआ : अवमूल्यन का एक मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाने का था, परन्तु दुर्भाग्य वश निर्यात में वृद्धि नहीं हो रही है । दूसरी ओर निर्यात में बहुत कमी हुई है इस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बारे में जांच कर रही है कि क्या हमारे निर्यात में इतनी कमी होने का कारण माल के गुण प्रकार खराबी होना तो नहीं है अथवा इसके कुछ और ही कारण है । क्या माननीय मन्त्री हमें इस बारे में कुछ बतायेंगे ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने इस विषय पर सभा के सदस्यों को अपने विचार साफ साफ बता दिये हैं और मैंने कहा है कि यहां तक अवमूल्यन का सम्बन्ध है यह पता ही था कि अवमूल्यन के तुरन्त पश्चात कुछ कठिनाई होगी । परन्तु हमारे माल का निर्यात बढ़ रहा है और हमें आशा है कि वह निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जायेगा । जहां तक गुण प्रकार का सम्बन्ध है मैं कह चुका हूं कि हमने निर्यात के लिये गुण प्रकार नियंत्रण व्यवस्था कर रखी है और हम उसकी जांच करते हैं ।

श्री सोना वने : हमारे निर्यात माल के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बात के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि हमारे माल के निर्यात मूल्य कम हो जाये और हमारा निर्यात बढ़े ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे खुशी होती यदि मैं इस पेचीदा प्रश्न का सरल उत्तर दे सकता ! हम अब इनाम के प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं न कि इस प्रश्न के बारे में ।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों को प्रतियोगी बनाने का सम्बन्ध है वहां पर उत्पादन लागत का प्रश्न उठता है तथा वहां पर कच्चे माल के कारण राष्ट्रीय मूल्य बढ़ने का प्रश्न तथा इस तरह के और बहुत से प्रश्न भी उठते हैं । हम इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

Shri Shiv Charan Lal : I would like to know from the hon. Minister the names of the countries with which agreements have been signed for the export of shoes manufactured at Agra which are famous not only in India but in the whole world and if it has been proved that the shoes of Agra are best in quality, what reward is proposed to be given to the manufacturers ?

Shri Dinesh Singh : We will put this suggestion before the Committee that like other commodities a shield should be given for shoes also which may bear the picture of shoes on it.

Shri Madhu Limaye : The hon. Member had asked the names of the countries to which shoes of best quality manufactured at Agra are being exported.

Shri Dinesh Singh : If I am asked to tell the names of the countries to which shoes manufactured indigenously are exported I can tell that. But how can I off hand tell the names of the countries to which shoes manufactured at Agra are exported.

Shri Prem Chand Verma : May I know whether the reward will be given on the basis of export of maximum amount earned during this year or on the basis of last year's export ?

Shri Dinesh Singh : The Committee will look into all these aspects.

Shri Molhu Prasad : All the unprofitable industries are being taken by Government under their control and all the profitable industries are being given in the hands of big capitalists. Similarly, when Government goes into liquid action then taxes are imposed on the public who earn their livelihood with the sweat of their brows. May I know what is the policy of Government in this regard.

Shri Dinesh Singh : We don't adopt that way. On the other hand a complaint was made last time that we have reserved profitable industries for us.

Shri Achal Singh : I would like to know the names of the commodities of export selected for reward.

Shri Dinesh Singh : We will take into consideration all the commodities.

श्री सु० कु० तापड़िया : सदा मुसकराते रहने वाले माननीय मन्त्री ने व्यापारियों के सम्मुख एक सुझाव रखा था जिसे वह समझौते थे कि बहुत मूल्यवान है कि यदि आवश्यकता हो, तो देश के लिये बिना मुनाफे के निर्यात करें। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे उत्पादकों के मूल्य बहुत अधिक है, सरकार कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर उन्हें कच्चा माल देने के लिये कोई प्रयास करेगी, ताकि यदि निर्माता अथवा नियर्तक बिना मुनाफे के निर्यात करना चाहें तो वे बिना घाटे के अथवा कम घाटे पर ऐसा कर सकें ? क्या माननीय मन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चा माल देंगे ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय मन्त्री को पता है कि यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर कच्चा माल देने का प्रयत्न भी करेंगे तो भी वे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर निर्यात नहीं कर सकेंगे क्योंकि फिर वे कहेंगे कि मजूरी मंहगी है, उत्पादन लागत ज्यादा है आदि। यह प्रश्न इतना सरल नहीं है, जितना बनाने का प्रयत्न किया गया है। माननीय सदस्य को पता है कि हम इस प्रश्न पर कई बार चर्चा कर चुके हैं तथा जैसे मैं इस सभा में बता चुका हूं हम निर्यात-आयात परिषद् के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हम निर्यात के मामले में उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं।

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार

+

***1293. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तार के लिए रूसी सहयोग तथा रूस से ऐसी वस्तुओं का, जिनके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, आयात करना आवश्यक होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां। ऐसा प्रस्ताव है कि चतुर्थ योजना काल में भिलाई इस्पात कारखाने का 25 लाख टन पिण्ड क्षमता से बढ़ाकर 32 लाख टन पिण्ड क्षमता तक विस्तार किया जाय।

(ख) यह विस्तार कार्य रूसी सहयोग द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। फिर भी इस प्रस्तावित विस्तार के लिए अधिक से अधिक मात्रा में देशीय उपकरण सामान और तकनीकी योग्यता का उपयोग किया जायेगा।

श्री राम कृष्ण गुप्त : विस्तार कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है तथा इसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

डा० चन्ना रेड्डी : ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विस्तार दो प्रक्रमों में होगा। पहले प्रक्रम में 2875.3 लाख रुपये, जिसमें 910.6 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा होगी, व्यय होने का अनुमान है। विभिन्न विकल्पों के सम्बन्ध में दूसरे प्रक्रम के आंकड़ों पर अभी विचार किया जा रहा है। इस लिये सही सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है। परन्तु यह

अनुमान लगाया गया है कि दूसरे प्रक्रम में लगभग 5600 लाख रुपये, जिसमें 1700 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा होगी, व्यय होंगे ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : वहां इस समय कितने रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ?

डा० चन्ना रेड्डी : जहां तक इस विशिष्ट विस्तार कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हम आशा करते हैं कि पहले प्रक्रम में लगभग 18 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी । वे भी अभी नहीं आये हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : The production in the old establishment of Ranchi, where steel machines will be manufactured, is less by 10 per cent because orders have not been placed to that establishment. May I know the reasons for which the machinery of Ranchi establishment, which is lying idle at present, has not been utilised for Bhilai Expansion Programme ?

Dr. Channa Reddy : If Ranchi establishment means Heavy Engineering Corporation then I want to submit that as regards requirements for the first phase of expansion programme, we are importing 6500 tonnes of equipment from Soviet Russia, 5700 tonnes will be taken from Ranchi. Apart from it, 6900 tonnes structurals will be taken from Heavy Engineering Corporation, Ranchi. Four thousand tonnes will also be supplied by Bhilai Steel Plant from indigenous production.

Shri Maharaj Singh Bharati : Sir, my question was why the whole machinery is not being taken from that establishment and utilised elsewhere. Can such a thing not be manufactured there. Cannot their design be prepared or whether such machines are not available, which can manufacture them ?

Dr. Chenna Reddy : We are taking all those things which are manufactured here and are importing only those things for which we are helpless.

Shri Maharaj Singh Bharati : What is the helplessness in that ?

Dr. Chenna Reddy : We cannot manufacture all the things indigenously. We are taking up all those items which we can manufacture indigenously.

Shri Madhu Limaye : By what time we will be able to manufacture them ?

श्री पीलु मोदी : वह 9 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करने जा रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रूस के साथ हमारा लेनदेन अधिकतर रुपये में होता है, यह 9 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कहां पड़ेगी ? दूसरे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस्पात के बाजार में इस्पात जमा होना शुरू हो गया है, तथा सरकार ने भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार प्रक्रमों मे करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : जहां तक 9 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का सम्बन्ध है यह उन चीजों के आयात पर व्यय की जायेगी जिनका आयात करना आवश्यक है और तकनीकी योग्यता समेत हमें उनकी आवश्यकता है ।

श्री पीलु मोदी : कहां से ?

डा० चन्ना रेड्डी : चाहे रुपया विनिमय हो या डालर विनिमय यह विदेशी मुद्रा तो है ही ।

श्री पीलु मोडी : क्या भुगतान रुपये में किया जाता है अथवा विदेशी मुद्रा में ?

डा० चन्ना रेड्डी : भुगतान विदेशी मुद्रा में, रूबल्स में किया जाता है ।

श्री म० ग्रमरखे : हमने रूबल करार कब किया था ।

श्री चन्ना रेड्डी : हमने 21 फरवरी, 1961 को ऋण करार किया था । उस करार में से यह राशि भिलाई इस्पात कारखाने के लिये पृथक रखी गई है ।

श्री पीलु मोडी : क्या माननीय मन्त्री को पता है कि अवमूल्यन के कारण रुपये और रूबल के बीच का अन्तर भारत के लिये हानिकर हो गया है ।

Shri Rabi Ray : We take help from Russia for the expansion of Bhilai workshop, from Germany for the expansion of Rourkela Workshop and from Britain for Durgapur Workshop. In this connection, I want to know when these public sector plants will be indianised so that foreign help may not be required.

Dr. Chenna Reddy : Out of the machines required for the expansion programme 69 per cent are manufactured indigenously, It is not possible for me to tell at present when we will be self-sufficient in that respect. It may be possible that we will able to be self-sufficient in the ensuing few years. As you know, Sir, we are making progress for the last few years. As much as our production is increasing we are curtailing that much import.

Shri Hukam Chand Kachwai : You are going to spend Rs. 9 crores in foreign exchange for the expansion of this plant but you have made no mention as to how much money will be spent by you for the welfare of the sixteen thousand Mazdoors who are pulling up in shanties there ? I would like to know the amount that will be spent on the houses for such Mazdoors who are at present bearing difficulties in all weathers ? (Interruptions). Sir, my question has not been answered. I would like to know the amount that will be spent during the Fourth Plan on those persons who are at the back of this workshop and who work with sweat of their brow ?

ग्रध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते ।

Shri Ramavtar Shastri : Because the management of Bhilai Steel Plant shop is in the hands of Soviet people that is why the production is increasing there. But the production is not increasing in other steel Plants. I want to know the reason for that and would also like to know whether Government propose to make such an arrangement in other steel plants also as it is there in Bhilai Steel Plant ? If so, since when ?

Dr. Chenna Reddy : As and when expansion takes place in other Steel Plants efforts are made to get internal inherent capacity.

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the hon. Minister be pleased to state whether the project report of the plant which you are going to expand was got perpared by Russia and

if so the expenditure incurred thereon ? Whether it is a fact that some Indian firm had offered that it could be prepared here by spending an amount 20 per cent less than what has been spent in Russia ? Is it a fact that such an offer had come to you but even than you get the project report prepared from Russia. May I know what arrangements are made by you that the project report is prepared in the country and whether any enquiry is instituted by you to see whether the report prepared in foreign countries is correct or not ?

Dr. Chenna Reddy : The project report of Bhilai Expansion was prepared by the Design and Planning Department, which is a unit of Central Engineering and Design Bureau, Ranchi. Gipromak was also consulted in this connection and the project report was completed with his consultation. But the whole work has been done by our bureau.

Shri Kanwar Lal Gupta : How much amount has been given to them for this purpose.

Dr. Chenna Reddy : All those details are not with me. The full payment has not been made so far.

Shri Kanwar Lal Gupta : It has been told that you have already paid Rs 40 lakhs.

Dr. Chenna Reddy : Rupees 40 lakhs have not been paid. The full work has been done by our bureau of public sector organisation.

अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन

+

***1294. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी की 4 और 5 मई, 1967 को बम्बई में हुई बैठक में आन्दोलन आरम्भ करने के बारे में किये गये निर्णय की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन मांगों को लेकर आन्दोलन आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) उन मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ।

रेलवे मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) जी हां । आल इंडिया रेलवेमैंज़ फैडरेशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार मंहगाई भत्ते में स्वतः वृद्धि करने के अपने वचन से मुकर गयी है । तदनुसार कार्यकारणी समिति ने सम्बद्ध यूनियनों को निर्देश दिया था कि वे सभाएं करके, जलूस निकाल कर, बिल्ले पहन कर तथा पैम्फलेट निकाल कर 19-5-67 को पूरे देश में 'मंहगाई भत्ता दिवस' मनायें ।

(ग) मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में गजेन्द्र गडकर आयोग की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। अभी हाल में, राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया है। आशा है, इस पर निकट भविष्य में निर्णय हो जायेगा जो समानरूप से रेल कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मन्त्री को यह विदित है कि माननीय वित्त मन्त्री श्री गजेन्द्र गडकर आयोग की रिपोर्ट पर विचार नहीं कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समस्त देश के रेलवे कर्मचारियों में फैले हुए असंतोष की ओर वित्त मन्त्री का ध्यान दिलाया गया हैं, ताकि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी सघ के प्रतिनिधियों और मंहगाई भत्ता आयोग के अधिकारियों के बीच कोई बातचीत हो सके।

श्री परिमल घोष : क्या इस मामले में इकतरफा निर्णय नहीं ले सकते। इस मामले में उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री पहेले ही बता चुके हैं कि जो इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में उन्होंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी विचार विमर्श किया है। इस मामले में जब भी कोई निर्णय किया जायेगा इसकी घोषणा सभा में की जायेगी और वह निर्णय रेलवे कर्मचारियों पर भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उन्हें यह विदित है कि रेलवे कर्मचारी बहुत समय से मजूरी बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मजूरी बोर्ड की स्थापना करने के लिये सहमत हो गई है।

श्री परिमल घोष : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

Shri Madhu Limye : I want to know whether Govt. have considered regarding air conditioned passes provided to the tarde unioin leaders and the saloon provided for the officers, and whether they have decided to withdraw those facillties? Whether any decision for scientific job evaluation with regard to the working of the Railway workshops and their workers has been undertaken ?

श्री परिमल घोष : जहां तक वातानुकूलित सैलून और रेलवे पासों की सुविधा दिये जाने का सम्बन्ध है, हमने इस मामले पर विचार किया है और हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि रेलवे में काम करने के लिये ये चीजें अत्यावश्यक हैं। इस विशिष्ट विषय पर हम इस समय कोई निर्णय नही लेना चाहते।

Shri Madhu Limaye : I asked regrding withdrawal of air conditioned passes from leaders of Employee's Unions, but he has conneted that matter with providing saloons.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि वे निर्णय नही ले रहे हैं।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : दोनों संघों के नेताओं को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। यह सुविधा का ही एक भाग है। यह सुबिधा एक संघ को देकर दूसरे संघ को इससे वंचित नही किया गया।

Shri Madhu Limaye : Will you conduct job evaluation ? Now the workers say that a particular job is not their duty and a particular work is of different nature. This cannot be determined without job evaluation.

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसा किया जा रहा है । हमने बहुत सी वर्कशापों में प्रोत्साहन देने की योजना आरम्भ की है, वे संतोषपूर्ण ढंग से चल रही हैं ।

Shri Madhu Limaye : Whether there is any relation between job evaluation and giving incentive and whether you are satisfied with it ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह कार्य कर रहे हैं ।

श्री नाथपाई : इससे पहले मन्त्री महोदय ने बताया था कि वह गजेन्द्र गड़कर आयोग की सिफारिशों को अन्तिम रूप दे रहे हैं । यह कहां तक सच है कि सरकार विशेषकर वित्त मन्त्री आस्थपित भुगतान की शर्त लगाकर सरकारी कर्मचारियों को देय उनकी वैध रकम से वंचित रख रहे हैं ? क्या उन्हें यह विदित है कि रेलवे कर्मचारियों ने इस शर्त को पहले ही अस्वीकार कर दिया है । उन्होंने कहा है कि मूल्यों में बढ़ने के परिणामस्वरूप जो भी बकाया रकम उनकी बनती है उसका भुगतान नकद किया जाना चाहिये, आस्थगित भुगतान नहीं ?

श्री परिमल घोष : वित्त मंत्रालय द्वारा किये गये निर्णय की सरकार प्रतीक्षा कर रही है । इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जायेगा, रेलवे मंडल उसको पालन करेगी ।

श्री नाथपाई : मेरा प्रश्न यह नहीं है । माननीय वित्त मन्त्री जो करेंगे हम भी वैसा ही करेंगे । हमें पता है कि वे कैसे कार्य करते हैं । रेलवे के 1,200,000 कर्मचारी हैं । क्या उन्हें पता है कि रेलवे कर्मचारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी मंहगाई भत्ता उन्हें मिलना है, उनको वर्तमान शिकायतों और कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी मिलना चाहिये । मैं ऐसे उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ कि जो भी वित्त मंत्रालय करेगा हम उसका अनुसरण करेंगे ।

श्री चे० मु० पुनाचा : इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार के सब कर्मचारियों के संदर्भ में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । इस पर प्रथम चर्चा नहीं की जा सकती और पृथक निर्णय नहीं लिया जा सकता । अतः इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है और इस चर्चा में रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि भी पूरा भाग ले रहे हैं । हम बहुत शीघ्र ही ऐसे निर्णय पर पहुँचेंगे जिससे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और रेलवे कर्मचारी संतुष्ट हों ।

श्री नाथपाई : क्या ऐसा कोई सुझाव है और यदि हां, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई है ? आखिर इसको टालते जाने की भी एक सीमा होनी चाहिये । वह कहते हैं कि जो भी कहा गया है वे उस पर विचार करेंगे । मैं यह पूंछ रहा हूँ कि क्या उनके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव है कि मंहगाई भत्ता अंश रूप में दिया जाना चाहिये ।

श्री चे० मु० पुनाचा : इस समय बहुत से प्रस्ताव और सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं ।

Shri George Fernandes : At the time of presenting the Railway Budget, the Railway Minister had earmarked sufficient funds for increasing the dearness allowance of the railway employees. Since the report of the Gajendra Gadekar Commission is before the Minister, whether that fund already earmarked would be utilised to give effect to the recommendations of the D. A. Commission, notwithstanding any decision taken by the Finance Minister thereon ?

श्री परिमल घोष : तथ्य यह है कि प्रस्तुत करते समय यह कहा गया है कि मंहगाई भत्ते को देने के लिये जो भी धन आवश्यक होगा उसको अलग रखा जायेगा । जैसा कि मैंने कहा है हम इस मामले में पृथक निर्णय नहीं ले सकते । इस विषय पर जो भी निर्णय वित्त मंत्रालय से प्राप्त होगा, और ज्यों ही प्राप्त होगा, भूतलक्षी प्रभाव से धन से दे दिया जायेगा ।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker I want some details in this regard.

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा कि सदस्य महोदय को विदित ही है, मंहगाई भत्ते को देने की व्यवस्था कर ली गई है । रेलवे कर्मचारियों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की भी व्यवस्था करली गई है, परन्तु अब इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि यह किस प्रकार दिया जाये । इस सम्बन्ध में भी शीघ्र निर्णय किया जायेगा और तब सभा द्वारा इस काम के लिये गये धन का प्रयोग किया जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : How much time it will take ?

Shri S. M. Joshi : This concerns not only the Railway employees alone, but all the Central Government employees are concerned with it. Whenever, such issues arise, a Joint Conciliation Machinery is formed to tackle the issue. May I know whether Government will call a meeting of this machinery before deciding this issue.

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है ये सब मामले विचाराधीन हैं और इस सम्बन्ध में शीघ्र विनिर्णय किया जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं इस समय और कोई जानकारी नहीं दे सकता ।

Shri S. M. Joshi : There is no dispute in respect of Joint Conciliation Machinery. It has been mentioned in it that the representatives of all the parties would be included in it.

The representatives of Government would also be there. All the matters regarding money will be discussed there. Only thereafter the decision would be taken. Since this scheme to be chalked out will he keep this machinery idle or any action would be taken ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इन सब विषयों पर सरकार और जे० सी० एम० के बीच चर्चा हुई है । इन विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है और इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा । कर्मचारियों और सम्बद्ध संघों के प्रतिनिधियों को इसकी पूरी जानकारी है ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे एक वाणिज्य उपक्रम है, और अब तक सरकार द्वारा दिया गया मंहगाई भत्ता बढ़ी हुई कीमतों के लिये पर्याप्त नहीं है । क्या सरकार रेलवे कर्मचारियों को अनाज और आवश्यकता वाली दूसरी

वस्तुओं के लिये अन्य सहायता देने का विचार करती है, जैसा कि मूल्यों के बढ़ने के समय कुछ वर्ष पूर्व किया गया था क्योंकि मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी बढ़ने की सम्भावना है ?

श्री परिमल घोष : युद्ध के दौरान भी अनाज की सप्लाई के लिये अर्थ सहायता दी गई थी। हमने इस मामले पर विचार किया है। इससे भ्रष्टाचार इत्यादि को बढ़ावा मिलता है। इस समय खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केवल रेलवे को ही अनाज की सप्लाई करने के लिये अर्थ सहायता नही दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1295 वैदेशिक कार्य मन्त्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये 31 तारीख की प्रश्न सूची में रख दिया गया है।

ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड

*1299. **श्री श्रीधरन :**
श्री विश्वम्भरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री अनिरुद्धन :
श्री अदिचन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के प्रसार के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये केरल सरकार ने सरकार से कोई प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) चौथी योजना के लिये केरल सरकार के सुझावों पर चर्चा करने के लिये योजना आयोग में हुई बैठक के दौरान, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने मैसर्स ट्रावनकोर टिटानियम प्रॉडक्ट्स लि० की योजना के प्रसार के लिये केन्द्र सरकार ने सहायता का निवेदन किया। चौथी योजना की प्रारूप रूप रेखा में केन्द्रीय क्षेत्र की इस परियोजना के लिये अस्थायी तौर पर 2.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के लिये राज्य क्षेत्र में भी अस्थायी तौर पर 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी, हमने चालू वर्ष के बजट में इसके लिये 30 लाख रुपयों की व्यवस्था की है।

श्री श्रीधरन : देश में ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रॉडक्ट्स लि० ही केवल अपनी तरह का एक ही कारखाना है और यह काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। केरल सरकार ने इस कारखाने के प्रसार के लिये कई बार केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता के लिये निवेदन किया। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में एक बात और महत्वपूर्ण है और वह यह कि केरल तट पर इलमिनाइट इकट्ठा किया जाता है। आज इसका निर्यात घट गया है। इसी कारखाने में ही इसका देसीय प्रयोग होता है। इसके प्रयोग की क्षमता न रखने के कारण उद्योग में लगे

बहुत से कर्मचारी बेकार हो गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को 2½ करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है। हम जब कभी भी यह पूछते हैं कि क्या वह सहायता दे दी गई है, चाहे वह इद्दिकी परियोजना के लिये हो या केरल परियोजना के लिये, हमें जवाब मिलता है कि वह इस विषय की ओर ध्यान दे रहे हैं। माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर दें और वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाने का निश्चित समय भी बतायें। शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कुछ कर दिया जायेगा, ऐसा कहने से कोई अर्थ नहीं निकलता।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि इस सम्बन्ध में चर्चा की जा चुकी है। इस चर्चा के दौरान राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि भी शामिल था और हम सिद्धान्त रूप में इस बात से सहमत हो गये हैं कि इस प्लान्ट की निर्माण क्षमता लगभग 24,000 टन तक बढ़ाई जानी चाहिये और जिसके लिये लगभग 625 लाख रुपये के लगाने की आवश्यकता होगी। अब यह निर्णय कर लिया गया है कि इसका कुछ भाग अंश पूंजी के रूप में और कुछ भाग ऋण के रूप में दिया जायेगा। अब प्रश्न यह है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार कितना कितना रुपया लगाये इस सम्बन्ध में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की सलाह के बाद अभी निर्णय लेना है। हमारी विश्वस्तता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि हमने चालू वर्ष के बजट में इस प्लान्ट के विकास के लिये पहले ही 30 लाख रुपये का उपबन्ध कर लिया हैं। कम्पनी ने स्वयं भी अपने साधनों से इतनी ही धन राशि की व्यवस्था करनी है और तब उसी के अनुसार उसका कार्य चलेगा।

श्री श्रीधरन : क्या यह तथ्य है कि बम्बई की एक गैर सरकारी कम्पनी ने क्वेल के पास टिटेइनियम कारखाना आरम्भ करने के लिये लाइसेंस के लिये आवेदन दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार के कारखाने की स्थापना से ट्रावनकोर टिटेइनियम प्रॉडक्ट लि० जो राजकीय क्षेत्र में हैं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्या सरकार स्पष्ट उत्तर देगी कि देश के किसी भी भाग में किसी भी उद्योगपति को टिटेइनियम का कारखाना खोलने के लिये लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।

श्री फकरुद्दीन अली अहमद : राजकीय क्षेत्र में स्थापित कम्पनी को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य द्वारा दिये गये इस सुझाव पर कि गैर सरकारी क्षेत्र में कोई भी कम्पनी आरम्भ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, ध्यान रखा जायेगा।

श्री श्रीधरन : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी गैर सरकारी कम्पनी ने लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया है; यदि हां, सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मंगलायुमाडोम : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टिटानियम उत्पादों से कीमती विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि केरल टिटानियम का उत्पादत करने के लिये कच्चा माल काफी मात्रा में उपलब्ध है, क्या भारत सरकार

इस परियोजना को विशेष मामला समझ कर इस परियोजना के प्रसार के लिये शीघ्र ही वित्तीय सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है।

श्री वासुदेवन नायर : धन की कमी के कारण इस प्लान्ट के प्रसार का कार्य रुका हुआ है। राज्य सरकार भी वित्तीय कठिनाई में है। अतः मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय वित्त मन्त्रालय में इस प्लान्ट के प्रसार के लिये आवश्यक 6 करोड़ रुपये का मुख्य भाग केन्द्र-निधि से देने के लिये जोर देगी ताकि चौथी योजना के दौरान इसके प्रसार का कार्य निश्चित रूप से किया जा सके ?

श्री फकरुद्दीन अली अहमद : जो मैंने पहले कहा है मैं उसी को दोहराऊंगा। इस परियोजना के प्रसार के लिये लगभग 625 लाख रुपये की आवश्यकता होगी और कम्पनी ने यह सुझाव दिया है कि इसमें से 186 लाख रुपये ईक्विटी शेयर और 264 लाख रुपये मध्यावधि ऋण के रूप में वसूल किये जायेंगे। केरल सरकार से चर्चा के बीच यह सुझाव दिया है कि 186 लाख ईक्विटी शेयर में से वह 36 लाख रुपये लगायेगी और केन्द्र सरकार से 150 लाख रुपये के लगाये जाने की आशा करती है। यह मामला विचाराधीन है और चालू बजट के लिये पहले ही 30 लाख रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : चूंकि केरल राज्य औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और परियोजना से बहुत सी आशाएं हैं, क्या सरकार इस परियोजना के प्रसार के सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ?

श्री फकरुद्दीन अली अहमद : जी, हां।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या माननीय मन्त्री केन्द्र द्वारा राज्य परियोजनाओं में लगाये जाने वाली धन राशि के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करेंगे ?

श्री फकरुद्दीन अली अहमद : यह परियोजना राजकीय राजकीय क्षेत्र में है। इसके लिये केन्द्र और राज्य दोनों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

अखबारी कागज में आत्म-निर्भरता

*1302. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री मेघचन्द्र :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक अखबारी कागज के मामले में आत्म-निर्भर हो सकेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में आत्म-निर्भर होने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) अभी निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक भारत अखबारी कागज में आत्मनिर्भर हो जायेगा। तथापि, नेपा मिल की विस्तार योजना के अतिरिक्त जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है, दो अन्य योजनाओं पर भी सरकार विचार कर रही है। इसमें से एक योजना सरकारी क्षेत्र में और दूसरी गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनकी प्रारम्भिक कुल क्षमता 75000 लाख टन से 1,00,000 लाख टन प्रति वर्ष होगी। यदि ये योजनाएं पूरी हो जाती हैं तो देश इस मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

श्री विश्वनाथ राय : अखबारी कागज के जो कारखाने लगाये जा रहे हैं, उनमें उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)। जहां तक नेपा मिल के विस्तार का सम्बन्ध है, आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी हैं और हम आशा करते हैं कि अखबारी कागज का उत्पादन 1969 तक शुरू हो जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शल्य-क्रिया के उपकरण

***1296. श्री ओंकार सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शल्य-क्रिया के उपकरणों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है; और

(ख) शल्य-क्रिया के उपकरणों में आत्म-निर्भर होने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों में शल्य-क्रिया के उपकरणों के आयात का मूल्य निम्न लिखित है —

1964-65	1965-66	1966-67 (फरवरी, 67 तक)
61.79 लाख रुपये	79.74 लाख रुपये	54.11 लाख रुपये।

(ख) मद्रास में रूस की सहायता से सरकारी क्षेत्र में शल्य-चिकित्सा क्रिया के उपकरण बनाने का एक संयत्र स्थापित किया गया है। यह कारखाना 1 सितम्बर, 1965 को चालू

हो गया था। इस कारखाने को 25 प्रकार के 25 लाख शल्य प्रक्रिया के उपकरण तैयार करने का लाइसेंस प्राप्त है। लघु उद्योगों के कई एकक हैं जो कई प्रकार के शल्य-क्रिया के उपकरण तैयार करते हैं। कई प्रकार के शल्य-क्रिया के उपकरण बनाने के लिये गैर सरकारी क्षेत्र में दो एककों को अस्थाई अनुमति दी गई है। तकनीकी विकास के महा निदेशक के पास एक और एकक का आवेदन-पत्र रजिस्ट्रेशन के लिये विचाराधीन है। आशा यह की जाती है कि शल्य क्रिया के उपकरणों की जितनी आवश्यकता है उसका मुख्य भाग लगभग पांच वर्षों की कालावधि में देश में बनने लगेगा। कुछ उपकरणों का, विशेषपर बहुत ही विशिष्ट तथा नवीनतम किस्मों के उपकरणों का आयात जारी रखा जा सकता है जिनकी संख्या में अधिक मांग न हो और इसलिये आर्थिक दृष्टि से उनका निर्माण उचित न समझा जाये।

राज्य व्यापार निगम द्वारा हैवी सोडा ऐश का आयात

1297. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम का ऐसे समय पर 10,000 मीट्रिक टन सोडा ऐश का आयात करने का विचार है जब यह देशी माल बहुतायत में उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की स्थिति कठिन होने पर भी ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) (क) और (ख) : राज्य व्यापार निगम ने केवल 6,000 टन के आयात करने की व्यवस्था की है। अभी और अधिक माल का आयात करने का विचार नहीं है। यद्यपि देशी उत्पादन संतोषजनक है, फिर भी कुछ फालतू भंडार रखने के लिये थोड़ा सा आयात आवश्यक समझा गया है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे यार्ड का विस्तार

***1298. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के कटक तथा अन्य रेलवे यार्डों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि पारादीप पत्तन से जाने वाले माल के परिवहन की उपयुक्त व्यवस्था कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्तार कार्यक्रम पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रुपये में लेनदेन के आधार पर व्यापार सम्बन्धी करार

*1300. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अन्य देशों के बीच रुपये में लेनदेन के आधार पर भारत के निर्यात आयात के लिये दिये गये व्यापार सम्बन्धी करारों में वह सुनिश्चित करने के लिये कोई संरक्षण रखे गये हैं कि भारत से माल खरीदने वाले देश भारत से खरीदे हुए माल की उसी रूप में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं ले जायेंगे और डिस्काउंट पर नही बेचेंगे, जिससे भारत को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने में हानि उठानी पड़े; और

(ख) क्या यह सच है कि पूर्व जर्मनी ने जिसके साथ रुपये के लेनदेन के आधार पर भारत का निर्यात–आयात सम्बन्धी व्यापारी करार है, शिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड से 10,000 मीट्रिक टन लोह–मेंगनीज खरीद कर अमरीका को एक फर्म को डिस्काउंट पर बेच दिया था ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। करारों के अनुसार बेचा गया माल केवल खरीदार देशों में खपत के लिये होता है।

(ख) सरकार को कोई ऐसी जानकारी नहीं है।

पिछड़े क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग

1301. **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे उद्योगों के विकास के लिये पिछड़े क्षेत्रों को विशेष रियायतें तथा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के बारे में लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशें मान्य हैं;

(ख) यदि हां; तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या छोटे उद्योगों को अंश पूंजी में राज्य द्वारा भाग लेने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जुलाई 1966 में बंगलौर में लघु उद्योग बोर्ड की चौबीसवीं बैठक में एक यह बात कही गई थी कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित लघु एककों को विशेष रियायतें/प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये पिछड़े क्षेत्रों में एककों को रियायतें/प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर भारत सरकार गत कुछ समय से विचार करती रही है। सरकार ने यह महसूस किया था कि उद्योगों की विस्तारण सम्बन्धी समिति की सिफारिशों, जिन्हें लघु उद्योगों पर चतुर्थ योजना कर्मचारी दल ने तथा ग्रामीण ओद्योगीकरण के लिये प्रोत्साहन देने वाली समिति ने पुनरीक्षण और स्वीकार कर लिया था, उन सिफारिशों को स्वीकार करने के बारे में विचार करना चाहिये।

बाद की समिति की रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी गई है और अब वह उनके विचाराधीन है। योजना आयोग द्वारा प्रोत्साहन समिति की सिफारिशों के अनुमोदन के पश्चात पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को रियायतें/प्रोत्साहन देने का ब्यौरा तैयार किया जायेगा।

(ग) जी हां। फरवरी 1967 में लघु उद्योग बोर्ड की सरकारी स्तर की समिति की पहली बैठक में लघु उद्योगों की साम्य पूंजी में राज्य द्वारा भाग लेने की एक योजना पर चर्चा हुई थी। समिति ने इस योजना को मुख्य रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके आगे यह सिफारिश की गई थी कि योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के साथ सलाह करके इस योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जाये। यह अब किया जा रहा है।

कोयला उद्योग में मंदी

1303. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री वृजराज सिंह :
श्री क० कु० नायर :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग में मंदी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।
(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच व्यापार

*1304. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री मंगलायुम्माडोम :
श्री रा० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री शिकरे :
श्री न० कु० सोमानी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री अदिचन :
श्री मणिभाई पटेल :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्मदास :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच तथा भारत और अन्य अरब देशों के बीच व्यापार पर पड़े इसराईल संयुक्त अरब गणराज्य युद्ध के प्रभाव के बारे में सरकार का क्या अनुमान है: और

(ख) इन देशों के साथ व्यापार सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) संयुक्त अरब गणराज्य तथा कुछ अन्य अरब देशों में ऐसी वस्तुओं के लिये काफी अधिक अतृप्त मांग है, जिनकी पूर्ति भारतीय उत्पादकों तथा संभरकों द्वारा की जा सकती है। आगामी महीनों में इन देशों को निर्यात बढ़ने की संभावना है।

(ख) हमारे मिशन वहां की स्थानीय स्थिति का पता रखते हैं और उन आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जानकारी भेजते रहते हैं जिनकी पूर्ति भारतीय संभरकों द्वारा की जा सकती है। भारतीय निर्यात संस्थाओं का संघ तीन व्यापारिक दलों की यात्रा प्रायोजित कर रहा है। इन दलों में से एक आज रात को काहिरा के लिये रवाना हो रहा है। अन्य दो दल अगले सप्ताह के दौरान अन्य बाजारों के लिये रवाना हो जायेंगे। इन बाजारों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के इच्छुक व्यापारियों को सुविधायें दी जा रही हैं। राज्य व्यापार निगम भी इन बाजारों में बिक्री बढ़ाने के लिये ठोस कार्यवाही कर रहा है।

घरेलू गैस सिलंडरों का निर्माण

***1305. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) पिछले तीन वर्षों में घरेलू गैस के सिलंडर बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या कच्चे माल की कमी अथवा किन्हीं अन्य कारणों में वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं किन्तु फिर भी एक बिड़ला सार्थ, मैसर्स आलविन मैटल्स, हैदराबाद को नया लाइसेंस दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दो।

(ख) हालांकि देशी इस्पात, की उपलब्धता में कमी थी और वह देर से मिलता था फिर भी पिछले दो वर्षों के दौरान लिक्वेफायड पैट्रोलियम गैस सिलण्डर के निर्माण के लिये साठ प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया जाता था।

गैस सिलण्डरों के निर्माण के लिये उद्योगपतियों द्वारा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह वस्तु उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की

प्रथम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और इसलिये यह वस्तु उन उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आती है।

मैसर्स हैदराबाद आलविन मैटल वर्क्स लिमिटेड, हैदराबाद (बिरला ग्रुप की एक कम्पनी) ने सरकार को सूचित किया था कि वे वर्तमान फर्नीचर रेफ्रीजरेटर, बसों की बाडी आदि के निर्माण के स्थान पर नई वस्तु बनायें। जिसका नाम लिक्वेफायड पैट्रोलियम गैस सिलण्डरस होगा। उनकी यह कार्यवाही उद्योग मंत्रालय की 27-10-1966 की पत्र विज्ञप्ति के अनुसार है जिस के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों को अपने उत्पादन को बदल कर बिना किसी विशिष्ट लाइसेंस के नई वस्तु के निर्माण करने की अनुमति दी गई हैं परन्तु वह उसमें दी गई शर्तों के अन्तर्गत ही होना चाहिये। इस सूचना को नोट कर लिया था गया था। मैसर्स हैदराबाद आलविन मैसर्स वर्क्स लिमिटेड ने जिस प्रकार घरेलु गैस सिलण्डर बनाने का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है, उसके लिये सरकार की किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

व्यापारिक मोटर गाड़ियों के मूल्य

*1306. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 23 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 705 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूल्य नियंत्रण हटाने से पहले व्यापारियों के मूल्य क्या थे और उनके वर्तमान मूल्य क्या है; और

(ख) क्या मूल्यों पर से नियंत्रण हटाये जाने से अन्य मोटर गाड़ियों के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1133/67**]

(ख) जी, नहीं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

1037. **श्री रमानी :** **श्री नायनार :**
श्री उमानाथ : **श्री अनिरुद्धन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री अब्राहम :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने उत्पादन की वस्तुओं का विविधकरण करने का निर्णय 1965 में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय पूर्णतया क्रियान्वित किया गया है;

(ग) क्या विवधकरण के बाद उत्पादन लक्ष्य पूरे हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) इस्पात संयंत्र की सामग्री के लिये अपर्याप्त आदेशों के कारण संभावित बेकार क्षमता का ध्यान रखने के लिए समवायविभाग सन् 1965 से लेकर विविधकरण के प्रश्न पर निरन्तर विचार करता रहा है। बहुत सी योजनाओं पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता पत्तन पर 'लाइसेंस्ड मेजरर्स'

*1308. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें कलकत्ता बन्दरगाह में 'लाइसेंस्ड मेजरर्स' नामक संस्था द्वारा किये जा रहे काम की जानकारी है;

(ख) क्या यह संस्था निर्यात किये जाने वाले माल का निरीक्षण, करके, उसे तौल कर और माप कर, बीजक में कम मात्रा दिलाना रोक कर अत्यावश्यक सेवा कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'लाइसेंस्ड मेजरर्स को गैर-सरकारी नियंत्रण से हटाकर, जैसे वे अब हैं, सीधे सरकार के नियंत्रणाधीन लाने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) कलकत्ता बन्दरगाह में 'लाइसेंस्ड मेजरर्स' जो कार्य करता है वह भाड़े का हिसाब लगाने के लिए निर्यात माल के परिमाण को तौलने तथा मापने से सम्बन्धित हैं। यह संस्था तोल तथा माप के प्रमाण पत्र जारी करती है जो जहाजी अभिकर्त्ताओं तथा विदेशी ग्राहकों द्वारा स्वीकार कर लिये जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा बिजली के कम्प्यूटरों का क्रय

1309. **श्री उमानाथ** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री अनिरुद्धन :
श्री नायनार :
श्री रमानी :
श्री एस्थोस :
श्री अब्राहम :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन बिजली के दो कम्प्यूटरों की सप्लाई के लिये आई० वी० एम० के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रबन्धक इस कारखाने में काम करने वाले कुछ श्रमिकों की छंटनी करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने, क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1134/67]**

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को हटाना

1310. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में भीड़भाड़ वाले रिहायशी क्षेत्रों से उद्योगों को अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए ऋण देने का दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिये यह प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जो उद्योग 'मास्टर प्लान' में उल्लिखत समतुरूप क्षेत्रों में स्थित नहीं है उन्हें उसके समतुरूप पत्रों में भेजने के लिये दिल्ली प्रशासन ने पहले ही ऋण देने आरम्भ कर दिये हैं।

(ख) यह प्रस्ताव तृतीय पंचवर्षीय योजना के ही एक भाग के रूप में भेजा गया था और भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था।

(ग) उन उद्योगों को कारखाने की इमारतें बनाने तथा औद्योगिक प्लाट खरीदने के लिये ऋण दिये जाते हैं जिन्हें 'मास्टर प्लान' में दिये गये औद्योगिक क्षेत्रों में पुनःस्थापित करने के लिये वैकल्पिक स्थान दिये गये हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक एकक के लिये 50,000 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई हैं। ये पूरा ऋण ब्याज सहित 10 किश्तों में वसूल किया जायेगा। इस पर 6 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा।

प्लाट खरीदने के लिए तो एक मुश्त धन राशि दे दी जाती है परन्तु कारखाने की इमारतें बनाने के लिए तीन किश्तों में ऋण दिया जाता है जिसका सम्बन्ध निर्माण-कार्य की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है।

यह धन-राशि केन्द्रीय सरकार दिल्ली प्रशासन को ऋण के रूप में उपलब्ध करती है।

खान के मुहानों पर जमा कोयला

1311. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला क्षेत्रों में खानों के मुहानों पर कोयले का स्टाक बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे पर मालडिब्बों की कम सप्लाई के कारण ऐसा हुआ है;

(ग) यह कमी कितने समय तक बनी रहेगी; और

(घ) खानों के मुहानों पर से कोयले के परिवहन की व्यवस्था करने तथा कोयले की खपत करने वाले केन्द्रों की मांग पूरी करने के लिए कोयला नियंत्रक द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय। हाल के महीनों में कोयला क्षेत्रों में कोयले के मुहानों पर कोयले के भंडारों में कुछ बढ़ती हुई है।

(ख) नहीं, महोदय। कोयले के भंडार में बढ़ती के दूसरे कारण हैं जैसे कोयले के उत्पादन में बढ़ती मांग की सामयिक कमी-बेशी, लदान के डिब्बों का रोका जाना, मांग की कमी के कारण इस्पात, प्लांटों और धावनशालाओं के लिए कम कोयला लादा जाना।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पट्टा दिलाया जाना

1312. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में खानों को पट्टे पर देने के लिए मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिराजुद्दीन कम्पनी के दो भागीदार सर्वश्री मुहम्मद सिराजुद्दीन तथा श्री एन० के० रहमान घूस तथा भ्रष्टाचार के

दोषी सिद्ध हुए थे और उन दोनों को एक एक वर्ष कठोर कारावास तथा 1500 रुपये जुर्माना का दण्ड दिया गया था;

(ग) क्या सरकार ऐसी फर्म को प्रोत्साहन देना उचित समझती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को तदनुसार सलाह दी है।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पिछले लगभग 6 वर्षों के दौरान मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी को खनन पट्टा देने या पट्टे को नया करने के विषय में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सरकार को पता है कि मुहम्मद सिराजुद्दीन तथा श्री एस० के० रहमान दोनों ही आई० पी० सी० की धारा 165 ए के अधीन तीन प्रकार के आरोपों के दोषी पाये गये थे। वे धारा 109 आई० पी० सी० जिसे कि प्रिवैन्शन आफ कोरपशन एक्ट (1947 का एक्ट 2) की धारा 5 (1)(ए) तथा धारा 5 (1) (बी) के साथ पढ़ना है, के अधीन भी दोषी ठहराये गये थे। प्रत्येक को एक एक साल की सख्त कैद की सजा और 500 रुपये जुर्माना हुआ था और जुर्माने के न दिये जाने पर 6 महीने अधिक की सख्त कैद होनी थी। ऐसा आई० पी० सी० की धारा 165 के अधीन प्रत्येक प्रकार के आरोप के लिए हुआ। आई० पी० सी० की धारा 109 के अधीन भी (जिसे प्रीवेन्शन आफ क्रपशन एक्ट की धाराएं 5(2) और 5(1)(बी) के साथ पढ़ना है) इन दोनों को एक एक साल सख्त कैद की सजा और 500 रुपये जुर्माना हुआ। जुर्माना न दिये जाने पर 6 महीने की और सख्त कैद होनी थी। मौलिक कैद एक साथ भुगती जानी थी। ऐसा पता चला है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध जो अपीलें की गई हैं उन पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) फर्म के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है और उड़ीसा सरकार को इसके बारे में बता दिया जायगा।

रेलगाड़ियों को डीजल से चलाने का कार्यक्रम

*1313. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा अपनाये गये डीजल से रेलगाड़ियां चलाने के कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से विदेशी मुद्रा संबंधी संसाधनों तथा देशी ईंधन की उपलब्धता के बारे में विचार किया गया है;

(ख) भाप, बिजली और डीजल से रेलगाड़ियां चलाने की तुलनात्मक लागत कितनी है; और

(ग) बिजली की तुलना में डीजल से रेलगाड़ियां चलाने के यदि कोई लाभ हैं तो क्या ?

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न प्रकार के कर्षणों, अर्थात भाप, डीज़ल और बिजली कर्षण के अधीन परिचालन की लागत कई बातों पर निर्भर है जिसमें अपेक्षित निवेश, संबंधित ईंधन की लागत और उपलब्धता, हर खण्ड की दशा और विशेषताएं, खासकर ढाल यातायात का घनत्व, गाड़ी के डिब्बों की संख्या, आदि शामिल हैं। इस प्रकार, तुलनात्मक लागतें अलग अलग होंगी और वह खंड विशेष पर लागू होने वाली बातों पर निर्भर करेगी। लेकिन आमतौर पर, यातायात के अधिक घनत्व वाले खण्डों पर डीजल/बिजली कर्षण, परिचालन की दृष्टि से फायदेमन्द होने के अलावा, भाप कर्षण की अपेक्षा अधिक किफायती होता है।

मोटी मिसाल के तौर पर उत्तर रेलवे के कानपुर–टूंडला खण्ड पर 1000 ट्रेलिंग मीटरिक टन किलोमीटर यातायात की ढुलाई का संचालन व्यय बिजली कर्षण से 2.25 रुपये डीजल से 3.76 रुपये और भाप से 4.76रुपये हैं।

(ग) बिजली कर्षण की तुलना में डीजल कर्षण के फायदे इस प्रकार हैं:–

(I) इसकी स्थानान्तरणीयता यातायात की जरूरत के अनुसार इसे एक खण्ड से दूसरे खण्ड पर भेजा जा सकता है, जबकि बिजली कर्षण का उपयोग केवल बिजलीयुक्त खण्डों पर ही किया जा सकता है, और

(II) प्रारम्भिक अवस्था में, बिजली कर्षण की अपेक्षा इसमें कम पूंजी खर्च होती है।

नारियल जटा बोर्ड

1314. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि नारियल जटा बोर्ड को, जो नारियल जटा की 95 प्रतिशत वस्तुएं बनाता है, केरल सरकार के नियंत्रणाधीन रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों के मूल्य

*1315. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के मूल्यों तथा वितरण पर से नियंत्रण हटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो यह नियंत्रण कब हटाया जायेगा; और

(ग) इस कार्यवाही से क्या लाभ होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) हल्की वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों (3 टन से कम सामर्थ्य वाली) पर से 22 मई 1967 से अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया है। अन्य प्रकार की वाणिज्यिक गाड़ियों पर से मूल्य नियंत्रण हटाने तथा सभी प्रकार की वाणिज्यिक गाड़ियों पर से वितरण का नियंत्रण हटा लेने का प्रश्न भी सरकार के पास विचाराधीन है। इस मामले पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है।

(ग) हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग में कमी हो गई है और इसके फलस्वरूप निर्माताओं ने भी उत्पादन में कमी कर दी है। इस वर्ग की गाड़ियों पर से अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण हटा लेने से यह आशा की जाती है कि उनकी बिक्री भी बढ़ेगी और मांग में भी सुधार होगा।

मध्य प्रदेश में रेलवे सुविधायें

*1316. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रेलवे सुविधायें बढ़ाने तथा नेरो गेज रेलवे लाइनों के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य के विंध्य, मध्य भारत और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में रेलवे सुविधायें बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर नयी लाइनों/बदलावों के लिए कुछ सिफारिशें करती रही है।

(ग) इन सिफारिशों पर सदैव ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है और जब कभी व्यावहारिक हो और वित्तीय दृष्टि से औचित्य हो, उन पर कार्रवाई की जाती है, बशर्ते इसके लिए धन और अन्य साधन उपलब्ध हों।

राज्य-व्यापार निगम के पास सोयाबीन के तेल का स्टाक

*1317. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास बम्बई, कलकत्ता और कांडला में लगभग 20,000 टन सोयाबीन तेल का स्टाक है;

(ख) देश के दुर्गम्य भागों में कारखानों को सोयाबीन तेल की सप्लाई करने में देरी होने के क्या कारण हैं हालांकि वनस्पति तेल के कारखानों के लिये नियत न कर दिया गया है तथा राज्य व्यापार निगम को आयातित मात्रा भी मिल गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति न होने देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) 30-6-67 को बम्बई, कलकत्ता तथा कांडला में कुल 30,405 मे० टन का स्टाक था हाल ही में राज्य व्यापार निगम को पतन के नगर से देश के अन्य केन्द्रों तक तेल भेजने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और कठिनाइयों को हल करने के उपाय किये गये हैं।

बिड़ला की फर्म

*1318. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री श्रीधरन :
श्री मधु लिमये :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामगोपाल शाल वाले :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिड़ला की फर्मों के बारे में जांच करने के लिए डा० पी० एस० लोकनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) इस आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) तक मैंने सभा में 19 जुलाई 1967 को एक वक्तव्य दिया था जिसमें सभी सम्बद्ध प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है।

छोटी कारों का निर्माण

*1319. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० र० लस्कर :
श्री श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया की एक फर्म ने छोटी कारें बनाने के सम्बन्ध में किसी भारतीय फर्म को सहयोग देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) आस्ट्रेलिया की एक फर्म के सहयोग से कार बनाने के सम्बन्ध में एक भारतीय फर्म ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

फर्म से योजना का पूरा ब्यौरा देने के लिये कहा गया है ताकि सरकार इस योजना पर आर्थिक रूप से विचार कर सके।

सैलम इस्पात परियोजना

1320. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री न० कु० सांघी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि मद्रास के मुख्य मंत्री ने यह धमकी दी है कि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल निकट भविष्य में सैलम इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में आन्दोलन आरम्भ करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) सरकार को आशा है कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी जो किसी आर्थिक समस्या के निष्पक्ष और सुविचारित समाधान में रुकावट पैदा करे।

महेन्द्रघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) में सीमेंट की बोरियां का पकड़ा जाना

6317. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 16 जून, 1967 को पूर्वोत्तर रेलवे में महेन्द्र घाट में सोनपुर स्थित सरकारी रेलवे पुलिस ने रेलवे के सीमेंट के 90 बोरे पकड़े थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोनपुर स्थित सहायक इंजीनियर इस मामले की जांच में गड़बड़ करने का प्रयत्न कर रहा है और इस मामले में फंसे हुए ठेकेदार को गैर-कानूनी तौर पर मदद दे रहा है तथा ठेकेदार को देय पिछली बकाया राशियों का पूरा भुगतान कर रहा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : रेलवे सुरक्षा दल के एक प्रधान रक्षक द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर कि रेलवे के सीमेंट गोदाम से अनधिकृत रूप से

सीमेंट के बोरे ले जाये जा रहे हैं, सोनपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने 16.5.67 को महेन्द्रघाट में एक ट्रक पकड़ा, जिसमें 90 बोरे सीमेंट लदा हुआ था।

(ख) सोनपुर की सरकारी रेलवे पुलिस से इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि सहायक इंजीनियर जांच की कार्रवाई में गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, अथवा वह इस मामले में फंसे हुए ठेकेदार को गैर कानूनी तौर पर मदद दे रहा है। इस घटना की तारीख के बाद ठेकेदार को आगे कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में सोनपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409/414 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच हो रही है। जहां तक भाग (ख) का सम्बन्ध है, कोई कार्रवाई करने का सवाल नहीं उठता।

गुजरात के लिए स्टेनलैस स्टील का नियतन

6318. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966-67 में गुजरात की स्टेनलैस स्टील की मांग कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि में गुजरात के लिए वस्तुत: कितनी मात्रा में स्टेनलैस स्टील नियत किया गया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) 1966-67 में प्रदेशों की स्टेनलैस स्टील की मांग को सुनिश्चित नहीं किया गया है। क्योंकि अगस्त 1966 में आयात की उदार नीति अपनाने के बाद से आयात लाइसेंस आधार वर्ष में दिये गये लाइसेंसों के आधार पर ही जारी किये जाते हैं। यदि लघु उद्योग की इकाईयां प्राथमिकता प्राप्त उद्योग हैं तो उन्हें 1964-65 में दिये गये लाइसेंस के तीन गुने कीमत का लाइसेंस दिया जा सकता है। यदि प्राथमिकता प्राप्त उद्योग न हों तो उन्हें दुगुने मूल्य का लाइसेंस मिलेगा।

गुजरात का खनिज सर्वेक्षण

6319. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में खनिजों का सर्वेक्षण करने तथा वहां पर खनिजों को निकालने की योजना अन्तिम रूप में तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार गुजरात के लिये ऐसी योजना बनाने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) हां, महोदय । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1967–68 के दौरान गुजरात में खनिज पदार्थों के अनुसंधान की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । इसमें कच, जूनागढ़, जामनगर तथा बनस्कान्ता जिलों का भूवैज्ञानिक मानचित्रण, गुजरात में फास्फेट का उत्खण्डन, अम्बामाता तथा खंडिया में कुप्य धातुओं का, और नारकोट में एपाटाइट का विस्तृत अनुसंधान, बड़ौदा और पंचमहल में कुप्य धातुओं का, बड़ोच जिले में फ्लोरस्पर और सबरकांथा जिले में चीनी मिट्टी और स्टीएटाइट का प्रारम्भिक असुसंधान शामिल है । इन खनिजों को संचय वाणिज्य विदोहनयोग्य सिद्ध हो जाने पर ही इनकी सरकार अथवा निजी क्षों द्वारा विदोहन की योजना बनाई जा सकती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में नमक का उत्पादन

6320. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966-67 में गुजरात में नमक का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसी अवधि में गुजरात में नमक उद्योग को कोई वित्तीय सहायता दी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) 28.13 लाख टन ।

(ख) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोआ से लोहा तथा मैंगनीज अयस्क के परिवहन पर भाड़े से आय

6321: श्री शिंकरे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1965–66 और 1966-67 में गोआ में कोलेम काले और करचोरेम स्टेशनों से लोहे और मैंगनीज अयस्क की ढुलाई होने से भाड़े के रूप में कितनी कितनी आय हुई है;

(ख) क्या गोआ में खान मलिकों को और माल डिब्बे देकर अधिक भाड़ा कमाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :(क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें सूचना दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1175/67]**

(ख) से (ग) इन तीनों स्टेशनों के धातुक लदान की सभी मांगों को साथ-साथ पूरा किया गया है। इसलिए और माल डिब्बों की व्यवस्था करके आमदनी बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

माल भाड़े तथा यात्री किराये से आय

6322. **श्री शिंकरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ राज्य क्षेत्र के 19 दिसम्बर, 1961 को स्वतंत्र होने की तिथि से लेकर उस राज्य क्षेत्र में स्थित सभी रेलवे स्टेशनों पर माल भाड़े तथा यात्रा किराये से रेलवे को कुल कितनी आय हुई है;

(ख) उस राज्य क्षेत्र में इसी अवधि में रेलवे के विकास कार्यों पर कितना धन खर्च हुआ है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोआ के लोग यह अनुभव करते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद रेलवे समेत सभी क्षेत्रों में उनकी उपेक्षा की गई है, यद्यपि वहां के खनन व्यापार से देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायता मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या गोआ निवासियों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार का विचार रेलवे क्षेत्र में कुछ बड़े विकास कार्य शुरू करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सूचना मंगायी जा रही है । और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 49.88 लाख रुपये ।

(ग) और (घ) सरकार को लोगों में इस तरह की धारणा होने की जानकारी नहीं है। क्षेत्र के अनुसार रेल विकास की योजना बनाना और इस बात का प्रबन्ध करना कि किसी क्षेत्र विशेष में हुई रेलवे आमदनी उसी क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च हो व्यावहारिक नहीं है। बड़े विकास कार्यों की योजना सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की सापेक्षिक प्राथमिकता को ध्यान में रखकर और साधनों की उपलब्धता के अनुसार बनायी जाती है । गोवा क्षेत्र की रेल-व्यवस्था यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है और आगे विकास की योजना आवश्यकतानुसार बनायी जाती है।

कृषि कार्यों के लिये मशीनों का निर्माण

6323. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में प्रति वर्ष कितने छोटे ट्रैक्टर, छोटी प्रतिरोपण मशीनें तथा भूमि खोदने की छोटी मशीनें बनाई जाती हैं ;

(ख) बड़ी मशीनों के मूल्यों की तुलना में इनके मूल्य क्या हैं ; और

(ग) इनके मामले में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस समय देश में 20 अश्व शक्ति से कम के छोटे ट्रैक्टर नहीं बन रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक द्वारा पावर टिलरस (दो पहियों वाला ट्रेक्टर) बनाये जा रहे हैं और 1966-67 के दौरान इस एकक का उत्पादन 526 पावर टिलर था। प्रतिरोपण और खोदने वाली मशीनों के उत्पादन की संख्या अभी मालूम नही हैं।

(ख) देश में निर्मित पावर टिलर का प्रति एकक विक्रय मूल्य 4,200 रुपये है जब कि बड़े ट्रेक्टरों का विक्रय मूल्य 15,032 रुपये से लेकर 21,880 प्रति एकक तक है । प्रतिरोपण और खोदने वाली मशीनों के बारे में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रति वर्ष 26000 पावर टिलर बनाने के लिये औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 37000 पावर टिलर बनाने के लिये आशय-पत्र जारी किये गये हैं। सरकार 20 अश्व शक्ति से कम के चार पहियों वाले ट्रेक्टर बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है।

प्रतिरोपण मशीनों तथा खादने वाली छोटी मशीनों की सही मांग का अनुमान नहीं लगाया गया है।

Powerloom Industry in Madhya Pradesh

6324. **Shri G.C.Dixit** : Will the Minister of Commerce be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the powerloom industry of Madhya Pradesh is facing a serious crisis, particularly in Burhanpur District, because of power shortage;

(b) the actual position of unemployment in this industry in Madhya Pradesh;

(c) whether the State Government have put up any proposal to save this industry; and

(d) whether Government propose to take any action to help to tide over the crisis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Quresi) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गुजरात में दस्तकारी उद्योग का विकास

6325. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में गुजरात राज्य में दस्तकारी उद्योगों के विकास के लिये सरकार ने गुजरात सरकार को कितनी राशि मंजूर की थी ; और

(ख) 1967-68 में इस काम के लिये उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1964-65 में अनुदान तथा ऋण के रूप में जो 0.12 लाख रुपये और 0.16 लाख रुपये अधिक दिये गये थे उनका समंजन करने के पश्चात् वर्ष 1966-67 में केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात सरकार को हस्त-शिल्प उद्योग के विकासार्थ 0.63 लाख रुपये का अनुदान और 0.25 लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया।

(ख) 1967-68 में स्वीकार की जाने वाली धनराशि का पूर्वानुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह योजना आयोग द्वारा नियत की गई अधिकतम सीमा के अन्दर अन्दर गुजरात सरकार द्वारा इस काम के लिये किये गये वास्तविक खर्च पर प्रमुखतः निर्भर रहेगा।

लघु उद्योग

6326. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त की कमी के कारण जिन लघु उद्योगों के बन्द हो जाने का खतरा है, उनके नाम क्या हैं तथा उनका विवरण क्या है ;

(ख) प्रत्येक मामले में इन उद्योगों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ लघु उद्योग कुछ पुर्जों तथा कच्चे माल के आयात पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण संकट में पड़ गये हैं : और

(घ) क्या यह सच है कि लुग्दी पर भारी शुल्क तथा पुर्जों के आयात पर लगे अन्य प्रतिबन्धों के कारण कागज बनाने वाले अनेक छोटे कारखाने बन्द हो गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन लघु उद्योगों को बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हालांकि हमें कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह लिखा है कि कुछ लघु एकक धन की कमी का सामना कर रहे हैं, परन्तु हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि किसी उद्योग में किसी एक एकक या एककों के समूह को धन की कमी के कारण बन्द होने का खतरा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) : 'ऐसोसिएशन आफ़ समाल पेपर मिल्स' से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है कि उनमें से कुछ कारखाने अलाभप्रद होने के कारण बन्द हो गये हैं क्योंकि अवमूल्यन के बाद आयातित लुग्दी की लागत अत्यधिक बढ़ गई है और क्योंकि बड़ी एकीकृत मिलें जिस दर पर उत्पादन शुल्क देती हैं उस दर पर शुल्क अदा करने के बाद वे कागज की बड़ी मिलों के साथ स्पर्धा करने में असमर्थ हैं। इस लिये उन्होंने लुग्दी पर से

आयात शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और रियायतों के लिये भी कहा है जिनमें निम्न उत्पादन शुल्क भी सम्मिलित है। इस अभ्यावेदन पर सरकार विचार कर रही है ।

रत्नगिरि में एल्यूमिनियम का कारखाना

6327 : **श्री बाबूराव पटेल :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरी (महाराष्ट्र) में एल्यूमिनियम का कारखाना कब तक पूर्ण रूप से तैयार हो जायेगा तथा कब से चालू हो जायेगा ;

(ख) मूल कार्यक्रम के अनुसार यह कारखाना कब तैयार हो जाना चाहिये था तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इस कारखाने में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(घ) इस कारखाने की कुल क्षमता कितनी होगी तथा पहले पांच वर्षों में वार्षिक उत्पादन कितना होगा ;

(ङ) प्रतिमास कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ;

(च) क्या इस कारखाने के लिये कोई विदेशी सहयोग अथवा विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त की गई है ; और

(छ) यदि हां, तो किस प्रकार का सहयोग या सलाह ली गई है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी (क) और(ख) : रत्नागिरि (महाराष्ट्र) की एल्यूमिनियम परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा में शामिल है और आशा थी कि यह इस योजना काल के अंत तक पूर्ण हो जायेगी। इस परियोजना को पूर्ण और चालू करने की पक्की समयावलि तभी बनाई जायगी जब कि सरकार परियोजना को मंजूर कर देती है तथा परियोजना के प्राक्कलनों का जो इसके विचाराधीन हैं, अनुमोदन कर देती है ।

(ग) परियोजना के प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही परियोजना पर लगाई गई पूंजी का स्पष्ट रूप से पता चलेगा ।

(घ) प्रस्तावित परियोजना की क्षमता अनुसार 50,000 टन प्रति वर्ष एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन होगा । आशा है कि पहले साल में उत्पादन निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत के स्तर का होगा । पूरा उत्पादन दूसरे साल तथा इसके बाद प्राप्त किया जाने की आशा है ।

(ङ) यह परियोजना लगभग 2,000 व्यक्तियों को रोजगार देगी ।

(च) और (छ) इस परियोजना को पूर्ण करने का कार्य भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०, नई दिल्ली को सौंपा गया है। इन्होंने प्रस्तावित परियोजना के लिये तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये 6-1-66 को पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स वैरीनिगटे एल्यूमिनियम वर्के (वा) के साथ एक परामर्श सम्बन्धी समझौता किया है। समझौते की शर्तों के अनुसार मैसर्स वा-

(अ) परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे।

(ब) आवश्यक तकनीकी ज्ञान तथा पेटेन्ट अधिकार देंगे।

(स) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को नये प्रद्रावक की योजना बनाने आकल्प, इन्जीनियरी, निर्माण तथा कार्य करने में मंत्रणा, सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे।

(ह) आवश्यक तकनीकी व्यक्ति प्रदान करेंगे और भारतीयों को पश्चिमी जर्मनी में प्रशिक्षित करेंगे।

इन सेवाओं के बदले में मैसर्स वा को 8 मिलियन डी० एम० (या लगभग 150 लाख रुपये) किश्तों में दिये जायंगे तथा साथ ही विशेषज्ञों का खर्च दिया जायगा। यह समझौता 10 वर्ष के लिये है। मैसर्स वा की सेवायें प्लांट चालू होने पर कम से कम दो वर्ष तक के लिये उपलब्ध होंगी।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

6328. श्री बाबू राव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस तारीख को चालू किया गया था, इस परियोजना में कितनी पूंजी लगाई गई है और इसमें अब तक कितनी हानि हुई है ; और

(ग) हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सर्वोच्च 12 अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं और प्रत्येक को प्रति माह कितना वेतन तथा उपलब्धियां (एमोल्युमेंट्स) मिलती हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कई वस्तुओं का निर्माण होता है और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिये पृथक पृथक सुविधाओं की आवश्यकता है। इसलिये विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन भिन्न भिन्न तारीखों को आरम्भ हुआ था। स्विचगियर विभाग ने सर्वप्रथम 1 जुलाई, 1960 को सीमित रूप में उत्पादन आरम्भ किया था। 31 मार्च, 1967 तक इस कम्पनी की अंश पूंजी में 50 करोड़ रुपये लगाये जा चुके हैं। इस कम्पनी के लिये इस तारीख तक 44.388 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण मन्जूर किये गये हैं। 31 मार्च 1967 तक 35.53 करोड़ रुपये की संचयी हानि का अनुमान है।

(ख) इस कम्पनी के सर्वोच्च 12 अधिकारियों के नाम और पद और उनके वेतन तथा उनकी उपलब्धियां एक विवरण में दी गई हैं और वह सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल० टी० संख्या 1136/67]**

कुडा तथा निमाकनगर (पश्चिम रेलवे) के बीच रेलवे फाटक

6329. **श्री श्री राज मेघराज जी धरंगधरा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुडा तथा निमाकनगर के बीच रेलवे फाटक न होने के कारण धरंगधरा रन (अथवा लिटिल रन) की दक्षिणी सीमा के साथ साथ बड़ी सड़क पर नमक, सेना तथा अन्य भारी यातायात को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) क्या चालू वर्ष में यह फाटक बनाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसे कितने समय में बनाया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) - (क) जी नहीं ।

(ख) निमकनगर को कुडा से मिलाने वाली सड़क के सम्बन्ध में एक समपार की व्यवस्था करने के लिए सम्बन्धित सड़क प्राधिकारी से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

लेकिन लोक निर्माण विभाग की एक सड़क को धरंगधरा से कुडा तक ले जाने के लिये चौकीदार वाले तीन समपारों की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव मिला है । इनमें से दो समपार धरंगधरा से कुडा जाने वाली रेलवे लाइन पर क्रमशः किलोमीटर 53/10–11और 43/11–12 पर बनाये जायेंगे । इन योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और ज्यों ही राज्य सरकार इन पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम की व्यवस्था कर देगी, वास्तविक काम शुरू कर दिया जायेगा

लिटिल रन की कृषि-औद्योगिक क्षमता

6330. **श्री श्रीराज मेघराजजी धरंगधरा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धरंगधरा रन अथवा लिटिल रन की कृषि-औद्योगिक क्षमता का लाभ उठाने तथा उसका बिकास करने की किन्हीं योजनाओं पर विचार किया जा रहा है : और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवायकार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

6332. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय ने अब तक भ्रष्टाचार के कितने मामले निपटाये हैं ;

(ख) इस सतर्कता निदेशालय द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप अब तक कितने भ्रष्ट अधिकारियों को दण्ड दिया गया ;

(ग) कथित भ्रष्टाचार के कितने मामले अभी इस निदेशालय के विचाराधीन हैं ;

(घ) राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के औसतन कितने मामले इस सतर्कता निदेशालय के समक्ष प्रति माह आते हैं; और

(ङ) भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1.4.65 से 31.3.67 तक चौकसी निदेशालय द्वारा 7091 शिकायतों पर कार्यवाई की गयी ।

(ख) सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) कथित भ्रष्टाचार के जो मामले अब भी चौकसी निदेशालय में पड़े हैं 30.6.67 को उनकी संख्या 1331 थी ।

(घ) राजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के जो मामले महानिदेशक (चौकसी) के सामने आते हैं उनकी मासिक औसत संख्या लगभग 40 से 50 है । लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इनमें अधिकांश-प्रतिशत राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे मामलों का है जो जांच करने पर सिद्ध नहीं होते ।

(ङ) भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए चौकसी निदेशालय लगातार सभी संभव उपाय कर रहा है, जैसे भ्रष्टाचार की रोक-थाम के लिए आकस्मिक छापे, प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं की जांच, भण्डार, निर्माण कार्यों, डिपों आदि का निरीक्षण और अनुशासनिक कार्यवाइयों की प्रगति पर निगाह रखना । जहां आवश्यक जान पड़ता है, वहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता भी ली जाती है ।

रेलवे कुलियों के लिये भविष्य निधि योजना

6333. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या रेलवे मंत्री 2 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कुलियों के लाभ के लिये एक भविष्य निधि योजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे कुलियों की निःशुल्क शिक्षा एवं मुफ्त इलाज की सुविधायें दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस सुविधा का अनुमानतः कितने कुली लाभ उठा रहे हैं; और

(ङ) लाइसेंस शुल्क के रूप में प्रति वर्ष रेलवे कुलियों से इक्ट्ठे किये गये धन में से उन्हें क्या क्या लाभ दिये जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी नहीं। क्योंकि लाइसेंसदार भारिक रेल कर्मचारी नहीं हैं।

(ग) लाइसेंसदार भारिकों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएं नहीं दी जातीं। लेकिन, लाइसेंसदार भारिकों को रेलवे के औषद्यालयों-अस्पतालों में बहिरंग रोगी के रूप में केवल अपना मुफ्त इलाज कराने की अनुमति है।

(घ) इस सुविधा का लाभ कितने लाइसेंसदार भारिक उठा रहे हैं इनके आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) लाइसेंस शुल्क "न लाभ न हानि" के आधार पर केवल पर्यवेक्षण का खर्च और जहां वर्दी दी जाती हैं वहां वर्दी का खर्च पूरा करने के लिए निश्चित किया जाता है। इसलिए इस रकम को कल्याण कार्यों पर खर्च करने का सवाल नहीं उठता।

जामनगर-जोढिया-पीपलिया-शापुर-सुसवाव-हलवद रेल सम्पर्क

6334. **श्री श्रीराज मेघराजजी धरंगधरा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जामनगर-जोढिआ-पीपलिया-शापुर-सुसवाव-हलवद रेल सम्पर्क अथवा इसी तरह का रेल सम्पर्क विचाराधीन था और उसके लिए सर्वेक्षण भी किया गया था; यदि हां, तो उसका रेखांकन क्या था और उसके बारे में रिपोर्ट क्या थी;

(ख) इस सम्बन्ध में धरंगधरा प्रस्ताव दिनांक 10 दिसम्बर, 1963 पर, जिसकी रूप रेखा सरकार की धरंगधरा स्मरण-पत्र (मैमोरियल) संख्या 2 (दिनांक 26जनवरी, 1964) में भी दी गई थी, क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राजकोट-सुरेन्द्र नगर-परिमगाम सैक्शन पर बहुत अधिक भीड़ रहती है और बहुत सा माल भेजने के लिये पड़ा रहता है;

(घ) क्या उक्त जामनगर-हलवद रेल सम्पर्क से यातायात सुविधाजनक हो जायेगा और एक नये क्षेत्र का विकास संभव हो जायेगा और क्या उक्त सम्पर्क से ओखा-जामनगर यातायात के लिये एक छोटा और शीघ्रगामी मार्ग तैयार हो जायेगा तथा बेट, ओखा, सलाया, सिक्का, बेडी जोढ़िआ और नवलखी बन्दरगाहों के लिये सुविधाजनक मार्ग होगा; और

(ङ) यदि हां, तो जामनगर-हलवद लाइन की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री(श्री चे मु० पुनाचा) : (क) 1956-57 में धरंगधरा और जोडिया के रास्ते मालिया मियाना से जामनगर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए अभिदर्शन इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे लेकिन यह प्रस्ताव अलाभप्रद पाया गया।

(ख) सौराष्ट्र उत्तरी लाइन, अर्थात हलवद-मोर्वी मीटर लाइन और उसका जामनगर तक विस्तार करने के लिए धरंगधरा प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन उसका औचित्य नहीं पाया गया। 1965 में तत्कालीन रेल उपमंत्री ने धरंगधरा के हिज़ हाईनेस महाराजा राजासाहेब को यह स्थिति ब्यौरेवार बता दी थी।

(ग) राजकोट वांकानेर खण्ड का इस समय अत्यधिक उपयोग हो रहा है। पर्याप्त संख्या में डीजल रेल इंजन उपलब्ध होते ही इस खंड पर डीजल कर्षण शुरु किया जायेगा और तब इस पर अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न हो जायेगी। वांकानेर से आगे विरमगाम तक इस खण्ड पर पर्याप्त क्षमता मौजूद है।

(घ) भुण्ड-काण्डला बड़ी लाइन और मालिया-स्थित नये यानान्तरण स्थल से यह मदद मिलेगी कि कुछ यातायात उस रास्ते से होने लगेगा। ओखा जाने वाला यातायात पर्याप्त रूप से सम्हाला जा रहा है और, जैसी कि योजना है, राज-कोट-हापा खण्ड पर डीजल कर्षण शुरु होने से और अधिक क्षमता उपलब्ध हो जायेगी। जिन बन्दरगाहों की चर्चा माननीय सदस्य ने की है, उन सभी की आवश्यकताएं भीतरी प्रदेश से सम्बद्ध मौजूदा मीटर लाइनों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती हैं।

(ङ). प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

भुण्ड-धरंगधरा रेलवे लाइन

6335. **श्री श्रीराज मेघराज जी धरंगधरा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार-भुण्ड-धरंगधरा रेलवे लाइन को शीघ्रता से पूरा करने का है और उसने इस संबन्ध में मूल कार्यक्रम पर पुनर्विचार करके उसमें परिवर्तन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह लाइन कब तक पूरी हो जाएगी तथा चालू हो जाएगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) भुण्ड- कांडला बड़ी लाइन को पूरा करने की निर्धारित तारीख अक्तूबर, 1969 है। फिर भी भुण्ड-धागधरा भाग की दिसम्बर, 1967 के अन्त तक, माल यातायात के लिए खोल दिये जाने की संभावना है।

अहमदाबाद में सूती कपड़े की मिलें

6336. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद में कुछ सूती कपड़ा मिलों में श्रमिकों को नगद पैसा देकर निर्धारित समय के बाद तथा साप्ताहिक छुट्टियों में काम दिया जा रहा है;

(ख) क्या इन श्रमिकों के नाम स्थायी पदालि में दर्ज न करने के लिये ऐसा किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार दिये जा रहे काम को नियमित काम की पारियों में कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) श्रमिकों के स्थायी बनाये जाने के अधिकार की रक्षा करने तथा इस बात के लिये कि कपड़ा मिलों में कम से कम बेरोजगारी हो, क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : यह विदित हुआ है कि श्रम आयुक्त तथा कारखानों के मुख्य निरीक्षक को सूचना देने के उपरान्त अहमदाबाद में कुछ सूती कपड़े की मिलें आकस्मिक श्रमिकों को लगा कर साप्ताहिक छुट्टियों में भी कार्य कर रहीं हैं। चूंकि वर्तमान श्रम सम्बन्धी कानूनों से ऐसे काम को विशेषत: नहीं रोका जा सकता, अत: श्रमिकों को नियमित कार्यचालन पालियों में लगाने तथा उनके स्थायित्व सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

शाही बाग समपार (पश्चिम रेलवे) में हाल्टिंग स्टेशन

6337. **श्री द० रा० परमार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिगनल न होने अथवा अन्य कारणों से मेहसना की ओर से अहमदाबाद को जाने वाली गाड़ियां प्राय: शाहीबाग रेलवे फाटक पर जो कि साबर मती और अहमदाबाद के बीच में हैं, रुक जाती हैं और सैंकड़ों यात्री गाड़ी से उतर जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा के लिये शाहीबाग में एक हाल्टिंग स्टेशन की व्यवस्था करने का है जिससे अहमदाबाद को आने वाले यात्रियों की संख्या भी कम हो जायेगी;

(ग) क्या शाहीबाग में एक हाल्टिंग स्टेशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कभी-कभी कलोल और मेहसाना की ओर से आने वाली गाड़ियों को साबरमती और अहमदाबाद के बीच सिगनल सम्बन्धी खराबियों और परिचालन सम्बन्धी कुछ अन्य कारणों से रुकना पड़ता है। लेकिन इस तरह के मामले बहुत कम होते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) इस प्रस्ताव की जांच की गई थी, लेकिन पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

गिरधरनगर तथा असारवा में रेलवे समपार

6338. **श्री ब०रा० परमार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी रेलवे समपार पर ऊपरी पुल बनाने के लिये सड़क यातायात भार के बारे में क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या ये मापदण्ड गिरधरनगर तथा असारवा समपारों पर ऊपरी सड़क पुल बनाये जाने के लिये पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(**रेलवे मंत्री चे० मु० पुनाचा**) : (क) आमतौर पर रेल प्रशासन वर्तमान व्यस्त समपारो की जगह ऊपरी सड़क पुल के लिए तैयार हो जाते हैं बशर्ते वर्तमान नियमों के अनुसार उनकी योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की गयी हो और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी अपने हिस्से की लागत देने के लिए तैयार हों।

(ख) और (ग) पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद और साबरमती तथा अहमदाबाद और असरवा स्टेशनों के बीच स्थित गिरधरनगर और असरवा दोनों समपार व्यस्त समपार हैं। लेकिन इनकी जगह ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से कोई निश्चित सुझाव नहीं मिला है। जब राज्य सरकार निश्चित सुझाव भेजेगी और यह बतायेगी कि नियमानुसार पहुंच-मार्गों आदि के निर्माण में अपने हिस्से की लागत वह किस वर्ष जुटा पायेगी, तो रेल प्रशासन इन समपारों की जगह ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए तैयार हो जायेगा।

कालोल स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर प्लेटफार्मों पर शेड

6339. **श्री ब० रा० परमार** :
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी रेलवे के कालोल (नैरोगेज) स्टेशन पर प्लेट फार्मों पर यात्री शैड बिल्कुल अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान यात्री शेडों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) इस स्टेशन पर किसी भी समय चढ़ने-उतरने वाले यात्रियों की संख्या और प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था के लिए निर्धारित मानक को देखते हुए, कालोल स्टेशन के वर्तमान शैडों को अपर्याप्त नहीं समझा जाता।

फिर भी, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, इसके द्वीप प्लेटफार्म की छत में 2000 वर्ग फुट का विस्तार किया जा रहा है और 7080 वर्ग फुट तक और विस्तार करने की योजना बनाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Stopping of trains at Shivanarayanpur Station on Eastern Railway.

6340. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Shivanarayanpur Station on the **Eastern** Railway is an important centre of Gur business;

(b) if so, the justification in not stopping 13Up and 14 Down trains at that station; and

(c) whethere it is a fact that Gur dealers, public and the legislator from that constituency have to face great inconvenience due to non-stoppage of 13Up and 14 Down trains at that station?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) **Yes.**

(b) The quantum of long distance traffic offering at Shivanarayanpur Station is not such as to justify provision of stoppages of 13 Up 14 Dn. Upper India Expresses there.

(c) The existing services, namely, 10 trains adequately cater to the needs of the traffic offering there.

Stopping of Trains at Ekchari Halt in Eastern Railway.

6341. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Danapur Fast passenger and the 13Up trains do not stop at Ekchari halt on Howrah Sanibganj Loop (Eastern Railway) consequent to which the passengers and the Legislators intending to get down at the said station have to face much difficulty;

(b) whether it is also a fact that there are no arrangements for issuing tickets on the legislators' coupons at the said station; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in affirmative, the reasons therefor and the action taken to remove the resultant hardship?

The Minister of Railways (Shri C M. Poonacha) : (a) 13 Up Upper India Express and 327 Up Howrah-Danapur Fast Passenger are not scheduled to stop at Exchari Halt station.

(b) **Yes,**

(c) There is no justification for stopping 13 Up Upper India Express and 327 Up Howrah-Danapur Fast Passenger, as the quantum of long distance traffic offering at Ekchari Halt station, that is, for distances of 160 kilometres and beyond is negligible. Halt stations are mainly worked by Contractors who purchase III class tickets and issue them to the intending passengers. The Contractors are not competent to issue tickets against coupons issued to legislators.

बेलाडिल्ला (मध्य प्रदेश) से जापान को भेजा गया लौह-अयस्क

6343. **श्री झा० सुन्दरलाल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में मध्य प्रदेश में बेलाडिल्ला से जापान तथा अन्य देशों को कुल कितना लोहा-अयस्क भेजा गया; और

(ख) इसके निर्यात से उक्त अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1966-67 में बेलाडिल्ला से लौह-अयस्क का कोई निर्यात नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बस्तर जिले में खनिजों तथा तेल का सर्वेक्षण

6344. **श्री झा० सुन्दरलाल :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कोई खानों अथवा तेल के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा बस्तर जिले में खानों के सम्बन्ध में किया गया सर्वेक्षण लगभग पूरा हो गया है और इस संबन्ध में आगे कार्य किया जा रहा है । अब तक की की गई जांच के परिणाम स्वरूप वहां प्रयोग करने योग्य लोह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट का पता लगा है । उस जिले में इन खनिज पदार्थों बेयोक्साइट, ओचरेस, ताबा अयस्क, शीशा, अन्डालूसिट लेपिडोलिट, कोरन्डम, ग्रेफिटी, फिलूओरस पर एसबेस्टोस और चिकनी मिट्टी का भी पता लगा है । 1967-68 के दौरान भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा जिले के विभिन्न भागों में किये गये सर्वेक्षण के अतिरिक्त बेलाकिडिला में लोह अयस्क और पोटोनार-बोरंजी नगर घाटी और पोटोनार-बोरंजी क्षेत्रों में चूने पत्थर की विस्तृत जांच की जायेगी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खान विकास निगम ने बस्तरे जिले के बेलादिल के तीन लोह अयस्क के स्थानों जिनका नम्बर 14,5. और 4 है पर सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया है । डिपोजिट न० 14 पर एक खान जिसकी वार्षिक क्षमता 5.5 करोड़ टन लोह अयस्क उत्पादन करने की है, का विकास किया जा रहा है । डिपोजिट न० 5 पर 2.75 करोड़ टन

वार्षिक उत्पादन करने वाली खान का विकास किया जा रहा है । (इसमें 0.75 करोड़ टन का जुर्माना भी शामिल हैं) डिपोजिट न०4 के सम्बन्ध निगम द्वारा गवेषणा की जानी है । इस जिले में तेल के सम्बन्ध के कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

Export of Telephone Apparatus

6345. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether the export of telephone apparatus has recently increased;

(c) if so, the extent of this increase;

(c) the names of foreign countries to which telephone apparatus is exported by India;

(d) the value in terms of rupees of telephone apparatus which is annually exported by India;

(e) whether the Indian made telephone apparatus is superior to that manufactured in Britain and U. S. A.; and

(f) if not, the steps proposed to be taken by Government to improve the quality ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir

(b) to (d) A statement is laid on the Table of the House [**Placed in Library See No.** L. T. 1137/67]

(e) The telephone apparatus manufactured by the Indian telephone industries Ltd. , Bangalore are comparable to those manufactured in Britain and the U. S. A.

(f) Does not arise.

Mica Industry in India

6346. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar ;
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the place of India among the mica producing countries of the world;

(b) whether the condition of export trade in mica in this country is unsatisfactory;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken by Government to export mica to socialist as well as the newly liberated countries ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) (a) India holds first position among the mica producing countries of the world.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) India exports Mica to the socialist countries also under Bilateral Trade Agreements. There is, however, not great demand in the newly independent countries.

Export of ready-made Garments

6347. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is fact that the demand for Indian ready-made garments is increasing in foreign countries;

(b) if so, the value of the ready-made garments exported by India during 1966-67 and the names of the countries to which these were exported; and

(c) the steps taken by Government to increase their export further ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House [**Plased in Library See No. LT.1138/67**]

Cardamom Industry

6348. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Commerce be pleased to state ;

(a) the amount of annual foreign exchange earnings from Cardomom industry in India;

(b) whether the demand for the Indian Cardamom has recently gone up in Kuwait and Iran;

(c) whether Government are considering any scheme to increase the production of Cardamom and for developing this industry in view of these facts; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) the foreign exchange earnings during 1966-67 amounted to Rs. 81.1 millions.

(b) Not as far as Government are aware, Sir,

(c) and (d) The following schemes are at present under consideration;-

(i) Scheme for Eradication of 'Katte, disease which is reported to be the most significant impediment in the way of increasing production;

(ii) Scheme for supply of Sprinkler Irrigation equipment etc. to the planters on Hirepurchase basis;

(iii) Loan Scheme for giving financial assistance to planters;

(iv) Scheme for supply of fertilizers and plant protection chemicals to planters at subsidised rates; and

(v) Research Scheme.

Export of Umbrellas

6349. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of Indian Umbrellas has declined recently as a result of the reduction in imports of these Umbrellas affected by Tazania Tanzania and Ethiopia;

(b) if so, the steps Government propose to take to increase the export of Umbrellas; and

(c) the annual foreign exchange earnings from the export of Indian Umbrellas ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Export of umbrellas has been declining for some time. The reduction in imports by Tanzania and Ethiopia has contributed to the decline;

(b) The following measures have been taken to step up exports:-

(i) Import replenishment is allowed at 10% off. o. b. value, of exports of Umbrellas,

(ii) cash assistance against exports at 20% of f. o. b. value, and

(iii) replenishment of indigenous Iron and steel at international prices.

(c) Value of exports of umbrellas and parts in the last few years is indicated below:-

(Value in Rs. lakhs)

1964-65	1965-66	1966-67 (April-February)
35.74	24,94	10.00

Setting up of Industries in Maharashtra

6350. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the amount allocated by Government to establish new industries in Maharashtra during the Fourth Five Years Plan period;

(b) the names of the proposed new industries; and

(c) the names of places at which these industries would be set up ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) According to the provision made in the Draft outline of the Fourth Five Year Plan, the industries proposed to be established in Maharashtra in the Central sector during the Fourth plan period, their locations and the tentative allocations made for them are as under :-

Name of the Project	Location	Outlay Provide in the Fourth Plan (Rs. Crores)
1. Organic Intermediates plant	Panvel	28.00
2. Koyna Aluminium	Koyna	38.70
3. New Foundry Forge	Wardha	23.00
4. Expansion of Trombay Ferlilisor Project	Trombay	30,00

The position regarding the Foundry Forge Project at Wardha is presently under review in the light of the latest demand Position. The financial provisions of the other projects are also being reviewed in the light of the revised cost estimates.

Paper Factory in Maharashtra

6351. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Draft outline of the Fourth Five Year Plan, there is a proposal to set up a paper factory in Maharashtra during the first Year of the plan period; and

(b) if so, the action taken in regard thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali-Ahmed) : (a) There is a proposal to set up a paper factory in Maharashtra state but it was not possible to do so in the first year of the Fourth plan period.

(b) A project report for his sheme is being prepared by M/S. Simon Handling and Engineering Co. of U. K. which, after its receipt, will be examined by the Government of Maharashtra.

ग्रैंड ट्रंक रोड तथा राष्ट्रीय राजपथों पर रेलवे के समपार तथा पुल

6352. **श्री जैना :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्र नाथ : **श्री दे० ग्रमात :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्थानों पर ग्रैंड ट्रंक रोड तथा अन्य राष्ट्रीय राजपथ रेलवे लाइनों को काटते हैं;

(ख) ऐसी लाइनों पर कितने ऊपरी निचले पुल हैं तथा चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले कितने फाटक हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी राजपथों पर ऊपरी तथा निचले पुल बनाने का है जहां यातायात अधिक रहता है; और

(घ) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने तथा किन किन स्थानों पर पुल बनाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 474.

(ख) लाइन के ऊपर/नीचे सड़क पुल 117

चौकीदार वाले समपार 355

चौकीदार रहित समपार 3

(ग) आतौर पर रेल-प्रशासन व्यस्त समपारों के स्थान पर लाइन के ऊपर/नीचे सड़क पुल बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं बशर्ते वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उनकी निश्चित योजनाएं प्रायोजित की गयी हों और सम्बन्धित राज्य सरकार या सड़क प्राधिकारी अपने हिस्से की लागत देने के लिए तैयार हों।

(घ) अब तक विभिन्न राज्यों की ओर से चौथी योजना में जिन 53 पुलों को बनाने का सुझाव अस्थायी रूप से आया है, उनके ब्यौरों का संलग्न विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1139/67] लेकिन इनमें से वस्तुतः केवल उन्हीं योजनाओं को हाथ में लिया जायेगा, जिनके सभी तकनीकी ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा और जिनके लिए राज्य सरकारें अपने हिस्से के काम को हाथ में लेने के लिए आवश्यक प्रबन्ध और रकम की व्यवस्था कर लेंगी।

Manufacture of Handloom and Powerloom Products in Madhya Pradesh

6353. **Shri G, C. Dixit :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantity of handloom products and Powerlooms products manufactured in Madhya Pradesh in 1966–67, separately;

(b) the quantity of yarn used in the handlooms and powerlooms separately during the said period;

(c) the quantity of different counts of yarn used separately in the handlooms and powerlooms; and

(d) the amonnt given during the said period to Madhya Pradesh for developing handloom and Powerloom industries in the State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Rs. 534,000 for Handloom industry. No amount has been given for powerloom industry.

लम्ब्रेटा स्कूटरों की बिक्री

6354. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लम्ब्रेटा स्कूटर के निर्माता संशोधन-पूर्व तथा संशोधनोत्तर मूल्यों पर मशीनों की सप्लाई करने में भेदभाव कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि संशोधन-पूर्व मूल्यों पर बेचे गये स्कूटरों के साथ फालतू पहिये और ब्रैकिट नहीं थे तथा अन्य पुर्जे भी घटिया किस्म के थे, जबकि बढ़े हुए मूल्यों पर बेचे गये स्कूटरों के साथ सारा सामान लगा हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन ग्राहकों ने ये स्कूटर गत मार्च में खरीदे थे उन्हें अत्यावश्यक सामान भी अभी तक नहीं दिया गया है; और

(घ) भविष्य में ग्राहकों को ऐसी असुविधा न होने देने के लिये निर्माताओं को अनुदेश देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) टायरों की कमी होने के कारण जनवरी, 1967 से लम्ब्रेटा स्कूटर के निर्माता स्कूटरों को फालतू पहिये और ब्रैकिट के बिना बेच रहे हैं । सरकार को किसी विशेष सप्लाई किये गये स्कूटरों में घटिया पुर्जों के सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) स्कूटर निर्माताओं ने सरकार को यह सूचना दी है कि कम की जाने वाली ब्रैकिट की सप्लाई को पूरा किया जा रहा है । फालतू पहियों की की जाने वाली सप्लाई को भी वैसे ही पूरा किया जायेगा, जैसे ही निर्माताओं द्वारा पर्याप्त मात्रा में पहिये सप्लाई किये जायेंगे ।

स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों की किस्म

6355. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में घटिया किस्म के स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों का निर्माण हो रहा है;

(ख) क्या इस शिकायत की जांच करने के लिये सरकार का विचार उसी प्रकार की समिति बनाने का है जिस प्रकार की मोटरकारों के बारे में बनाई गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत में घटिया किस्म के स्कूटर निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं

जिन्हें निर्माताओं के पास उचित कार्यवाही करने के लिये सौंप दिया गया है। देश में घटिया किस्म के स्कूटरों तथा मोटर-साईकिलों के निर्माण के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मोटरकारों के सम्बन्ध में बनाई गई समिति के समान इसके लिये कोई समिति बनाने का अभी कोई प्रश्न नहीं उठा है।

कोयला नियन्त्रक (मुख्यालय कार्यालय) कर्मचारी संस्था, कलकत्ता

6356. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला नियन्त्रक (मुख्यालय कार्यालय) कर्मचारी संस्था, कलकत्ता से विधिवत् (थ्रू प्रोपर चेनल) एक अभ्यावेदन मिला है जिनमें सम्बन्धित कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के मामले में सरकार से अपना विनिर्णय देने की प्रार्थना की गई है;

(ख) यदि हां, तो वह कब मिला था;

(ग) क्या विवादों की जांच करने तथा उन पर अपनी राय देने के लिये इसे गृह कार्य मंत्रालय को भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) कोयला नियन्त्रक (मुख्यालय) कर्मचारी संघ से 20-4-1967 को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो कि कोयला नियन्त्रक के मुख्यालय में अवर श्रेणी लिपिकों की ज्येष्ठता निश्चित करने में बरते गये सिद्धान्त के विषय में है।

(ग) हां, महोदय।

(घ) विषय अभी विचाराधीन है।

कोयला नियन्त्रक का प्रधान कार्यालय संगठन

6357. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि 2 जनवरी, 1944 से 21 दिसम्बर, 1959 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले एक समान सिद्धान्त का पालन कोयला नियन्त्रक के मुख्यालय में नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 21 दिसम्बर, 1959 तक कोयला नियन्त्रक के संगठन के स्थायी किये गये सभी लोअर डिवीजन कर्मचारियों को 1956 के सरकारी आदेशों के अनुसार लगातार सेवा काल के आधार पर स्थायी किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(ङ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी कार्यालयों के जिन कर्मचारियों को लगातार सेवाकाल के आधार पर नहीं अपितु अपनी पारी से बाहर स्थायी किया गया था, बाद में उनकी वरिष्ठता उस संवर्ग में नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की गई है, न कि उनको स्थायी करने की तिथि से, और

(च) यदि हां, तो क्या कोयला नियन्त्रक के संगठन में इस सिद्धान्त का पालन किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) कोयला नियन्त्रक के मुख्यालय में अवर श्रेणी लीपिकों की ज्येष्ठता निश्चित करने के लिये उसी सिद्धान्त का अनुकरण किया गया जो भूतपूर्व उत्पादन मंत्रालय के आदेश दिनांक 27 अगस्त, 1956 में दिया हुआ है। जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1150/67]**

(ग) और (घ) कोयला नियंत्रक कार्यालय के अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक 1956 के आदेश के आधार पर निश्चित की गई ज्येष्ठता के अनुसार स्थायी किये जाते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित बनजातियों के कर्मचारी आरक्षित कोटे के अनुसार स्थायी किये जाते हैं।

(ङ) और (च) कोयला नियंत्रक के कार्यालय में, 1956 के आदेश अपनाने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित बनजातियों के कर्मचारी आरक्षित कोटे के अनुसार स्थायी हो जाने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित बनजातियों के स्थायी न हुए कर्मचारियों से ज्येष्ठ हो जाते हैं। स्थायी अधिकारियों की ज्येष्ठता उनके स्थायी होने की तिथि के हवाले से मानी जाती है, न कि उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार। केन्द्रीय सरकार के दूसरे कार्यालयों में जहां 1959 के आदेश लागू किये जाते हैं, इन्हीं सिद्धान्तों का अनुकरण होता है।

Criteria for Constituting Railway Committees

6358. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the criteria for constituting various Railway Committees;

(b) whether the members of such Committees are elected by Members of Parliament or nominated by him; and

(c) whether Government propose to make them an entirely elected body ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) Railway Committee are constituted with reference to the importance of the problem requiring investigation, as determined by Government or as reflected by public opinion or in discussion in the Parliament on the subject.

(b) The Members of such Committees are not elected by the Parliament. They are nominated by the Minister, prior consultation with the Minister of Parliamentary Affairs being made in the case of nomination of Members of Parliament.

(c) No.

विकासशील देशों में व्यापार सम्बन्धी एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग सम्मेलन

6359. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अप्रैल, 1967 को टोकियो में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के तेईसवें अधिवेशन में इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय के अनुसरण में विकासशील देशों में व्यापार बढ़ाने के सम्बन्ध में एशियाई मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही की गई है; और

(ख) यह सम्मेलन कब होने वाला है तथा इसमें किस कार्य सूची पर विचार किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है और न कार्य सूची ही तैयार की गई है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा तारों (केबलों) का आयात

6360. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तारों (केबलों) का आयात करता है, यद्यपि वे देश में मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खानों पर सरकारी स्वामित्व

6361. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय खान कर्मचारी संघ के प्रधान ने खानों पर सरकारी स्वामित्व होने का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय खान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा खानों के सांझे स्वामित्व के विषय में प्रकट किये गये विचारों से सरकार अवगत है। तथापि सरकार को उनसे इस विषय में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। खनन उद्योग के विषय में सरकार की नीति अप्रैल, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में दी हुई है और इस समय इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

Import of Yugoslav Tractors

6362. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Yugoslav tractors are in short supply at present;

(b) whether Government have decided to import tractors from other countries to meet the demands of the farmers;

(c) the number of farmers of traders who have deposited money with the Indian companies supplying the Yugoslav tractors and the amount thereof; and

(d) the arrangements made by Government to supply tractors to these persons ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) There have been no imports of tractors of Yugoslav origin.

(b) As indigenous production of tractors is not able to meet the requirements of the country fully, agricultural tractors are imported from USSR. Czechoslovakia and Poland.

(c) No information is available.

(d) Does not arise,

Derailment at Jaswant Nagar Station

6363. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the engine and bogies of 39-UP Janata Express Train were derailed at Jaswant Nagar between Shikohabad and Etawa Railway Stations as reported in the Hindustan dated the 11th April. 1967;

(b) if so, whether any enquiry has been made regarding the causes of the derailment; and

(c) the loss of life and property as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The accident occurred on 9.4.1967.

(b) Yes.

(c) There was no loss of life. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 2,550/-.

Accident at Hajipur Station (N. E. Rly.)

6364. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that twelve persons received injuries in a railway accident at Hajipur Station on the North-Eastern Railway on the 10th April, 1967;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) An accident occurred at Hajipur station on 9.4.1967 in which 23 passengers of 81 up passenger sustained minor injuries.

(b) The accident was caused by the shunting movement of the engine of train No. 2CS Down goods on way to goods shed being wrongly performed through line No. 1, which was already occupied by train No. 81 Up Passenger.

(c) Disciplinary action against the railway staff held responsible for this accident, is in progress.

Collision of Mussoorie-Delhi Express Train with a Truck in April, 1967

6365. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mussoorie-Delhi Express Train collided with a truck between Gajraula Junction and Dhanaura station on the 10th April, 1967;

(b) if so, the loss of life and property caused as a result thereof;

(c) the causes of the accident; and

(d) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The accident occurred on 8.4.1967.

(b) In this accident no one was killed. However, 2 persons received minor injuries. There was no damage to railway property.

(c) The accident was caused by the negligence of the truck driver who attempted to cross the railway track in the face of the approaching train.

(d) The driver of the truck held responsible for this accident, is being prosecuted by the police.

Over-Bridge at Simbhooli Station

6366. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any survey was made in connection with the construction of an over-bridge at Simbhooli Station;

(b) if so, the result thereof; and

(c) the time by which the over-bridge is likely to be constructed at this important station for the convenience of the passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Foot over bridges are provided by the Railways to enable the passengers to go from one platfrom to another, on a programmed basis, Considering the extent of passenger traffic at this station and the fact that foot path connecting the two platforms have already been provided at either end, provision of a foot over-bridge at this station at present, has not been found justified.

(c) Does not arise.

पांशाकुड़ा रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) से पान का बुक किया जाना

6367. **श्री दत्तात्रेय कुन्टे :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ह० प० चटर्जी : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के पांशकुड़ा रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न भागों के लिये प्रतिदिन पान (शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तु) की लगभग 900 से लेकर 1100 तक टोकरियां बुक की जाती हैं तथा भेजी जाती हैं और इस से भाड़े के रूप में लगभग 7 से 8 हजार रुपये प्रतिदिन प्राप्त होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर कोई माल गोदाम है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या वहां एक माल गोदाम बनाने की प्रार्थना बहुत समय पहले की गई थी; और

(ङ) पांशकुड़ा रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य के साथ-साथ वहां पर एक माल गोदाम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1966–67 में प्रतिदिन औसतन पान की 587 टोकरियां बुक की गयीं। दैनिक आमदनी 4,889 रुपये थी।

(ख) पान को पार्सल के रूप में बुक किया जाता है और इसलिए इन्हें पार्सल शैड में रखा जाता है। स्टेशन पर एक पार्सल शैड मौजूद है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) पांशकुड़ा में एक माल गोदाम बनाने के लिए 1956 में एक अभ्यावेदन मिला था ।

(ङ) पांशकुड़ा रेलवे स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन की योजना में माल गोदाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि इस समय पांशकुड़ा में जो यातायात होता है, वह पांशकुड़ा–हल्दिया लाइन खुल जाने से नयी लाइन के स्टेशनों से होने लगेगा । इस बीच, वहां एक अस्थायी माल गोदाम बनाने का प्रस्ताव है ।

Robbery in 334-Down Farakka Passenger Train (E. Railway).

6368. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 281 on the 31st March, 1967 and state :

(a) whether the Police investigation in connection with the robbery committed between Bansh Baria and Bandel Stations on the Eastern Railway has been completed and the concerned persons have been apprehended; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The case still is under police investigation. So far five persons have been arrested.

(b) Out of the five, one was discharged for want of evidence and the remaining four have been/identified. The case has been taken over by the CID/West Bengal for further investigation.

Looting of Ornaments in Janata Express Train on the N. Railway

6369. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to State :

(a) whether it is a fact that ornaments worth Rs. 1000 were looted by miscreants from a ladies' compartments of the Janata Express between Sarwan and Manoharganj Railway Stations of the Northern Railway on or about the 30th January, 1967; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) On receipt of information, a case on crime No. 53 under Section 395 IPC (dacoity) was registered and investigation was promptly initiated by Government Railway Police, Allahabad. Assistant Inspector General, Government Railway Police, Uttar Pradesh, Allahabad and Section Officer, Government Railway Police, visited the spot and supervised the investigation. The crime staff of Government Railway Police was also deputed to assist the investigating Officer. Two accused persons were arrested who are standing trial in the Sessions Court at Allahabad. Efforts are being made to round up the remaining accused.

विदेशों में रेलगाड़ियों के तेज गति से चलने की व्यवस्था का अध्ययन

6370. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में रेलगाड़ियों को तेज गति से चलाने की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कुछ इन्जीनियर विदेश जायेंगे, जिसका समाचार 20 अप्रैल, 1967 के 'पेट्रिआट' समाचार पत्र में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो विदेश जाने वाले इन्जीनियरों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके अध्ययन के परिणाम कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलाने की प्रणाली का अध्ययन करने के लिए इंजीनियरों को भेजने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संश्लिष्ट पत्थरों का निर्यात

6371. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संश्लिष्ट पत्थरों का निर्यात दिन-प्रति-दिन कम हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने तथा उनके निर्यात से आय को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अप्रैल, 1966 से मार्च 1967 की अवधि में 1.77 लाख डालर के तराशे हुए तथा पालिश किये हुए संश्लिष्ट पत्थरों का निर्यात हुआ था जबकि 1965-66 में 2.06 लाख डालर का निर्यात हुआ था। इससे पता लगता है कि केवल 0.29 लाख डालर की कमी आई।

(ख) संश्लिष्ट पत्थरों के निर्यात से आय को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) रत्नाभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद ने भारत-स्विस संश्लिष्ट रत्न निर्माता समवाय लिमिटेड, मेटुप्पालैम (इस देश में लाल तथा सफेद किस्म के संश्लिष्ट पत्थर बनाने वाला एकमात्र यही कारखाना है) के जयपुर स्थित अभिकर्ता से यह व्यवस्था की है कि तराशे हुए तथा पालिश किये हुए संश्लिष्ट पत्थरों के निर्माताओं को बिना तराशे हुए संश्लिष्ट पत्थर (सफेद तथा लाल) दिये जायें। पत्थरों को देने के सम्बन्ध में परिषद की सिफारिशों को निर्माताओं के अभिकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। कम्पनी से प्रार्थना की गई कि ये बिना तराशे हुए पत्थर उचित मूल्य पर दिये जायें ;

(2) रत्नाभूषण के पंजीकृत निर्यातकों के लिए निर्धारित आयात नीति के अन्तर्गत संश्लिष्ट पत्थरों के पंजीकृत निर्यातकों के लिये जहाज पर निःशुल्क मूल्य 25 प्रतिशत के आयात पुनर्भरण की व्यवस्था की गई है ; और

(3) अप्रैल 1966 में स्थापित रत्नाभूषण निर्यात सम्वर्द्धन परिषद संश्लिष्ट पत्थरों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भी प्रयत्न कर रही है ।

अफ्रीका के नवस्वतंत्र देशों के साथ व्यापार

6372. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अफ्रीका में नये स्वतन्त्र हुए देशों को भारत में निर्मित वस्तुओं तथा उत्पादों का निर्यात करके उनके बदले में वहां से आवश्यक खनिज तथा कच्चे माल का आयात करने के लिये समझौते करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अफ्रीका में नये स्वतन्त्र हुए देशों में से हम खनिज तथा कच्चे माल का आयात मुख्यतः तंजानिया, युगांडा, केन्या, ट्यूनिसिया, घाना, जाम्बिया तथा कांगो में करते हैं । इन देशो में से ट्यूनिसिया, युगांडा तथा तंजानिया से हमने पहले ही व्यापार करार कर लिए हैं । केन्या, कांगो, अल्जीरिया, जाम्बिया तथा मलगाओं के साथ व्यापार करार तथा प्रबन्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

6373. **श्री ना० स्व० शर्मा :** **श्री शारदानन्द :**
श्री रामसिंह अयरवाल : **श्री बृज भूषण लाल :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की कुल क्षमता कितनी है ;

(ख) विदेशों को प्रति वर्ष कितने रेलवे इंजनों का निर्यात किया जाता है ; और

(ग) उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने की वर्तमान क्षमता प्रतिमाह लगभग भाप के 10 और बिजली के 6 इंजन निर्माण करने की है ।

(ख) कोई नहीं ।

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा निर्मित सभी इंजनों का इस्तेमाल देश में ही किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में लम्बी रेल यात्रा के टिकटों की अनधिकृत बिक्री

6374. **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री शारदानन्द :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई रेलवे स्टेशन पर लम्बी यात्रा के रेल टिकटों की बिक्री में बड़े पैमाने पर की जा रही चोर बाजारी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या समाज विरोधी कार्य करने वाले लोग रेलवे कर्मचारियों से सांठगांठ करके निश्चित तिथि से बहुत पहले की टिकटें खरीद लेते हैं और फिर उन टिकटों को कई गुना दामों में जरूरतमन्द यात्रियों को बेच देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) रेल टिकटों की चोर-बाजारी की कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ग) जो उपाय किये जा रहे हैं, उनके ब्यौरों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०1140/67]**

1966-67 में लोहे और इस्पात का उत्पादन

6375. **श्री शारदानन्द :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :
श्री मि० सु० मूर्ति :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों में लोहे और इस्पात का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) इसी अवधि में कितनी मात्रा में इन धातुओं का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा 1966-67 में लोहे और इस्पात की उत्पादित मात्रा निम्नलिखित है :—

(हजार टनों में)

	भिलाई	राउरकेला	दुर्गापुर	जोड़
बिक्री के लिए कच्चा लोहा	535.1	58.7	201.0	794.8

बिक्री योग्य अर्द्ध इस्पात पिण्ड	577.1	3.2	149.9	730.2
इस्पात पिण्ड	721.8	637.4	390.5	1749.7

(ख) 1966-67 में भारत से निर्यातित लोहे और इस्पात की कुल मात्रा 4,70,854 टन थी जिसका जहाज तक निष्प्रभार मूल्य 20,00,71,176 रुपये है। हिन्दुस्तान स्टील ने 1966-67 में लोहे और इस्पात का निम्नलिखित निर्यात किया।

(मात्रा हजार टनों में, मूल्य हजार रुपयों में)

उत्पादक	कच्चा लोहा		इस्पात पिण्ड	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
राउरकेला	–	–	13.9	8353.7
भिलाई	158.2	41359.4	29.0	14587.3
दुर्गापुर	27.0	7633.1	35.6	18683.6
	185.2	48992.5	78.5	41624.6

जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय, जमालपुर

6376. **श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय, जमालपुर, पूर्व रेलवे के सचिव की ओर से इस संस्था का प्रबन्ध रेलवे बोर्ड द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस कालेज के अधिकारियों ने इस संस्था के कला (आर्टस) तथा विज्ञान विभागों के लिये एक इमारत बनाने हेतु समुचित तदर्थ अनावर्तक अनुदान दी जाने के लिये कोई अनुरोध किया है ;

(ग) क्या इस कालेज को हुए घाटे को पूरा करने के लिये मासिक अनुदान दी जाने के बारे में भी कोई अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) रेल मंत्रालय की यह नीति नहीं है कि वह प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंध अपने हाथ में ले या हायर सेकेन्डरी स्तर से ऊंची संस्थाओं को रेलवे राजस्व से आर्थिक सहायता देना मंजूर करे। इसलिये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

रिपब्लिक फोर्ज

6377. श्री मधु लिमये : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 2 दिसम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2878 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने से पूर्व तथा भारत के रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने से पूर्व ही अंश जारी करने के कारण डा० धर्म तेजा की फर्म रिपब्लिक फोर्ज के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : डा० धर्म तेजा की फर्म रिपब्लिक फोर्ज द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है।

(1) उन अनियमितताओं की स्थिति इस प्रकार है :—

अनुमानित रुपयों के प्राप्त होने से पहले शेयरों का दिया जाना

रिपब्लिकन फोर्ज कम्पनी के आडिटर के अनुसार जयंती कम्पनी से प्राप्त, डा० धर्म तेजा को अलॉट किये गये 10,100 शेयरों से प्राप्त 2,25,000 रुपयों के पांच चैकों को भुनाने में कम्पनी ने तीन चार महीने की देरी कर दी थी।

कम्पनी के डायरेक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में शेयरहोल्डरों को यह बताया है कि यह केवल एक भूल थी जिसको भविष्य में नहीं होने दिया जायेगा।

(2) रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना शेयरों का दिया जाना

डा० जे० धर्म तेजा ने इस कम्पनी के मुख्य प्रवर्तक और डायरेक्टर होने के नाते कम्पनी में 15 लाख रुपये लगाने का निर्णय किया और इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को डा० धर्म तेजा और श्रीमति रंजीत तेजा को 15,000 इक्विटी शेयर (जिनका प्रत्यक्ष मूल्य 15 लाख रुपये था) देने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र दिया। भारत के रिजर्व बैंक ने 18 मार्च, 1964 को डा० धर्म तेजा और श्रीमति तेजा को सौ सौ रुपये के मूल्य के 15,000 इक्विटी शेयर कैस एट पार पर निम्नलिखित शर्तों पर अलॉट किये गये :—

(1) डा० तेजा, जो अनिवासी है, को दिये गये शेयरों का अभिदान बैंकों द्वारा फ्रांस से नकद प्राप्त होगा और इसके प्रमाण के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का प्रमाण-पत्र कुछ समय बाद प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(2) दिये गये शेयर सर्टीफिकेट भारत में कम्पनी के पास रहेंगे। एक विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले व्यापारी के पास रहेंगे और रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना किसी भी हालत में उन्हें समाप्त नहीं किया जायेगा ।

इस अनुमति के परिणाम स्वरूप डा० धर्म तेजा को 27.3.1964 को 100 रुपये के 50 इक्विटी शेयर और 29.4.65 को 100 रुपये के 10,000 इक्विटी शेयर अलॉट किये गये । पहली शर्त को पूरा करने के लिये कम्पनी ने जयंत शिपिंग कम्पनी से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को एक प्रमाण पत्र इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत करने के लिये कहा कि डा० धर्म तेजा को अलॉट किये जाने वाले शेयरों की धन राशि बैंकिंग प्रणाली के अनुसार फ्रांस से प्राप्त कर ली गई है, जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने उत्तर में इस बात की पुष्टि की थी कि डा० तेजा की किताबों में 11,25,693.07 रुपये जमा थे । जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को जमा रकम को सिद्ध करने के लिये आवश्यक बैंक के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये थे । इसके पश्चात् रिजर्व बैंक आफ मद्रास ने अपने 12 मई, 1966 के एक पत्र में डा० तेजा को अलॉट किये जाने वाले 10,150 शेयरों को वैध बताया है । जहां तक दूसरी शर्त का प्रश्न है, शेयर प्रमाण पत्र अब भी कम्पनी के पास हैं ।

इण्डियन बैल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज (प्राइवेट) लिमिटेड, सेरामपुर

6378. **श्री मधु लिमये :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 29 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 560 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया बैल्टिंग कोल्ड स्टोरेज (प्राइवेट) लिमिटेड, सेरामपुर के हिसाब किताब के बारे में विशेष लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) कम्पनी द्वारा संतुलन-पत्र प्रस्तुत न किये जाने तथा वार्षिक सामान्य बैठक न बुलाई जाने के कारण उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि मुकद्दमा दायर किया जा चुका है, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) कम्पनी विधि बोर्ड ने, अपने आदेश दिनांक 10 नवम्बर, 1966 द्वारा निदेशित किया कि इण्डिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड के लेखे की 1 जुलाई 1959 से 30 जून

1965 तक की अवधि की विशेष लेखा-परीक्षा मैसर्स लोढा एण्ड कम्पनी, चार्टर प्राप्त लेखाकार, कलकत्ता के श्री आर० एस० लोढा द्वारा संचालित की जायगी। इसके परिणाम स्वरूप आदेश की वैधता पर प्रश्न करते हुये, कम्पनी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत एक याचिका मिसिल करने पर, उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने, विशेष लेखा-परीक्षक को, विशेष लेखा-परीक्षा के संचालन से अवरुद्ध करने के लिये एक अन्तरिम व्यदेश तामील कर दिया। मुख्य याचिका अभी तक न्यायालय के समक्ष अनिर्णित है। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 370 का आरोपित उल्लंघन, कम्पनी द्वारा इण्डिया वैल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, 1,51,825 रुपयों का कर्ज, विशेष लेखा परीक्षक द्वारा देखने का प्रश्न ही नहीं उठेगा, जब तक कि न्यायालय, मुख्य याचिका पर आदेश पारित न करे।

(ग) और (घ) 26 नवम्बर, 1966 को कम्पनी तथा इसके चार निदेशकों के विरुद्ध, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 162(1) तथा 220(3) के अन्तर्गत, 1965 के वर्ष के संतुलन पत्र तथा वार्षिक विवरणी के सम्बन्ध में मुकद्दमा दायर किया गया। 18 मई, 1967 को अभियुक्त दोषी प्रमाणित किये गये व प्रत्येक गणना पर प्रति 10 रुपये जुर्माना किया गया। न्यायाधीश ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 614 ए के अन्तर्गत, अभियुक्तों को 19 अक्तूबर, 1967 तक प्रलेख मिसिल करने का निदेश देते हुए भी आदेश पारित किये।

डंकन स्टार्टन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

6379. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री, 29 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय अधिनियम की धारा 295 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के आरोप में डंकन स्टार्टन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध इस बीच मुकद्दमा दायर किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुकद्दमे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1 जुलाई, 1967 को समवाय पंजीयक, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता द्वारा, दायर की गई एक याचिका पर, चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट कलकत्ता ने, कलकत्ता पुलिस के गुप्तचर विभाग को मामले की जांच करने तथा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

सफदर जंग हवाई अड्डे के समीप के फाटक पर ऊपरी पुल

6380. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सफदर जंग हवाई अड्डे के समीप वाले फाटक पर ऊपरी पुल बनाने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हा, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब पूरा हो जायेगा ; और

(ग) उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) निर्माण-कार्य तभी शुरू किया जायेगा जब अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया जाये कि पुल रेलवे लाइन के ऊपर बनना हैं या नीचे और सड़क प्राधिकारी धन की व्यवस्था कर दें।

(ग) यदि पुल लाइन के नीचे बना तो लगभग 2.06 करोड़ रुपये लागत आयेगी ओर यदि पुल लाईन के ऊपर बना तो लागत 1.26 करोड़ रुपये आयेगी।

Royalty on the Sale of Sand

6381. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that royalty is levied by the State Governments, if a farmer sells the sand from his own land ; and

(b) if so, whether the levy of this royalty comes under the purview of the Union List ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, The State Governments have been empowered under section 15(1) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 **inter alia** to prescribe royalty on sand, when it is classified as a minor mineral.

Manufacture of Buttons from Conch Shells in Bihar

6382. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that conch (seap) buttons are manufactured on a large scale in Mehasi, District Champaran (Bihar) ;

(b) if so, whether it is also a fact that the factories manufacturing conch (seap) buttons are out-dated ; and

(c) if so, whether Government propose to modernise the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) The industry is still functioning on the traditional pattern of a cottage industry.

(c) The Government of Bihar, which is dealing with this industry, has no particular proposal for its modernisation.

Manufacture of Buttons from Conch Shells

6383. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is fact that conch (seap) isa found only in the Sikrehna River (District Champaran, Bihar) ;

(b) if so, whether it is a fact that raw conch shells are taken out from the river and used for making buttons ;

(c) if so, whether it is a fact that if the taking out of conch shells from the river is not stopped, conch shells will become extinct in a short time ; and

(d) if so, the scheme being formulated by Government for their preservation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir. It has been ascertained from the Government of Bihar which deals with this industry that conch shells are also found in other rivers of Bihar such as Gandak, Kamla, Kareh and Kosi.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद्

6384. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तकनीकी सहायता समिति तथा राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद की कृषि उत्पादों सम्बन्धी सलाहकार समिति ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई ;

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) विदेशी तकनीकी सहायता समिति तथा राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद की कृषि उत्पादो सम्बन्धी सलाहकार समिति राष्ट्रीय उत्पादित परिषद के सरकारी निकाय की स्थायी समितियां हैं। ये समितियां विदेशी तकनीकी सहायता कार्यक्रम और कृषि उत्पादिता कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रतिदिन की समस्याओं पर चर्चा करने और इन मामलों में परिषद का मार्ग दर्शन करने के लिये नियतकालिक अपनी बैठक करते रहते हैं। इन समितियों को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाइसेंस प्राप्त कुलियों की हड़ताल

6385. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मोहसिन :
श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लाइसेंस प्राप्त कुलियों ने मई, 1967 में काम बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा उनकी मुख्य मांगें क्या थीं ; और

(ग) लोगों की सुविधा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) यह हड़ताल नयी दिल्ली स्टेशन पर लाइसेंसदार भारिकों की कमी को देखते हुए उनकी वर्तमान संख्या में वृद्धि करने के रेलवे के प्रस्ताव के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए की गयी थी । भारिकों ने मांग की कि इस स्टेशन पर भारिकों की संख्या में वृद्धि न की जाये ।

(ग) जनता की सुविधा के लिये किये गये उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) स्टेशन पर चौथे दर्जे के उपलब्ध कर्मचारियों जैसे सामान-भारिकों, पानी वालों, सफाई वालों आदि से यात्रियों का सामान उठाने का काम लिया गया ।

(ii) नगर निगम के भारिक भी यात्रियों का सामान उठाने के लिये लगाये गये ।

(iii) यात्रियों की सहायता करने और उन्हें परेशानी से बचाने के लिए स्काउट तैनात किए गये ।

(iv) यह प्रबन्ध किया गया कि पर्यवेक्षक कर्मचारी और अधिकारी दिन-रात निगरानी रखें ताकि जनता को कोई असुविधा न हो ।

Theft in Treasury at Delhi Main Railway Station

8386. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai
Shri A. B. Vajpayee :
Shri N. S. Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri R. S. Vidyarthi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rupees fifty-five thousand were stolen from the treasury of the Delhi Main Railway Station as reported in Nav Bharat Times dated the 3rd May, 1967 ;

(b) if so, the causes of the theft ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, but the amount involved was Rs. 54.800/-.

(b) and (c) A case of burglary under sections 380/457 I. P. C. has been registered with the Government Railway Police Delhi and police investigation is in progress. No arrest has been made, nor any property has been recovered so far.

मूल उद्योगों में उत्पादन

6387. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने तथा उनके उत्पान में वृद्धि के उद्देश्य से सरकार ने 300 मूल उद्योगों के प्रबन्धकों को अपने उद्योगों की प्रगति में बाधक समस्याओं के बारे में त्रिमासिक प्रतिवेदन भेजने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के नाम क्या हैं और इन प्रतिवेदनों के कब प्राप्त होने की संभावना है तथा उसके बाद उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) अब तक चुने हुए आधार पर जिन उद्योगों को कहा गया है, उनके नाम ये हैं।

औल्लाय तथा स्पेशल स्टील ; फैरो ओल्लामनान फैरोयस मेटलस (अल्युमिनियम, कोपर, जिन्क और लैड)

फरटिलाइजर

पेस्टीसाईडस

पैटरो कैमीकल (प्रोगरैस आफ कमलैक्सिस)

आटोमोबाइल (विशेषकर उद्योग में काम आने वाली गाड़ियां)

स्टील कास्टिंगस और स्टील फारगिंस

हैवी स्टरैकचरल जिसमें क्रेन भी शामिल हैं।

मशीन टूल (चुने हुए मद)

कपड़ा उद्योग में काम आने वाली मशीनरी, सीमेन्ट, कागज, खनिज और वासरीज

फांवड़े और भारी यंत्र

औद्योगिक विस्फोटक

वाल बेयरिंग

कृषि के प्रयोग में आने वाले ट्रैक्टर और बिजली से खेत जोतने वाले संयत्र

बिजली ओर संचार साधन के सयंत्र (केवल चुने हुए मद)

सीमेन्ट

कागज और

औषधि, औषध निर्माण विद्या सम्बन्धी (चुनी हुई मुख्य औषधियां)

डीजल इंजन

बिजली से चलने वाली मोटरें

माल बांधने का उद्योग

इन यूनिटों को क्रम से अपनी पहली रिपोर्ट 25 अप्रैल, 1967 तक भेज देने का निवेदन किया गया था। फिर भी कुछ यूनिटों से अभी उत्तर प्राप्त होने हैं।

विभिन्न उद्योगों में पाई जाने वाली संकीर्णता को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त रिपोर्टों की सम्बद्ध प्राधिकारियों की सलाह से जांच की जा रही है। कठिनाइयों को दूर करने के सभी सम्भव उपाय काम में लाए जा रहे हैं।

Reduction in Freights of Goods

6388. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 845 on 7th April, 1967, and state :

(a) whether the information in regard to the fixation of low freights for the transportation of some articles to the various parts of the country has been received ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The information has since been compiled and is given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT—1141/67]**

(c) Does not arise in view of the reply given to parts (a) and (b) of the question.

जेनेवा में कैनेडी राउन्ड व्यापार वार्ता

6389. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री स० मो बनर्जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री देवेन सेन :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री बीरेन्द्र नाथ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री क० नारायण राव :
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री रमानी :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मरंडी :
श्री स्वैल :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री चक्रपाणि :
श्री अब्राहम :
श्री एस्थोस :
श्री नायनार :
श्री अनिरुद्धन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कैनेडी राउन्ड फार्मूला के सम्बन्ध में वार्ता के असफल हो जाने के कारण भारत जैसे अल्प विकसित देशों को बहुत धक्का पहुँचा है ;

(ख) क्या खाद्य सहायता योजना सम्बन्धी अमरीकी प्रस्ताव भी कैनेडी राउन्ड व्यापार दल के अन्य सदस्यों को मान्य नहीं था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कैनेडी राउन्ड की जनेवा में हुई बैठकों के अन्तिम परिणामों के बारे में सरकार कुछ संकेत दे सकती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : माननीय सदस्यों का ध्यान कैनेडी व्यापार वार्ता के सम्बन्ध में लोक सभा 20 जुलाई 1967 को दिये गये मेरे वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है ।

Stenographers on Railways

6390. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 808 on the 7th April, 1967 and to state :

(a) whether information in regard to the Stenographers in the various grade on the Railways has since been received ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri C M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) A Statement is laid on the Tabe of the House. [Placed in Library See No. LT-1142/67].

(c) Does not arise.

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मशीनों के पुर्जों का गुम हो जाना

6391. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मूल्यवान मशीनी पुर्जों और उपकरणों का यदा कदा गुम हो जाना एक आम बात हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मई, 1967 के प्रथम सप्ताह में रोलिंग मिल्स के कार्यालय से 5 नई टाइप मशीनें गुम हो गई थी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस इस्पात कारखाने में द्वारों पर पहरा देने के लिये बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मचारी होने पर भी, जिनके प्रमुख भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं, कारखाने में चोरियां होने के परिणामस्वरूप अब तक लगभग 30 लाख रुपये की हानि हो चुकी हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) यह कहना सही नहीं है कि कीमती मशीन और उसके पार्टस पुर्जों की चोरी दुर्गापुर इस्पात कारखाने में प्रायः होती रहती है ।

(ख) 29-4-67 की रात को रोलिंग मिल के दफ्तर से पांच टाप्राइटरों की चोरी हुई थी ।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में पिछले तीन वर्षों में 5,14,466 रुपये के लागत के सामान के चोरी द्वारा गुम हो जाने की सूचना मिली है ।

चमड़े के माल का निर्यात

6392. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री मधु लिमये :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के माल के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या चमड़े के माल का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1963-64 के 65 लाख डालर के आंकड़ों की तुलना में 1965-66 में चमड़े के माल का निर्यात बढ़कर 96.9 लाख डालर हो गया । वर्ष 1966-67 के निर्यात में, जो 96.6 लाख डालर का हुआ, थोड़ी सी गिरावट आयी ।

(ग) चमड़े के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) उनकी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चमड़े के माल के निर्यात के बदले आयात पुनर्भरण की अनुमति दी जाती है ;

(2) चमड़े के निर्यात के बदले शुल्कों को वापस किया जाता है ; और

(3) चमड़े के माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कानपुर में स्थापित की गई 'तैयार चमड़ा तथा चमड़ा माल निर्यात संवर्द्धन परिषद' भी बाजारों का वहीं जा कर अध्ययन करने हेतु प्रतिनिधि मण्डलों, अध्ययन दलों तथा विक्रय दलों को भेजने, प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा विदेशों में बाजार सर्वेक्षण और प्रचार करने के रूप में संवर्द्धनात्मक कार्यवाही करती है। इन कार्यवाहियों के लिये अधिकांशतः विपणन विकास निधि से उपदान दिये जाते हैं।

रेलगाड़ी द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाना

6393. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायता कार्य के रूप में भारतीय रेलों ने कुछ अभावग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का कार्य आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, राज्य सरकारों ने मध्य, उत्तर तथा पूर्व रेलों से कुछ स्टेशनों पर पानी पहुंचाने का अनुरोध किया है। रेलों ने इस काम के लिये पर्याप्त टंकी डिब्बे चलाये हैं।

(ख) ब्यौरे का विवरण संभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1143/67]

रुपये में लेने देने के आधार पर व्यापार सम्बन्धी करार

6394. **श्री ना० कु० साल्वे :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच पड़ताल की है, कि क्या वे देश, जिन के साथ भारत रुपये में लेन देन करता हैं, भारत को सप्लाई किये जाने वाले अपने सामान का अधिक मूल्य तो नहीं लेते हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले तीन वित्तीय वर्षों में मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, लिमिटेड ने विदेशी ग्राहकों के साथ मैंगनीज की सप्लाई के सम्बन्ध में कितने करार किये थे ;

(ग) कितने करारों के सम्बन्ध में मूल करार के अनुसार अभी तक सप्लाई नहीं किया गया ;

(घ) कितने विदेशी ग्राहकों ने देर से अयस्क पहुंचने के बारे में शिकायतें की; और

(ङ) मिनरल्स एण्ड मैटल ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा करार के अनुसार माल सप्लाई न किये जाने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) निजी आयातकों को दिये गये थोड़े मूल्य के लाइसेंसों के सम्बन्ध में मूल्यों को चैक करना संभव नहीं है परन्तु सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिये अधिक मूल्य के माल के सम्बन्ध में मूल्य बातचीत करके तय किये जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि वे प्रतियोगी हैं।

(ख) 1964–65	कोई नहीं
1965–66	2
1966–67	3

(ग) जी, एक के सम्बन्ध में।

(घ) जी, किसी ने नहीं।

(ङ) जिस संविदान के सम्बन्ध में सुपुर्दगी करार के अनुसार नहीं की गई, विदेशी खरीदार ने उच्च वर्ग के मैंगनीज अयस्क का सौदा किया था। उस समय उच्च वर्ग के अयस्क की कमी थी और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने में कुछ विलम्ब हुआ था। जब तक माल प्राप्त हुआ तब तक रुपए का अवमूल्यन हो गया और मूल्य बातचीत करके तय करने पड़े। मई, 1967 में मूल्य परस्पर तय किये गये।

मध्य प्रदेश में आपरेशन हार्ड राक का कार्यक्रम

6395. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में झबुआ, पश्चिम निमाड़, होशंगाबाद, जबलपुर, शाहडोल, सिधी, रायगढ़, सरगुजा, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा बालघाट जिलों के भागों को आपरेशन हार्ड राक के कार्यक्रम में शामिल करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : रायगढ़ जिले के जशपुरनगर क्षेत्र के 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को छोड़ कर जो आपरेशन हार्ड राक के अधीन वर्तमान हवाई सर्वेक्षण के कार्यक्रम के अन्तर्गत है। मध्य प्रदेश के किसी दूसरे जिले का कोई भाग इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता।

Iron Ore in Hospet Area (Mysore)

6396. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that haemorrhoid iron ore has been found in large quantites in the Hospet area of Mysore State ;

(b) if so, the extent thereof ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Charna Reddy) : (a) Yes, Sir.

(b) The reserves of iron ore in the Ramandurg range of Hospet area (Bellary District) have been estimated at 330 million tonnes of 63% iron. Proving operations in Donimalai block are in progress and inferred reserves are estimated to be of the order of 250 million tonnes.

(c) The National Mineral Development Corporation is contemplating to exploit Donimalai mine in Sandur Taluk with rated capacity of 5 million tonnes of Run of Ore Mine ore per annum to produce about 2.5 million tonnes of lump and about 2 million tonnes of saleable fines for export purposes. The production from the area is envisaged at about 7-8 million tonnes per annum when the mine in the public sector is developed.

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

6397. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एककों में उप महा प्रबन्धकों के कितने पद हैं और उनके वेतन-क्रम क्या हैं ; और

(ख) वरिष्ठता, अनुभव तथा वेतन-क्रम के आधार पर कितने वरिष्ठ अधिकारी इस पद के लिये उपयुक्त थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस समय भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० में उप-महा प्रबन्धकों के तीन पद है। पदों का ब्यौरा इस प्रकार है

	वेतन मान
1. सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर (तकनीकी) हाई प्रेसर बॉयलर प्लान्ट, तिरुचिरापल्ली	2250 प्रति मास (स्थिर)
2. डिप्टी जनरल मैनेजर हैवी पावर इक्यूपमैन्ट प्लान्ट हैदराबाद	1800-100-2000-125-2250
3. डिप्टी जनरल मैनेजर हाई प्रेसर बॉयलर प्लान्ट तिरुचिरापल्ली	1800-100-2000-125-2250

पद	चुनने योग्य	पदाधिकारियों की संख्या
(ख) सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर (तकनीकी) तिरुचिरापल्ली		3
डिप्टी जनरल मैनेजर, तिरुचिरापल्ली		8
डिप्टी जनरल मैनेजर, हैदराबाद		10

आयात सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

6398. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री भगवान दास :
श्री कं० हाल्दर :
श्री रमानी :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में आयात विनियमों के उल्लंघन के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : 1-4-64 से 31-3-67 तक 446 मामले । 446 मामलों में विभागीय जांच की गई थी तथा पार्टियों को विशिष्ट अवधियों के लिये राज्य व्यापार निगम । खनिज तथा धातु व्यापार निगम से आयात निर्यात लाइसेंस व सीमा शुल्क निकासी परमिट प्राप्त करने तथा आयातित माल के आवंटन से वंचित कर दिया गया । 20 मामलों में सम्बन्धित फर्मों को विशिष्ट अवधि के लिये, जब तक विभागीय जांच पूरी न हो, लाइसेंस देना स्थगित कर दिया गया ।

उत्तर प्रदेश के लिये औद्योगिक लाइसेंस

6399. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में अब तक औद्योगिक लाइसेंसों की प्राप्ति के लिये कितने आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश से आये ; और

(ख) इसी अवधि में उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये तथा कितने अस्वीकृत किये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 24 (15 जुलाई, 1967 तक)

(ख)	स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की संख्या	2
	अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की संख्या	6
	जिनके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी उनकी संख्या	1
	अवलम्बित संख्या	15

पूर्वोत्तर रेलवे में स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था करना

6400. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में पूर्वोत्तर रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था की गई तथा इस कार्य पर कितना व्यय हुआ ; और

(ख) 1967-68 में पूर्वोत्तर रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1144/67**]

पूर्वोत्तर रेलवे में निम्न राजपत्रित सेवा के पद

6401. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 के पूर्वोत्तर रेलवे में कितने निम्न राजपत्रित पदों पर नियुक्तियां की गई ;

(ख) उनमें से कितने पद अनूसूचित जातियों तथा अनूसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आरक्षित हैं ; और

(ग) इसी अवधि में अब तक कितने आरक्षित पदों पर नियुक्तियों की गई हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 17 (सत्रह) ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Manufacturing Plant at Ballchhagarh near Delhi

6402. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the new manufacturing plant at Ballchhagarh near Delhi will be established with Indian and American businessmen's collaboration to produce electrical controls to serve India's growing industrial needs ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) ; (a) and (b) Yes, Sir. M/s. Cutler Hammer India Ltd., Calcutta were granted a licence under the Industries (Development & Regulation) Act on the 26th February, 1966 to establish a new undertaking at Ballabhgarh for the manufacture of power relays, Contactors, A-cross-the-line starters, limit switches, Push Buttons and Master stations and Thermostats. Government have also approved the terms of collaboration of the firm with M/s Cutler Hammer Inc of U. S. A.

Agreement Between I. R. C. A. and Its Employees Union.

6403. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there had been an agreement between the Chairman of the Indian Railways Conference Association and its Employees' Union in the year 1962 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) how far it has been implemented ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Presumably the reference is to a meeting held between the President, I. R. C. A. and the Union in 1961 (and not 1962 as stated in the question) at which a decision was taken by the President of the I. R. C. A. to abolish written test for assessing suitability for promotion from Clerk Gr. 110-180 to Clerk Gr. 130-300.

This decision was implemented until its review by the President, I. R. C. A. in 1966. It was then decided that promotions of Clerks from Gr. 100-180 to Gr. 130-300 should be through a written test as laid down in the orders of the Railway Board which were being followed by Zonal Railways and even by the I. R. C. A. prior to 1961. This decision is being followed at present.

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

6404. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड में इन्वेस्टीगेटरों तथा स्टेटिस्टीकल असिस्टेन्टों के पदों पर विभागीय कोटे में पदोन्नति करने के लिये उनके मंत्रालय ने स्नातक लोअर डिवीजन क्लर्कों से आवेदन-पत्र मांगे थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने लोअर डिवीजन क्लर्कों को इंवेस्टीगेटर तथा स्टेटिस्टीकल बनाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श की अवहेलना करके अपर डिवीजन क्लर्कों को इन पदों पर नियुक्त किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) उल्लिखित पदों पर कोई नियुक्तियां नहीं की गई।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

किराया-खरीद के आधार पर केरल को मशीनों की सप्लाई

6405. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में एक जोरदार विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के हेतु किराया-खरीद आधार पर मशीनों की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के अनुरोध को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) केरल के लघु उद्योग क्षेत्र में एक जोरदार विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को केरल सरकार का एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। केरल उद्योगों के निर्देशक से सलाह कर यह सुझाव दिया गया है कि यह जोरदार अभियान एरना कूलम में 31 जुलाई, 67 से 2 अगस्त 67 तक चलाया जाये।

कोयले के आसवन उत्पाद निकालने का संयत्र

6406. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कितनी कोयला खाने हैं जहां पर कोयले के आसवन उत्पाद विशेषत: अमोनिया तथा रासायनिक मिश्रणों के सुगन्धित द्रव्य निकालने के संयंत्र लगे हुए हैं ;

(ख) भारत में प्रत्येक कोयला खान में कोयले के आसवन उत्पाद निकालने के संयंत्र न होने के कारण प्रति वर्ष कितने आसंवन उत्पाद नष्ट हो जाते हैं ; और

(ग) क्या उर्वरक उद्योग तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अमोनिया की बहुत मांग होने की दृष्टि से सरकार का विचार प्रत्येक कोयला खान में अनिवार्यत: आसवन उत्पाद निकालने के बारे में आवश्यक कानून बनाने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कोयले से आसवन पदार्थ प्राप्त करने के लिये भारत की पांच कोयला खानों में उप-पदार्थ प्राप्त करने के प्लांट हैं ।

(ख) लगभग 40 कोयला खानें हैं जो कि कोक निर्माण करती हैं परन्तु उनमें आसवन पदार्थ प्राप्त करने के प्लांट नहीं हैं । इस क्रिया द्वारा प्राप्त न होने वाले आसवन पदार्थों का अनुमान लगाना कठिन है ।

(ग) नहीं, महोदय ।

M. O. P. Button Industry in Bihar

6407. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the M. O. P. Button Industry, the only industry of its kind in India in Mehasi (district Champaran of Bihar) is in a bad state today ;

(b) the causes which have led to the working of only 60 factories out of 110 in Mehasi at present ;

(c) whether it is a fact that an amount of rupees one lakh was sanctioned for the development of the M. O. P. Button Industry ;

(d) whether Government propose to constitute a committee consisting of the representatives of Government and the industrialists in that area and the local M. L. As. and M. Ps. to inquire into the problems of M. O. P. Button Industry ; and

(e) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (e) : Information is being collected and it will be placed on the Table of House.

निर्यात-आयात बैंक

6408. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार ने एक निर्यात-आयात बैंक स्थापित करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की है ;

(ख) इस बैंक की पूंजी कितनी होगी और कब इसके चालू हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह बैंक किसी विदेशी सहायता से स्थापित किया जायेगा अथवा क्या इसमें सारी पूंजी भारतीयों की ही होगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : सरकार ने निर्यात-आयात बैंक स्थापित करने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है । सरकार द्वारा स्थापित

निर्यात वित्त-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यकारी दल ने, जिसने अभी अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं और जिसके प्रतिवेदन की शीघ्र ही मिलने की संभावना है, एक निर्यात-आयात बैंक की स्थापना के लिये सिफारिश की बताते हैं। कार्यकारी दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी।

कांगड़ा तथा देहरादून के चाय बागानों के मालिकों के अध्ययन दौरे

6409. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में कांगड़ा तथा देहरादून के चाय बागानों के मालिकों के अध्ययन दौरों की व्यवस्था की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इन दौरों से चाय बागानों के मालिकों को क्या लाभ हुआ ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चाय के लिये जापानी मशीनरी

6410. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनूड़ी अग्रिम परियोजना, पालमपुर के लिये काली तथा हरी चाय के लिये छोटे आकार की जापानी मशीनरी प्राप्त की गई है ; और

(ख) इसके लिये प्रार्थना कब की गई थी और वह कब स्वीकार की गई थी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) (क) और (ख) : काली चाय बनाने के लिये एक साधक संयंत्र तथा हरी चाय बनाने के लिये **11** संयंत्रों के आयात करने के लिये नवम्बर 1965 मे पंजाब के उद्योगों के संयुक्त निदेशक से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। ये संयंत्र पालमपुर परियोजना क्षेत्र बीर सहकारी चाय कारखाने तथा सामान्य सुविधा केन्द्र के चाय मालिकों को देने के लिये थे। चाय बोर्ड ने, जिसने निगम के निर्देश पर इस प्रार्थना पर विचार किया था, जनवरी, 1966 मे काली चाय बनाने के लिये साधक संयंत्र के आयात करने के लिये तथा मार्च 1966 में हरी चाय बनाने के लिये केवल एक संयंत्र आयात करने के लिये अनुमति दे दी। राज्य सरकार से एक अन्य प्रार्थना मिलने पर अक्तूबर 1966 में चाय बोर्ड काली चाय बनाने के संयंत्र के आयात के लिये जो पहले अनुमित संयंत्र से कुछ अधिक बड़ा था, सहमत हो गया था। इन संयंत्रों के आयात के लिये तो अनुमति दे दी गई थी, परन्तु चाय बोर्ड ने इन संयंत्रों को चलाने के लिये आवश्यक मोटरों के आयात के लिये अनुमति नहीं दी थी क्योंकि ये मोटर देश में उपलब्ध थे। इस लिये परियोजना अधिकारी ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को सूचित किया है कि वह मोटरों के बिना इन संयंत्रों को स्वीकार करने के प्रश्न पर हिमाचल प्रदेश की

सरकार के साथ बातचीत कर रहा है और वह राज्य सरकार की हिदायतों के मिल जाने के बाद निगम से सम्पर्क स्थापित करेगा। निगम इस मामले में कुछ और कार्यवाही करने से पूर्व परियोजना अधिकारी स कुछ और सूचना पाने की प्रतीक्षा कर रहा है।

टायर बनाने हेतु रबड़ के आयात के लिये विदेशी मुद्रा

6411. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री बृजराज सिंह–कोटा
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० कु० नायर :
श्री भारत सिंह चौहान,
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टायर बनाने के लिये रबड़ के आयात के लिये विदेशी मुद्रा देने के प्रश्न को टायर बनाने वाली कम्पनियों द्वारा टायरों तथा अन्य उत्पादों के निर्यात से उपार्जित विदेशी मुद्रा से जोड़ने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में इस योजना का आधार क्या है ;

(ग) क्या इस योजना को क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

जोरहाट रेलवे स्टेशन पर पुलिस की ज्यादतियां

6412. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री मेघचन्द्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जून, 1967 को आसाम में सिबसागर में तैनात केरल पुलिस कर्मचारियों ने जोरहाट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मारा–पीटा था और रेलवे सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ पुलिस कर्मचारी अनधिकृत रूप से एक रेलवे क्वार्टर में घुसे थे और उन्होंने एक महिला का अपमान किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सही स्थिति यह है कि शिवसागर में तेनात केरल पुलिस के कुछ कर्मचारी अनधिकृत रूप से एक रेल कर्मचारी के मकान में घुस

गये और उसे मारा पीटा। किसी महिला का अपमान करने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। रेल कर्मचारी ने सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में शरण ली। जब केरल पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने मांग की कि रेल कर्मचारी को उनके हवाले कर दिया जाये तो सहायक स्टेशन मास्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसने टेलिफोन पर स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया। केरल पुलिस के कर्मचारियों ने स्टेशन की इमारत के कुछ शीशे और दरवाजों के जोड़ों को तोड़ डाला। 18 रुपये की क्षति होने का अनुमान है। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गयी और जांच करने लगी। स्टेशन मास्टर की शिकायत पर शिवसागर की पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 448/354/147/452/427 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है। केरल पुलिस कर्मचारियों की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341/323 के अधीन एक जवाबी मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे, लेकिन जांच अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट महोदय अन्यत्र व्यस्त हैं।

टायरों तथा ट्यूबों का निर्यात

6413. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आटो-साइकिलों तथा साइकिलों के टायरों और ट्यूबों के निर्यात कार्यक्रम पर विचार करने के लिये इस उद्योग के प्रतिनिधियों ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में हुई बातचीत का सारांश क्या है ; और

(ग) इस उद्योग के माल का निर्यात बढ़ाने के बारे में क्या निर्णय किये गये तथा कार्यवाही करने का विचार किया गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : बैठक में कही गई अधिक महत्वपूर्ण बातें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर देशी कच्चे माल के संभरण तथा बढ़ी हुई दरों पर नकद उपदान देने के बारे में थी। उद्योग को एक योजना बनाने की सलाह दी गई थी, जिससे उनकी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा की आय ही सुनिश्चित न हो अपितु देश के लिये भी कुछ अधिक उपार्जन हो सके। उद्योग से योजना से मिलने की प्रतिक्षा की जा रही है।

नायलोन के धागे का आयात

6414. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने नायलोन के धागे के आयात के लिये हाल में एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी तथा उसे किस प्रकार जुटाया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : राज्य व्यापार निगम को संश्लेषित धागे की अनुमेय किस्मों का आयात करने के लिए 6 करोड़ रु० का एक बड़ा आयात लाइसेंस दिया गया है । इस प्रकार आयात किया गया धागा विभिन्न क्षेत्रिय–संस्थाओं/ विनिमाताओं की सहकारी समितियों की मारफत वास्तविक उपभोगकर्ताओं को वितरित किया जायेगा । विदेशी मुद्रा की व्यवस्था अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, इटली तथा जापान द्वारा दिये गये प्रतिबद्ध ऋणों के आधार पर की गई है ।

पाकिस्तान के साथ पटसन का व्यापार पुनरारम्भ करना

6415. श्री समर गुहा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के जूट बाजार में जूट की अत्यधिक कमी महसूस की जा रही है जब कि पूर्व पाकिस्तान में जूट बाजार में भारी मन्दी आ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पाकिस्तान के साथ जूट का व्यापार फिर से आरम्भ करने के बारे में बातचीत करने का है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पूर्वी पाकिस्तान के पटसन बाजार में किसी भारी मंदी के बारे में कोई निश्चित जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है । भारतीय पटसन उद्योग को पटसन की पूर्ति की स्थिति संतोषजनक है ।

(ख) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

Collision of Kanpur Passenger Train Bound for Farrukhabad

6416. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 6 persons were injured due to the collision of the Kanpur Passenger Train bound for Farrukhabad as reported in the Vir Arjun, dated the 15th June, 1967 ;

(b) if so, the causes of the accident ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) and (b) The Kanpur-Farrukhabad Passenger train was not involved in any aecident from 1-6-1967 to 15-6-1967. Presumably the question refers to the accident in which the engine of train No. 25 UP Kanpur Fatehgarh Passenger collided with a motor truck which, while running on the road alongside the railway track between Chaubepur and Barrajpur stations on 13-6-1967, suddenly skidded on to the railway track due to bursting of its right front tyre. In this accident two occupants of the truck are reported to have sustained minor injuries.

(c) Does not arise.

Setting up of Industrial Estates in States

6417. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1994 on the 9th June, 1967 and state :

(a) whether the proposals to set up Industrial Colonies/Industrial Estates in Madhya Pradesh, Orissa and other States during the Fourth Five Year Plan have since been finalised ;

(b) if so, the details there of ; and

(c) if not, the time likely to be taken therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) This will take a final shape only after the Fourth Five Year Plan is finalised.

International Fair in Spain

6418 **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India put up a stall in the International Fair held recently at Barcelona in Spain ;

(b) if so, the amount of profit earned and the expenditure incurred ;

(c) the number of employees from India deputed to the said fair ; and

(d) the criteria followed in their selection ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : The India Pavilion at the international Samples Fair held at Barcelona (Spain) from 1st to 15th June, 1967, was set up by the Indian Council of Trade Fairs & Exhibitions, Bombay.

(b) It is too early to assess the profit earned by participation in the Fair. However, it has been reported that orders for supply of Indian goods worth Rs. 13.26 lakhs have been booked during the fair. An amount of Rs. 71,700/- has also been realised as contribution towards space rent from participants in the Pavilion.

The expenditure incurred will be known only when all the bills are settled, which may take a little time.

(c) A team of three officials was deputed from India.

(d) All the 3 officials deputed are employees of the Council, which made the selection on the basis of job requirements.

लखनऊ स्टेशन से लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी का देरी से चलना

6419. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर होकर जाने वाली लखनऊ एक्प्रेस रेलगाड़ी 11 जून, 1967 को लखनऊ स्टेशन से दो घंटे से अधिक देरी से चली थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 11-6-67 को 83 अप लखनऊ-दिल्ली एक्सप्रेस लखनऊ से 55 मिनट देर से छुटी ।

(ख) गाड़ी में पहले दर्जे का एक डिब्बा यांत्रिक दृष्टि से चलने के अयोग्य पाया गया और चूंकि उस दिन लखनऊ में कोई फालतू डिब्बा तत्काल उपलब्ध न था इसलिए आने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी के पहले दर्जे का डिब्बा निकाल कर उसकी जगह लगाना पड़ा । इसके फलस्वरूप गाड़ी देर से चली । इस तरह की घटनाएं दुबारा न हों इसके लिए कार्यवाई की गयी है ।

Cement Factory in Rajasthan

6421. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the licence for the setting up of a cement factory in District Bundi, Rajasthan has been issued to the Birlas ; and

(b) if so, its capacity and the date by which the construction work is likely to be started ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) As the cement industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, with effect from 13th May 1966, it is no longer necessary for anyone to obtain a licence for setting up cement factories. In November 1965, the scheme of a private party (of the Birla Group) for setting up a cement factory at Bundi in Rajasthan with an annual capacity of 200,000 tonnes was approved and letter of intent issued. The concern is understood to have completed detailed prospecting operations for limestone and applied for loans to the financial institutions. It has also placed a provisional order on the machinery manufacturer for the supply of plant and equipment. Construction is likely to be started only after the financial institutions have cleared the loan application

विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड

6421. श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके विधान तथा गठन के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) मामला अभी भी विचाराधीन है ?

वैल्डिंग इलेक्ट्रोड उद्योग

6422. श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि वैल्डिंग इलेक्ट्रोड उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके उत्पादों की मांग हाल ही में बहुत कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कारखाने बन्द हो गये हैं ; और

(ग) उस उद्योग में संकट पैदा होने के कारणों के बारे में सरकार ने क्या अनुमान लगाया है और इस उद्योग को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) (ख) और (ग) यद्यपि वैल्डिंग इलेक्ट्रोड उद्योग में किसी गम्भीर संकट या किसी कारखाने के बन्द होने की कोई सूचना नहीं मिली है, फिर भी यह सच है कि वैल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने वाले उद्योगों जैसे निर्माण सम्बन्धी और रेलवे बैगनो में मंदी आने के परीणाम स्वरूप वैल्डिंग इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पादित माल अधिक नहीं उठाया जा सका। निर्यात में वृद्धि करने के लिये इस उद्योग के लिये आवश्यक सहायता की व्यवस्था कर दी गई है। एक योजना चालू की गई है जिसके अनुसार वैल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माताओं को विलेटस के मूल्यों के आधार पर 60 रुपये प्रति टन की छूट मिलेगी और उन्हें किस्म के आधार पर भी 200 रुपये प्रतिटन की दर

से लाभ होगा। इस्पात के मूल्य की रियायतों और 20 प्रतिशत नकद सहायता दिये जाने के परिणाम स्वरूप निर्यात किये गये इल्कैट्रोड का मुकाबला विश्व की मण्डियों में होने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल में पटसन के माल के व्यापार में संकट

6423. **श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वायदा बाजार सम्बन्धी आयोग की सहमति से ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा सारी बिक्री पर लगाये गये लाभ की मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध के कारण पश्चिम बंगाल में तथा देश के कुछ अन्य भागों में पटसन के माल का व्यापार ठप्प हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पटसन के माल के व्यापार को पूरी तरह जारी रखने के लिये किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह तथ्य नहीं है कि पटसन के माल का व्यापार ठप्प हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल सेवाओं का अस्त व्यस्त हो जाना

6424. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1967 के चौथे सप्ताह में पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ सैक्शनों में रेल सेवाएं कितने दिन अस्तव्यस्त रही ; और

(ख) रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 22-6-67 से 30-6-67 तक के सप्ताह में केवल पूर्व रेलवे में गाड़ियों के आने-जाने में बाधा पड़ने के दो मामले हुए थे। इस अवधि में गाड़ी रोक रखने का एक मामला भी हुआ था।

(ख) रेलवे को मामूली हानि होने की रिपोर्ट मिली है।

औषधि निर्माण करने वाली कम्पनियां

6425. **श्री उमानाथ :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री नम्बियार :
श्री गणेश घोष :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 और 1966–67 में देश में औषधि निर्माण करने वाली सब कम्पनियों ने कुल कितना मुनाफा कमाया ;

(ख) उक्त अवधि में औषधि निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियों को कुल कितना मुनाफा हुआ ;

(ग) औषधि निर्माण करने वाली सब कम्पनियों में लगाई गई पूंजी का कितना भाग विदेशी भेषजीय कम्पनियों का है ; और

(घ) उक्त अवधि में विदेशी भेषजीय कम्पनियों ने कुल कितना निर्यात किया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 47 औषधि निर्माण करने वाली कम्पनियों से एकत्रित सूचना से, जिनका लेखा औषधि निर्माण उद्योग की सम्पूर्ण कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी का लगभग 49 प्रतिशत है, प्रकट होता है कि 1965-66 के वर्ष में, इन कम्पनियों का कर देने के पश्चात कुल लाभ 7,19 करोड़ रुपये की मात्रा में था। इसमें से, 19 विदेशीय नियंत्रित कम्पनियों का कर देने के पश्चात् 5.6 करोड़ रुपया लाभ द्वारा लेखित किया गया था।

चूंकि1966-67 के वर्ष के सम्पूर्ण औषधि निर्माण करने वाली कम्पनियों से सम्बन्धित, संतुलन पत्र सरकार के पास मिसिल करने, अभीदेय नहीं हुए हैं, अतः इस वर्ष की इसी प्रकार की सूचना अभी नहीं दी जा सकती।

(ग) 1965–66 तथा 1966–67 के वर्षों की सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी 1964–65 में भारत कार्यरत औषधि निर्माण करने वाली विदेशीय नियंत्रित कम्पनियों का कुल प्रदत्त पूंजी, अवाध सुरक्षित तथा अधिशेष को मिला कर 26.92 करोड़ रुपयों की मात्रा की थी, इसके मुकाबले सम्पूर्ण औषधि निर्माण करने वाली कम्पनियों की कुल 55.44 करोड़ रुपयों की थी।

(घ) विदेशीय स्वामित्व वाली औषधि निमात्री कम्पनियों के सम्बन्ध में इच्छित सूचना अलग से उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, भेषजीय सामान का कुल निर्यात, 1965–66 में 1.8 लाख रुपये तथा 1966–67 में 5.05 लाख रुपयों के मूल्य का था।

पठान कोट स्टेशन पर आस्ट्रेलियाई महिला पर्यटकों के साथ अशिष्ट व्यवहार

6426. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री म० माझी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट में रेलवे कर्मचारियों ने 2 जून, 1967 को आस्ट्रेलिया की दो महिला पर्यटकों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जब उन्होंने अपनी यात्रा सम्बन्धी आरक्षण में कुछ परिवर्तन कराने चाहे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस बारे में सरकार से शिकायत की है ?

(ग) क्या इस मामले में जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच-परिणाम क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। टिकट की जांच करने वाले जिन दो कर्मचारियों से अनुरोध किया गया उन्होंने मदद नहीं की और अशिष्टता दिखलाई जिसके कारण दोनों आस्ट्रेलियन महिला पर्यटकों को घोर असुविधा हुई।

(ख) जी हां।

(ग) अभी जांच हो रही है।

(घ) चूंकि जांच अभी तक पूरी नहीं हो पायी है (क्योंकि उक्त आस्ट्रेलियन महिलाओं ने कुछ और सूचना देने का वचन दिया था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है) इस लिए इस घटना से सम्बन्धित निष्कर्षों को अभी अन्तिम रूप नही दिया गया है।

स्टेनलैस स्टील के आयात के लिये लाइसैंस जारी करना

6428. श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'इंजीनियरिंग टाइम्स", दिनांक 15 जून, 1967, के समाचार के अनुसार इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री द्वारा उल्लिखित उस फिल्म अभिनेता का नाम क्या है, जिसको 11 मीटरिक टन स्टेनलैस स्टील का आयात लाइसेंस जारी किया गया है ;

(ख) यह लाइसेंस किन परिस्थितियों में जारी किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस चलचित्र अभिनेता ने आयातित इस्पात अत्याधिक मूल्य पर एक उद्योगपति को बेच दिया था ;

(घ) यदि हां, तो इस्पात का आयात किस मूल्य पर किया था और उद्योगपति को इस्पात किस मूल्य पर बेचा गया था ; और

(ङ) क्या सम्बन्धित चलचित्र अभिनेता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु सन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ङ) मुझे याद नहीं कि मैंने, 15 जून 1967 के "इंजीनियरिंग टाइम्स" में एक फिल्म स्टार को स्टेनलेस इस्पात का आयात लाइसेंस दिये जाने के बारे में जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है और जिसे मेरे द्वारा दिया गया बताते है, कभी ऐसा वक्तव्य दिया है।

माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन

6429. श्री रमानी :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री अब्राहम :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ने 1 जून, 1967 से सभी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रबन्धकों की इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कुल कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या सरकार को इस मामले में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के बोर्ड आफ डायरेक्टर ने अपनी 24 फरवरी को हुई बैठक में यह निर्णय किया था कि परियोजना भत्ते को भविष्य में की जाने वाली चार अधिकतम वेतन वृद्धियों में विलियन कर धीरे धीरे 1 मई, 1967 से बन्द कर देना चाहिये। बोर्ड ने यह भी निर्णय किया था कि निगम में प्रवेश करने वाले नये व्यक्तियों को परियोजना भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये।

(ख) परियोजना भत्ता उन बड़ी स्तर की परियोनाओं के लिये दिया जाता है, जिन योजनाओं का निर्माण संगटन बहुत बड़ा हो और निर्माण कार्य बहुत वर्षों से चल रहा हो। इस भत्ते का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को दी जाने वाली आवास, स्कूल, मन्डी औषधालयों सम्बन्धी दी गई सुविधाओं की कमी की पूर्ति करना है। दुर्गापुर में दी जा रही इन सुविधाओं में सुधार के परिणाम स्वरूप माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के बोर्ड आफ डायरेक्टर ने यह निर्णय किया था कि अब वह समय आ गया है जबकि परियोजना भत्ते को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिये।

(ग) 6319.

(घ) और (ङ) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। कर्मचारियों में से कुछ ने प्रबन्धकों को यह अभ्यावेदन किया था कि दिये जाने वाले परियोजना भत्ते को एक विशेष भत्ते की तरह जारी रखा जाये। 16 जून, 1967 को हुई बोर्ड बैठक में बोर्ड इस बात पर सहमत नहीं हुआ कि परियोजना भत्ते को विशेष भत्ता समझ कर जारी रखा जाये और यह निर्णय दिया कि परियोजना भत्ते को पुराने निर्णय के अनुसार धीरे धीरे वापिस ले लेना चाहिये।

माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन

6430. **श्री उमानाथ :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री अनिरुद्धन :
श्री रमानी :
श्री ब्रह्मानन्द :
श्री नायनार :
श्री एस्थोस :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन का कलकत्ता में एक जार सेवा विभाग (बाजार सर्विस पर ।

(ख) 1965-66 और 1966-67 में इस सैल पर कितनी राशि खर्च हुई और इस अवधि में इसने कितने क्रयादेश प्राप्त किये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1965-66 और 1966-67 के दौरान इस सैल पर क्रमशः लगभग 12,000 और 24,000 रुपये खर्च हुए । मार्किट सर्वेक्षण सैल सीधे आर्डर नहीं लेता । यह मंडी की शक्यता का निरीक्षण करता है और सम्पर्क का कार्य करता है । माईनिंग और अलाईड मशीनरी कोरपोरेशन ने इन वर्षों के दौरान क्रमशः 2.5 करोड़ और 18.21 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त किये है ।

मद्रास में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग प्रदर्शनी

6431. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :
श्री श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी तथा फरवरी, 1968 में मद्रास में आयोजित की जाने वाली भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग प्रदर्शनी में भाग लेने वाली विदेशी फर्मों को तदर्थ आयात लाइसेंस जारी करने के लिये सरकार ने विदेशी मुद्रा देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी विदेशी मुद्रा दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) प्रदर्शनी के लिये रखी गई वस्तुएं भारत में किस प्रकार बेची जायेंगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रदर्शनी के समाप्त होने पर उसमें भाग लेने वाली विदेशी फर्मों को भारत में किसी भी पार्टी को वैध आयात लाइसेंसों और अपेक्षित सीमा शुल्क के भुगतान पर प्रदर्शनीय वस्तुओं के बेचने और उससे प्राप्त आय को विदेश भेजने की अनुमति दे दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी के समाप्त होने पर उसमें भाग लेने वाली विदेशी फर्मों को तदर्थ आयात लाइसेंसों पर प्रदर्शनीय वस्तुओं के बेचने का अधिकार दे दिया जायेगा। ये लाइसेंस भाग लेने वालों को उनके द्वारा बुक कराए गये प्रदर्शनी क्षेत्र के प्रति वर्ग फुट पर 50 रु० की अधिकतम सीमा के अन्दर अन्दर दे दिये जायेंगे। यह बिक्रियां भी चालू आयात नियंत्रण नीति के अन्तर्गत और अपेक्षित सीमा शुल्क का भुगतान करने पर की जा सकेंगी।

पाकिस्तानी नागरिकों की सम्पत्तियों का अर्जन

6433. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय सम्पत्तियों को तुरन्त अर्जित करने के सम्बन्ध में सरकार का विचार विधान पेश करने का है ; और

(ख) इस समय ऐसे मामले कितने हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स कपाडिया एण्ड बरिया और टोपलिस एण्ड हार्डिग (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई द्वारा मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन

6434. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैटल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड उपक्रम की कुछ आस्तियों, जिनका अर्जन 1066 के अधिनियम संख्या 36 के द्वारा सरकार ने कर लिया था, के संबंध में मैसर्स कपाडियां एण्ड बरिया और टोपलिस एण्ड हार्डिग (प्राईवेट) लिमिटेड, बम्बई ने मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत के दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन करने वालों द्वारा किन किन आस्तियों का मूल्यांकन किया गया है और मूल्यांकन सम्बण्धी प्रतिवेदन के अनुसार उन आस्तियों का मूल्य कितना है ;

(ग) क्या इसमें विद्यमान आस्तियों का मूल्यांकन शामिल है अथवा बिक्री के माल का मूल्यांकन भी शामिल है ;

(घ) क्या इसमें खान का मूल्यांकन शामिल ; और

(ङ) क्या इसमें अमूर्त आस्तियों का मूल्यांकन शामिल है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मैटल कारपोरेशन आफ इण्डिया की निकाय के केन्द्रीय सरकार द्वारा अक्टूबर 1965 में अवाप्त होने से पूर्व कम्पनी में मैसर्स कपाडिया एण्ड बेरिया एण्ड टौपालस एण्ड हार्डिग (प्राइवेट) लि० बम्बई को कम्पनी की परिसंप्रत मूल्यांकन करने का काम सौंपा था । मूल्यांकन का कार्य अवाप्ति के बाद ही पूरा हुआ; अत: मूल्यांकन की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया (निकाय की अवाप्ति) अधिनियम 1966 (1966 का संख्या 36) के अनुबंधों के अन्तर्गत प्राप्त हुई ।

(ख) से (ङ) इस समय सरकार कम्पनी की निकाय को अवाप्त करने के बदले मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया को देय प्रतिकर की मात्रा का अनुमान लगा रही है । ऐसा महसूस किया जाता है कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित रिपोर्ट की बातों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

6435. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) ; (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

गुंटाकल स्टेशन (दक्षिण रेलवे) रेलवे रेस्तरां

6436. **श्री अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में गुटाँकल रेलवे स्टेशन पर स्थिति रेलवे रेस्तरां को बन्द करके उसे ठेकेदार को देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गुंटाकल में रेलवे के आहारगृह तथा रेस्तरां के शाकाहारी विभाग में औसत मासिक अथवा वार्षिक लाभ अथवा हानि कितनी है ;

(घ) मांसहारी रेस्तरां की पट्टे अथवा नीलामी की वार्षिक राशि कितनी है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) ग्राहक कम होने के कारण इस भोजनालय का संचालन अलाभप्रद रहा है :

(ग) पिछले तीन वर्षों में शाकाहारी जलपान गृह का औसत लाभ लगभग 28,000 रुपये प्रति वर्ष रहा है, परन्तु इसी अवधि में भोजनालय को लगभग 7,600 रुपये प्रति वर्ष की हानि हुई।

(घ) जल और बिजली प्रभारों को छोड़कर, भोजनालय के लिये लाइसेंस शुल्क 4,500 रुपये प्रति वर्ष नियत किया गया हैं।

निर्यात

6437. **श्री रा० बरुआ** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण में गैर-साम्यवादी पश्चिमी देशों में भारी मंदी का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विकासशील देश के रूप में हमारी अर्थ व्यवस्था पर, विशेषतया हमारे माल के निर्यात में होने वाली आय पर, इसके सम्भावित प्रभाव का कोई अनुमान लगाया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1966-67 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा किये गये गैर-साम्यवादी पश्चिमी देशों के आर्थिक सर्वेक्षण से विदित हुआ है कि यद्यपि मंदी का रुख एकसा नहीं है तथापि गत दो वर्षों से ये देश व्यापार चक्र के विभिन्न स्तरों से गुजर रहे हैं। इसका प्रभाव पश्चिमी जर्मनी में अधिक प्रतीत होता है और समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार बेलग्रेड में भी यही स्थिति है। फ्रान्स, स्विटजरलैण्ड डेन्मार्क तथा स्वीडन जैसे कुछ देशों ने मंदी की अवस्था को पार कर लिया है और उबरने के कार्य-क्रम में लगे हुए हैं ?

(घ) यद्यपि इस प्रकार की मंदी का सामान्य प्रभाव विभिन्न अंशों में आयात को कम करने के रूप में होगा तथापि हमारी अर्थ व्यवस्था पर इसके प्रभाव को आंकना संभव नहीं हो सका है। क्योंकि कई अन्य कारण भी हैं जो भारत से निर्यात और सम्बद्ध देश में आयात दोनों पर ही प्रभाव डालते हैं। फिर भी, गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के प्रथम कुछ महीनों में सम्बद्ध देशों को हमारे निर्यात में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं पड़ा है। सहायता के सम्बन्ध में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मन्दी एकसी नहीं है और सहायता का प्रश्न कई अन्य बातों पर निर्भर है, यह बताना संभव नहीं हैं कि मन्दी से सहायता की संभाव्यताओं पर वस्तुतः कितना प्रभाव पड़ेगा।

लोहे और इस्पात का नियतन तथा इस्पात निर्यात संवर्द्धन

6438. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात के नियतन की वर्तमान पद्धति को सुव्यवस्थित करने के उपायों पर विचार करने तथा इस्पात निर्यात संवर्द्धन के साधन खोजने के लिये राज्यों के

उद्योग निर्देशकों तथा लोहा और इस्पात नियंत्रक का एक सम्मेलन 14 जुलाई 1967 को दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाई गई इस्पात के दुर्लभ वर्गों के वितरण की योजना तथा इससे सम्बन्धित विषयों पर विचार करने के लिये राज्यों के उद्योग निदेशकों का एक सम्मेलन 14 जुलाई 1967 को करने का प्रस्ताव था। सम्मेलन स्थगित हो गया और अब इसके 7 अगस्त 1967 को बुलाए जाने का प्रस्ताव है।

केरल में नारियल जटा का माल बनाने वाले कारखाने

6439. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केरल में अलेप्पी जिले में नारियल जटा का सामान बनाने वाले सभी कारखानों में 19 जून, 1967 को मजदूरी बढ़ाने के लिये अनिश्चित काल तक हड़ताल करने की दिशा में प्रथम कार्यवाही के रूप में दो घंटे तक विरोध हड़ताल हुई थी ;

(ख) क्या सरकार को इस क्षेत्र में लम्बी हड़ताल होने से देश की विदेशी मुद्रा की आय पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की भी जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को टालने तथा विदेशी मुद्रा की आय को बनाये रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 19 जून, 1967 को अपेप्पी जिले में नारियल जटा का सामान बनाने वाले कारखानों में किसी विरोध हड़ताल के बारे में सरकार को पता नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आसाम में अखबारी कागज बनाने का कारखाना

6440. **श्री वेदव्रद बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में आवश्यक लुग्दी तथा अन्य कच्चे माल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उस राज्य में सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का हैं ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसा कारखाना स्थापित करने के लिये पहले किसी सार्थ को कोई लाइसेंस दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं। तथापि पूर्वोत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आसाम में एक कागज/लुग्दी कारखाना स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है और परियोजना प्रति वेदन के इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्ष्मीरतन काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर

6441. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मधु लिमये :
श्री इसहाक सम्भाली :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मीरतन काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर को अपने हाथ में लेने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस मिल को अपने कब्जे में लेने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार का विचार तब तक किसी मिल को अपने अधिकार में लेने का नहीं है जब तक वह विधेयक पारित नहीं हो जाता जिसे शीघ्र ही पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा जो उसे ऐसी मिलों को अधिकार में लेने के लिये समर्थकारी बनाएगा जो बंद पड़ी है या जिनके बन्द होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त इस मिल के कुल वित्तीय दायित्वों का ठीक ठीक आंकलन करना भी संभव नहीं हो सका है। इस कारण भी केन्द्रीय सरकार इस मामले में कोई वित्तीय दायित्व स्वीकार करने में असमर्थ है।

कोयला नियंत्रक के कार्यालय में वरिष्ठता निर्धारण

6442. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में स्थित कोयला नियंत्रक के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों में वरिष्ठता-निर्धारण के मामले में असन्तोष है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) कोयला नियंत्रक के मुख्यालय के मुख्यालय के कर्मचारियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जो कि कोयला नियंत्रक के मुख्यालय के अवर श्रेणी लिपिकों की ज्येष्ठता निश्चित करने में बरते गये सिद्धान्त के विषय में हैं। मामले पर गौर की जा रही है।

अलौह धातु उद्योग

6444. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री गणपत सहाय :
श्री सेवकीरा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अलौह धातु उद्योग में बहुत सी क्षमता बेकार पड़ी है;

(ख) क्या यह सच है कि अलौह छड़ों, छड़ पट्टियों (राड स्ट्रिप) और घेरों (सर्कल) के दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से बड़े पैमाने पर आयात की अनुमति दी गई थी और अब भी दी जा रही है यद्यपि ये भारत में बनाई जा सकती है; और

(ग) क्या इस अपव्ययपूर्ण आयात नीति के बारे में एक उच्च स्तरीय जांच की जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय। इस निष्कार्य क्षमता का कारण है उद्योग को चाहे जाने वाले अन्यस्य धातुओं के निर्यात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा का अभाव।

(ख) अन्यस्य उपनिर्मित पदार्थों (सेमीस) जैसे पीतल और तांबे की नलियां, छड़ें, सैक्शन, नलिकाऐं, चादर आदि का आयात सामान्यरूप से आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अधीन बहुत समय से बन्द है। तथापि चीनी के उद्योग और प्रशीतन तथा मुद्रण उद्योगों में काम आने वाले यन्त्रों के बारे में पीतल और तांबे की नलियां चादरें आदि जो ऐसे परिमापन और विशिष्टियों की हों कि देश में उपलब्ध नहीं हैं तथा वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक है. आयात की जा सकती हैं। ट्रेड प्लैंस से अधीन भी ऐसे सेमीस के आयात की आज्ञा दी गई क्योंकि रुपये पर भुगतान करने वाले देश अयस्क प्राप्त अन्यस्य धातुऐं देने को तैयार नहीं थे। इन धातुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ऐसे सेमीस का आयात आवश्यक हो गया ताकि उत्पादन के वर्तमान स्तर को कायम रखा जा सके और इकाइयों को बन्द होने से बचाया जा सके।

इसके अतिरिक्त वर्तमात आयात नीति को इस प्रकार का बनाने के उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि केवल वास्तविक उपभोक्ता ही ऐसे तल माप । विशिष्टियों की पीतल और तांबे की नलिकाऐं, चादरें आदि विदेश से मंगवा सकें जिन्हें कि देशी निर्माणकर्ता बना नहीं सकते । ऐसे सब मद जिन्हें कि देश में बनाया जा सकता है चालू आयात नीति अनुसार विदेश से नहीं मंगवाये जा सकते ।

(ग) ऊपर भाग (ख) में बताई गई बातों की रोशनी में, इस मामले में कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

पुरी-तालचेर यात्री गाड़ी से मेल कराने वाली हावड़ा-कटक रेलगाड़ी

6445. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय पुरी-तालचेर यात्री गाड़ी से, जो कि कटक से शाम को छूटती है मेल कराने वाली ऐसी कोई यात्री गाड़ी नहीं है जो हावड़ा से कटक तक जाती हो और इस कारण यात्रियों को भारी मुसीबत उठानी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी रेलगाड़ी चलाने का है और उसके कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 317 अप हावड़ा–पुरी सवारी गाड़ी और सप्ताह में एक बार चलने वाली हावड़ा–मद्रास वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में मेल लेने वाली उपयुक्त गाड़ियां पहले से उपलब्ध हैं जिनका कटक पहुँचने का निर्धारित समय क्रमशः 15.08 और 15.22 बजे हैं । ये गाड़ियां 436 डाउन पुरी–तालचर सवारी गाड़ी से मेल लेती हैं जिसका यहां से छूटने का निर्धारित समय 18.45 बजे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिना टिकट यात्रा

6446. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने रेलवे कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा की जाने के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेल कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते । केवल बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल व्यक्तियों के आंकड़े ही रेल प्रशासन द्वारा रखे जाते हैं । कुछ रेल कर्मचारी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये हैं ।

(ग) जब रेल कर्मचारी बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो उनसे रेल-पावना वसूल करने के साथ साथ उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती है ।

मध्य प्रदेश में डीजल रेल इंजन

6447. श्री गा० शं० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय बड़ी तथा छोटी लाइनों पर कितने डीजल इंजन चल रहे हैं;

(ख) क्या डीजल रेल इंजन चलाने से यात्रियों को लाने ले जाने की रेलगाड़ियों की क्षमता बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मध्य प्रदेश में रेलवे में छोटी लाइन के 15 और बड़ी लाइन के 114 डीजल रेल इंजन चल रहे हैं ।

(ख) और (ग) जी हां । यातायात ढोने की क्षमता में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई हैं ।

सरकारी उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारी

6448. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों के रूप में, उपक्रमवार, काम करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा । आई० सी० एस० तथा समान संवर्गों के प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये अधिकारी कारगर ढंग से उत्पादन व्यवस्था सम्बन्धी मामलों का प्रबन्ध कर सकें हैं और क्या ये अधिकारी उस उपक्रम का आशानुकूल आय वाला बना सके हैं;

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य को चलाने के लिये एक उत्पादन संवर्ग बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस्पात कारखानों आदि सरकारी उपक्रमों से इन सिविल अधिकारियों को वापस बुला लिया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शाहदरा और दिल्ली के बीच रेलगाड़ियां

6449. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 40,000 व्यक्ति अपने विविध धन्धों तथा व्यवसायों पर जाने के लिये हर सुबह शाहदरा से दिल्ली तक यात्रा करते हैं और शाम को फिर वापस जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन व्यक्तियों को नित्य दिल्ली आने में जो भारी मुसीबत उठानी पड़ती है, उसका सरकार को पता है; और

(ग) क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार स्थानीय गाड़ियां बिजली से अथवा अन्य साधन से, चलाने को वाछंनीयता पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) लगभग 8000 यात्री। जिनमें मासिक और त्रैमासिक टिकट पर यात्रा करने वाले भी शामिल हैं, रोजाना दिल्ली शाहदरा और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच यात्रा करते हैं।

(ख) नई दिल्ली/दिल्ली-दिल्ली शाहदरा के बीच चलने वाली गाड़ियों में खासकर सुबह और शाम को, अधिकतम व्यस्त समय के दौरान, कुछ भीड़-भाड़ देखने में आयी है।

(ग) अतिरिक्त शटल गाड़ियां चलाने या वर्तमान गाडियों में अधिक डिब्बे लगाने में मुख्य अड़चन यह है कि नई दिल्ली/दिल्ली में पर्याप्त पर्यन्त सुविधाएं नहीं हैं और सवारी डिब्बों की भी कमी है। इस प्रयोजन के लिए पर्यन्त सुविधाओं को बढ़ाने और पयाप्त सवारी डिब्बे जुटाने की व्यवस्था की जा रही है। नई दिल्ली/दिल्ली में पर्यंत सुविधाएं और सवारी डिब्बे उपलब्ध होने पर उपनगरी यात्रियों को राहत देने के प्रश्न पर समुचित रूप से विचार किया जायेगा।

निर्यात

6450. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक 1966 के अनुसार विकासशील देशों के जिसमें भारत भी शामिल है, निर्यात में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अप्रैल, 1967 की संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय मासिक पत्रिका के अनुसार विश्व व्यापार से विकासशील देशों के निर्यात का रूख वृद्धि की ओर है, जैसाकि संलग्न विवरण से स्पष्ट हो जायेगा।

(ख) कारण बताने का प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार निरन्तर विकास देशों के बाजारों में विकासशील देशों के निर्यात पर टेरिफ तथा गैर टेरिफ बाधाओं के हटवाने तथा अधिमानी टेरीफ व्यवहार प्राप्त करने जैसे उपायों के द्वारा विकासशील देशों के लिये अनुकूल व्यापारिक परिस्थितियां पैदा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में प्रयत्न करके विकासशील राष्ट्रों की निर्यात आय बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है।

विकासशील क्षेत्रों के निर्यात में प्रवृत्तियों को दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	अमरीका को दस लाख डालर में
1959	25700
1960	27300
1961	27700
1962	29000
1963	31400
1964	34500
1965	36500
1966	39000

स्रोत :– अप्रैल, 1967 की संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय मासिक पत्रिका।

*निर्यात कम होने की अपेक्षा बढ़ता हुआ दिखाई देता है।

अभ्रक का निर्यात

6451. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार अभ्रक के अपने जमा भण्डार को खुले बाजार में बिक्री के लिये बाहर निकालेगा जिससे भारत से अमरीका को किये जाने वाले अभ्रक के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अमरीकी सरकार के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सूचना मिली है कि शायद अमरीका सरकार अपने जमा–भण्डार से अभ्रक बिक्री के लिये बाहर निकालेगी।

(ख) से (घ) अमरीका सरकार द्वारा इस प्रकार माल निकालने से हमारे अभ्रक उद्योग पर निसन्देह कुप्रभाव पड़ेगा। इस मामले पर अमरीका सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

समवाय कार्य विभाग के अनुसन्धान तथा सांख्यिकी प्रभाग द्वारा गैर सरकारी समवायों के बारे में अध्ययन ।

6452. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय कार्य विभाग के अनुसन्धान तथा सांख्यिकी प्रभाग ने हाल ही में देश के सबसे बड़ी 43 गैर-सरकारी समवायों के बारे मे अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो सबसे बड़े ये 43 समवाय कौन कौन से हैं और उनमें सबसे बड़े 10 समवाय कौन कौन से हैं;

(ग) उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है और क्या क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां श्रीमान्

(ख) देश की सबसे बड़ी 43 गैर-सरकारी कम्पनीयां तथा उनमें से सबसे बड़ी 10, जो उनकी परिसम्पति, प्रदत्त पूंजी तथा वास्तविक मूल्य के अनुसार व्यवस्थित की गई हैं, का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1145/67]** (संदर्भित अध्ययन इस विभाग द्वारा प्रकाशित, "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" नाम से प्रषित पाक्षिक पत्रिका दिनांक, 1 जून, 1967 में प्रकाशित किया गया था ।

(ग) और (घ) यह अध्ययन सूचनात्मक रूप का है, इसमें न किसी प्रकार के परिणाम निश्चित किये गये हैं और न कोई सिफारिशें की गई हैं । इसलिये इसमें सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

आमों का निर्यात

6453. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आमों की निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक भारतीय प्रतिनिधि–मण्डल वर्ष 1966 में यूरोपीय देशों में गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि–मण्डल के निष्कर्ष क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आम का कितना निर्यात किया जाता है तथा किन किन देशों को और इससे भारत को प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

प्रतिनिधिमण्डल की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) विदेशी बाजारों में भारतीय फलों के मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए ताजे फलों तथा सब्जियों के निर्यात की हवाई भाड़ा दरें कम की जानी चाहियें ।

(2) विदेशी खरीददारों की शिकायतों से बचने के लिए आरम्भ में फलों की कुछ विषम मदों का निर्यात राज्य व्यापार निगम को अपने हाथ में ले लेना चाहिए ।

(3) विदेशों में पेम्फलिट, इश्तहारों आदि द्वारा भारतीय फलों के प्रचार की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(4) समुद्र मार्ग से निर्यात भी धीरे–धीरे विकसित होना चाहिए ।

(5) समुद्र–यात्रा के प्रभाव के आकलन के लिए लगभग दो मे० टन आमों की जहाज पर परीक्षण लदान की जानी चाहिये ।

सिफारिशों को नोट कर लिया गया है और यथासम्भव सीमा तक उन्हें लागू किया जा रहा है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1146/67]**

विदेशी कम्पनियों में भारतीय

6454. श्री क० कु० नायर : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को भारत में व्यवसाय करने वाली विदेशी कम्पनियों में ऐसे कितने कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्हें 1,000 रुपये अथवा इससे अधिक वेतन मिल रहा था;

(ख) उनमें से वैज्ञानिक, इन्जीनियर और डाक्टर कितने थे; और

(ग) कितने भारतीय वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों और डाक्टरों ने, जिन्हें 1,000 रुपये वेतन मिल रहा था, 1965 और 1966 में इन कम्पनियों को छोड़ा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार 1 जनवरी, 1966 को देश की विदेशी कम्पनियों 18,213 भारतीय काम करते थे और उन्हें 1000 रु० या इससे अधिक का मासिक वेतन प्राप्त होता है ।

(ख) ऊपर दी हुई संख्या में से 7,230 व्यक्ति एक जनवरी, 1966 को तकनीकी पदों पर काम पर रहे थे जिनमें वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों, डाक्टरों के पद शामिल हैं ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

Demand for Stone from Quarries of Karauli area in Rajasthan

6455. **Shri Meetha Lal :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that demands for the stone from quarries of Karauli area in Rajasthan have been received from foreign countries;

(b) if so, the quantity demanded by the various countries, countrywise; and

(c) the action taken for their development and future expansion ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Bridge over Banas River (W. Rly.)

6456. **Shri Meetha Lal .**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the double line bridge over Banas river between Sawai Madhopur and Gangapur City (Western Railway) has not been completed so far;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the date by which it is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) While sinking the wells for the foundations of two piers, sloping hard rock formation was encountered, which delayed completion of the work.

(c) It is expected that the work will be completed by July, 1968.

बोकारो कारखाने के सिविल निर्माण कार्यों के ठेके

6557 **श्री म० ला० सोंधी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों का ठेका उन ठेकेदारों को दिया जा रहा है, जिनका पिछला कार्य संतोषजनक नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया है कि इन में से किसी कार्य का ठेका ऐसी फर्मों को न दिया जाये जिनका पिछला कार्य निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री द्वारा संतोषजनक नहीं माना गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने जो, अविवेकी और अविश्वसनीय पार्टियों और ऐसी पार्टियों, जिनका काम असंतोषजनक रहा है, को कालीसूची में सम्मिलित करने के लिए एक मानकीकृत संहिता बनाई है, यह सरकार

के हित की रक्षा के लिए दूसरी सरकारी एजेन्सियों को ऐसी पार्टियों से संव्यवहार करने में रोकने के लिए पर्याप्त है। बोकारो इस्पात कारकाने का कोई भी सिविल इंजीनियरी का काम किसी कालीसूची में दर्ज पार्टी को सोंपा गया है।

मोटरकारों का गुण-प्रकार

6458. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटरकारों के गुण-प्रकार में गिरावट आने के कारणों के बारे में जांच करने के लिये एक समिति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके विचारार्थ विषय क्या हैं और उसके सदस्य कौन कौन हैं तथा यह समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी वाले 11 जुलाई, 1967 के संविहित आदेश संख्या 2373 की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1147/67]**

भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादन में कमी

6459. **श्री जेना :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में कुछ समय से लौहे और इस्पात का उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में उत्पादन में कितनी कमी दर्ज की गई है;

(ग) उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा लोहे और इस्पात का उत्पादन बढ़ाये जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है पिछले छः महीनों में लोहा और इस्पात के उत्पादन में कमी हुई है :-

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
			(हजार टनों में)			
गर्म धातु	212	172	183	191	182	164
पिण्ड इस्पात	177	147	157	160	157	138
ब्लूम	141	111	108	123	124	105
बिलेट	86	62	51	71	72	59
रेल और ढांचे	45	39	47	44	41	34
व्यापारिक उत्पादन (बेलित)	36	30	32	28	25	21

(ग) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण ये हैं :–

(1) देशीय बाजार में सामान्यतया मंदा आ जाने के कारण विक्रेय लोहा और इस्पात के स्टाक का बढ़ जाना ।

(2) रेलवे और बन्दरगाहों द्वारा बहुधा लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध जिनसे विक्रेय इस्पात के उत्पादन की खपत पर असर पड़ता है ।

(3) मार्च, 1967 में ब्लूमिंग और बिलेट मिलों में भारी मरम्मत का होना ।

(4) जून, 1967 में कठीन श्रमिक समस्याएं ।

(च) परिवहन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं। विभिन्न प्रकार के इस्पात के सामान के निर्यात में वृद्धि करने के लिए काफी प्रयत्न किए जा रहे है ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का चापरमुख-सिलघाट सेक्शन

6461. श्री बेदव्रत बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के चापरमुख-सिलघाट सेक्शन को चलाने के लिये मैसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी को दिया गया पट्टा 1968 में समाप्त हो जायेगा;

(ख) क्या पट्टा देने की यह व्यवस्था सरकार, कम्पनी तथा जनता के लिये बहुत असंतोषप्रद रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सेक्शन को 1968 के बाद स्वयं चलाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। इस तरह का कोई पट्टा नहीं है ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

(ग) यह लाइन चापरमुख-सिलघाट रेलवे कम्पनी लि० की सम्पत्ति है, जिसकी प्रबन्धक एजेंट मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी है । लेकिन 14 नवम्बर, 1918 को चापरमुख-सिलघाट रेलवे कम्पनी और तत्कालीन भारत सचिव के बीच हुए करार के अधीन चापरमुख-सिलघाट खण्ड प्रारम्भ से ही पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे के एक भाग के रूप में सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

Export of Tea

6462. **Shri Marandi:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an official expert committee has recommended to Government a cut of 20 per cent in the Fourth Plan tea export target of 300 million kilograms;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether it is also a fact that the Committee has suggested a scaling down of the Fourt Plan tea production target from 454 million kilograms to 420 million kilograms; and

(d) if so, the reasons put forward by them and Government's reactaion thereto ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) and (c) Yes, Sir.

(b) and (d). The revised tragets for production and export of tea suggested by the Committee represent the levels which, in their assessment of the present trends and future prospects, are likely to be reached by 1970. Government fee that the revised targets are more realistic than the figures originally adopted in the Fourth Plan and propose to aecept them.

अलवाय स्टेशन के लाइसेंस प्राप्त कुलियों द्वारा ज्ञापन

6463. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवाय रेलवे स्टेशन के लाइसेंस प्राप्त कुलियों से सरकार को 5 मई, 1967 को एक ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगे की गई हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में सीमेंट विक्रेता मण्डल, त्रिचूर

6464. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सीमेंट विक्रेता मण्डल, त्रिचूर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके कमीशन में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 1.1,1966 से सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लेने के पश्चात स्टाकिस्ट्स को कमीशन देने का काम सीमेंट निर्माताओं या उनके विक्रय अभिकर्ताओं का काम है और केरल चैम्बर आफ सीमेंट स्टाकिस्ट्स को इसकी सूचना दे दी गई है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के रेलवे लाइन के कर्मचारी

6465. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंजूरी बढ़ाने के बारे में कोचिन तेल शोधक कारखाना रेलवे लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों से दिनांक 30 मई, 1967 को एक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कोचीन आयल रिफाइनरी रेलवे लाइन में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिक कर्मचारियों की ओर से 16-12-1966 का (30 मई, 1967 का नहीं) एक अभ्यावेदन स्थानीय निर्माण इन्जीनियर को मिला था।

(ख) उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनकी मजदूरी केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग तथा राज्य के लोक निर्माण विभाग के उसी स्थान पर नियुक्त, नैमित्तिक श्रमिकों से कम नहीं थी।

कल्लूर में मार्शलिंग यार्ड

6466. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कल्लूर, एरणाकुलम में मार्शलिंग यार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को कल्लूर में इस यार्ड को स्थापित करने के विरोध में विज-टिल्ला पंचायत से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। मार्शलिंग यार्ड स्थापित करने के विरोध में एरणाकुलम-वैट्टिला मार्शलिंग यार्ड संयुक्त समर समिति की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ग) मार्शलिंग यार्ड बनाने के लिए स्थान का चुनाव सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की सलाह से किया गया है, इसलिए इस यार्ड को हटा कर दूसरी जगह बनाना रेलवे के दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं है।

केरल में इस्पात कारखाना

6467. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलमस्सेरी (केरल) में एक इस्पात कारखाना लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

साहेबपुर कमाल स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर गुण्डागर्दी

6468. श्री फ० गो सेन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रविवार, 25 जून, 1967 को पूर्वोत्तर रेलवे के साहेबपुर कमाल स्टेशन पर कुछ गुण्डों ने एक बारात को मारा-पीटा था और उनके माल-असबाब को नष्ट कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) 25-6-67 को लगभग 16-00 बजे, सहरसा की एक बारात, जिसमें 30 व्यक्ति थे, साहेबपुर कमाल स्टेशन पर 384 डाउन गाड़ी में सवार हुई। वर और वधू पहले दर्जे के एक डिब्बे में थे। कुछ गुण्डे उसी डिब्बे में चढ़ गये और उन्होंने वधू के साथ अश्लील मजाक तथा अभद्र व्यवहार किया। बारात के कुछ व्यक्तियों ने इसका विरोध किया जिसके फलस्वरूप आपस में गर्मा-गर्मी हो गयी। जब गाड़ी खरबाद गांव के निकट पहुँची तो गुण्डों ने खतरे की जंजीर खींचकर गाड़ी को रोक लिया और उनके बुलाने पर लाठियों से लैस लगभग 50 व्यक्ति वहां आ पहुँचे और उन्होंने बारात के लोगों को खोजना शुरू कर दिया। इस बीच गाड़ी चल पड़ी और वे बदमाश भी गाड़ी में चढ़ गये। लगभग 17-00 बजे जब गाड़ी मुंगेर घाट रेलवे स्टेशन पर पहुँची तो गुण्डों ने बारात पर हमला कर दिया और कुछ बारातियों को निर्दयतापूर्वक पीटा जिससे 6 व्यक्तियों को चोटें आयीं। कुछ सम्पत्ति को भी नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट है कि ये गुण्डे ग्राम खरबाद, थाना बलिया, जिला मुंगेर, बिहार के रहने वाले हैं।

(ग) खदरा की सरकारी रेलवे पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट की गयी जिसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/323/379 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

Exports of Textiles to U. K.

6469. Shri Kanwar Lal Gupta: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the sale of Indian cloth in England has decreased;

(b) whether it is also a fact that Indian cloth of the value of £ 1,02,81,000 was sold in England during the month of May last year, while during the month of May in the current year, its sale proceeds have been of the value of £ 87,07,000 only; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps taken by Government to promote its sale?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): Yes, Sir;

(b) No, Sir. Exports of cotton textiles to the U. K. during May, 1966 were valued at £ 9,67,700 while those during May 1967 were valued at £ 664800.

(c) The main reasons for tne decline in exports to the U.K. are as follows:—

(1) Higher costs of production in Indian due to the shortage of appropriate qualities of cotton.

(2) Certain anti-inflationary measures adopted by the U. K. Government which aimed at discouraging imports. This has adversely affected the exports of bulk items like furnishing fabrics which were being largely imported from India.

(3) Because of the credit squeeze in the U. K. total imports of cloth from all sources into that country, in 1967, have been lower as compared to the imports in 1966.

In order to encourage exports to the U. K., the Cotton Textiles Export Promotion Council has reduced the allocation fees on exports to this destination from 12 paise per

square yard or 12% of the F. O. B. value of exports to 3 paise per square yard or 3% of the F. O. B. value of exports, whichever is lower. This, coupled with an improvement in the position of availability of cotton, may result in increased exports of cotton textiles to the U.K. in the coming months.

सिगरेटों का निर्माण और निर्यात

6470. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री मधु लिमये :
श्री श्रीधरन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिवर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की सिगरेटें तैयार की जाती हैं;

(ख) भारत से प्रतिवर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की सिगरेटों का निर्यात किया जाता है; और

(ग) क्या भारतीय सिगरेटों के निर्यातकों को उत्पादन शुल्क में रियायत दी जाती है और यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) दो विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 1146/67]**

(ग) भारतीय सिगरेटों पर उनमें प्रयुक्त अनिर्मित तम्बाकू सहित दिये गये उत्पादन शुल्क की पूर्ण छूट उनके निर्यात पर दी जाती है।

Burning of Dead Body of a Railway Employee in Asansol

6471. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Railaways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Left Communists had forcibly burnt down the dead body of a Railway employee of the Divisional Superintendent's Office, E. Rly. in Asansol on the 4th July, 1967; and

(b) if so, the details of the incident ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) No. The correct position is that on 29-6-67, an employee of Asansol Loco Shed received a fatal injury due to an accident while he was working in the loco shed. He died on 2-7-67 in the hospital. On 3-7-67, the loco staff brought out a procession with the dead body to the Divisional Superintendent's Office compound under the leadership of Shri Mahadeb Mukherjee, C.P.I./Marxist (Municipal Commissioner) and one suspended clerk of Divisional Superintendent's office Asansol. The Divisional Superintendent came out from his office and paid homage to the dead body and assured to give all possible help to the family of the deceased. But the above persons demanded a judical enquiry and immediate suspension

of the Loco Foreman, Asansol. The Divisional Superintendent, however, expressed his inability to give any commitment to their demands unless he received the findings of the enquiry committee already set up to enquire into the causes of the accident. The processionists were not satisfied and they announced that they would bury the dead body in the Divisional Superintendent's office compound unless their demands were fulfilled within 16 hours the same day i. e. 3-7-67. Ultimately, they buried the dead body in Divisional Superintendent's office compound, which was, however, disinterned by the order of a Sub Divisional Magistrate and removed by the police at about 22-30 hrs. on 4-7-67. A case under sections 147/341/342/448 IPC has been registered at Asansol Police Station. The case is under police investigation. Disciplinary action against 5 railway employees is under process.

Free Supply of Uniforms to Children of Railway employees

6472. **Shri Meetha Lal** : Will the Minister of Railway be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sometime back it was decided that the children of railway employees drawing a salary of less than Rs. 250/- per month, who were studying in railway primary schools would be given three summer and one winter uniforms free of charge;

(b) whether it is also a fact that only two summer uniforms are being given now and the winter uniform is given after many years and that too is not certain;

(c) whether it is also a fact that students of fifth class are not given this uniform at all; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, but the facility is available to employees drawing pay upto Rs. 225/- per month and not Rs. 250/- per month.

(b) to (d) The information is being collected from the Zonal Railways.

राज्यों को लोहे तथा इस्पात के उत्पादों का नियतन

6473. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के उद्योगनिदेशकों में से कुछ ने राज्यों को लोहा तथा इस्पात के उत्पादों के आवंटन की वर्तमान प्रणाली के पुनरीक्षण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) 1.5.1967 से लोहा और इस्पात के वितरण पर कोई वैधानिक नियन्त्रण नहीं है। अब दुर्लभ वर्ग के इस्पात के समान वितरण के लिए संयुक्त संयंत्र समिति उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में उसने अपनी योजना घोषित कर दी है। अखिल भारतीय लोहा और इस्पात सलाहकार समिति की 29 जून, की बैठक में यह प्रश्न उठाया गया था। कुछ उद्योग निदेशकों ने यह विचार प्रकट किया कि नियन्त्रण हटा लेने पर लघु उद्योग की इकाइयों को दुर्लभ वर्ग

के इस्पात की सप्लाई करने में कठिनाई होगी। यह निश्चत किया गया कि वितरण की व्यवस्था पर उद्योग निदेशकों से विचार-विमर्श किया जायेगा। यह बैठक अगस्त 1967 के यारम्भ में होनी है।

विदेशी कारों का आयात

6474. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कारों का आयात करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या विदेश में रह रहे किसी भारतीय नागरिक को विदेशी कारों का आयात करने की अनुमति है; और

(ग) क्या विदेशी कारों के आयात के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता सूची है अथवा कोई अन्य तरीका है जिसके अनुसार विदेशी कारों के आयात का विनियमन किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय नागरिकों द्वारा कारों के आयात की, भाग (ख) के उत्तर में दी गई परिस्थितियों के अलावा प्रायः अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) जी, हां। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्तिगत सामान के रूप में कारों के आयात की अनुमति दी जाती है:—

(1) कार कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए उसके स्वामित्व तथा प्रयोग में रही हो।

(2) विदेशों में उसके निरन्तर ठहरने की अवधि एक वर्ष से कम न हो।

(3) कार उसकी अपनी ही आय से खरीदो गई हो।

(4) भारत को लौटने की तिथि से पूर्व 2 वर्ष की अवधि में उसने भारत से कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त न की हो।

(5) उसके निवास का स्थानान्तरण होने वाला हो।

(ग) कोई प्राथमिकता सूची नहीं है और मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

Running of Special Trains for Pilgrims attending the fair held at Brajghat (N. Rly.)

6475. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Y. S, Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a big fair is held at Brajghat situated between Hapur and Gajraula on "Amavasya" and "Purnima" every month;

(b) whether it is also a fact that visitors to these fairs have to travel even on the top of railway trains in the absence of any arrangement for running special trains; and

(c) if so, the arrangements proposed to be made to obviate inconvenience to these pilgrims ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Fairs are held once a month on every "Purnima" and twice a year on two "Amavasyas" namely, "Somvati" and "Pitravisarjan" at Garhmuktesar Bridge situated between Hapur and Gajraula stations.

(b) and (c) Consistent with the availability of resources by way of coaches and locomotives, arrangements, such as, augmentation of loads of scheduled trains and running of special trains, are made for clearing extra rush of traffic.

Trade with Cuba

6477. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that Government of U. S. A. proposes to completely discontinue her trade withe Cuba;

(b) if so, whether Government have held any talks with the Government of Cuba to increase and consolidate Indian trade with them;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the Indian products which can be exported to Cuba and the quantity thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Trade relations between U.S.A and Cuba were cut : off in 1960 and as far as we are aware, there has been little or no trade between the two countries during the past few years.

(b) to (d) The question of expansion of trade between India and Cuba has been examined in the past. I would invite the attention of the Hon'ble Member to the reply to Unstarred Question No. 1432 given in this House on 5th Augst, 1966.

मांट्रियल मेला

6478. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :
श्री सीताराम केसरी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री वेदव्रत वरुआ :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मंरडी :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मांट्रियल मेले में भारतीय मण्डप को सबसे कम प्रभावोत्पादक तथा कल्पनाशील समझा गया है;

(ख) क्या यह मण्डप एक छोटे बाक्स जैसे ढांचे से बना हुआ है और इससे न तो भारत की झलक मिलती है और न ही यह आधुनिक वास्तुकला का नमूना है; और

(क) इस मण्डप पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है और मेले के समाप्त होने तक और कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूसरी ओर इसको सारे मेले में सबसे अधिक सुन्दर तथा प्रभावशाली मण्डप कहा गया है जो हमारी परम्परा तथा सफलताओं का सही प्रतीक है।

(ग) भारतीय मण्डप की ठीक ठीक लागत का तो अभी हिसाब लगाया जाना है। परन्तु निर्माण का ठेका लगभग 15 लाल कनाडी डालरों का था। एक्सपो 67 में हमारे भाग लेने पर व्यय–सीमा विदेशी मुद्रा में 2.20 करोड़ रुपये तथा भारतीय मुद्रा में 30,00 लाख रुपये हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे में दूर संचार संवर्ग का वायरलेस विंग

6479. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री श्रीधरन :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे में दूर संचार संवर्ग के वायरलैस विंग का पुनर्गठन करने की कोई योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है;

(ग) क्या इस पुनर्गठन से प्रभावित होने वाले दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में क्या-क्या बातें कही गई हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) (i) महत्वपूर्ण बेतार स्टेशन 205-280 रुपये ग्रेड के सहायक दूर संचार निरीक्षक के सीधे चार्ज में रहेंगे, जबकि 100 वाट से कम शक्ति के ट्रान्समिटर वाले स्टेशनों की देखरेख, सापेक्षिक महत्व के अनुसार, 110-180 रुपये या 130-212 रुपये वेतनमान के बेतार अनुरक्षकों द्वारा की जायेगी। इसके परिणामस्वरूप चालू लाइन के बेतार स्टेशनों पर 175-240 रुपये के वेतनमान में ग्रेड I के बेतार मैकेनिकों के पद नहीं रहेंगे।

(ii) इस योजना पर अमल करने में कुछ कठिनाइयां उठ खड़ी हुई, अतः इस मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है, और फैसला करने में कुछ समय लग जायेगा।

(ग) से (ङ) सूचना मंगाई जा रही है यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Closure of Factories in U. P. for want of Raw Materials

6480. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri J. Sundar Lal :
Shri Ramji Ram :
Shri D. C. Sharma :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the statement made by the Industries Minister of Uttar Pradesh, wherein he is reported to have stated that 4,000 factories are facing closure due to the scarcity of raw materials;

(b) whether this would cause a heavy loss to Uttar Pradesh and the whole country; and

(c) if so, the arrangements made for the supply of raw materials?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) It is not correct that the Minister for Industries, Uttar Pradesh, had stated that 4,000 factories in U. P. are facing closure due to scarcity of raw materials. The Minister' however, said that consequent on the decontrol of scarce raw material (iron and steel) 4,000 engineering units in U. P. were experiencing acute trouble in obtaining these raw materials on usual rates as the stockists did not deliver supplies of these materials. But no unit had to close down on this score.

(b) and (c) The question of heavy loss to U. P. and the whole country due to closure of units does not arise. However, the State Government have requested the Joint Plant Committee to stop the supplies of raw materials to Registered stockists and if possible, to deliver the supplies to the U. P. Small Scale Industries Corporation, Kanpur, so that proper distribution of the scarce raw materials may be made among the various industrial units in the State. An **ad hoc** indent for 1,500 tons of scarce raw material has also been placed with the Joint Plant Committee to meet the immediate demand of the industrial units in the State.

मैसूर तथा मध्य प्रदेश में सीमेन्ट के कारखाने

6481. श्री मंरडी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर तथा मध्य प्रदेश में दो सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने के बारे में भारतीय सीमेन्ट निगम ने परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां पर सीमेन्ट कारखाने कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है;

(ग) प्रत्येक कारखाने का उत्पादन क्षमता कितनी होगी तथा प्रत्येक कारखाने पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) क्या ये कारखाने सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, 1969 ।

(ग) दो लाख टन प्रति वर्ष, प्रत्येक मामले में लगभग 4.70 करोड़ रु० ।

(घ) ये सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे ।

रेलवे में चार्जमैनों के लिये प्रोत्साहन बोनस

6482. श्री स० च० बेसरा : क्या रेलवे मन्त्री 2 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1408 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार्जमैनों, मिस्त्रियों तथा विभिन्न वर्गों के कुशल तथा अति कुशल कारीगरों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन बोनस की दरें क्या हैं;

(ख) कारीगरों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन बोनस की दरों में किस आधार पर पुनरीक्षण किया गया था; और

(ग) क्या वही कारण चार्जमैनों के मामले में लागू नहीं होते और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी 1149/67]**

(ख) मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप इनमें संशोधन किया गया था ।

(ग) यद्यपि चार्जमैनों के मंहगाई भत्ते की दरों में भी वृद्धि हुई, फिर भी उनके मामले में प्रोत्साहन बोनस की दरों में संशोधन नहीं किया गया । 2 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न 1408 के उत्तर में इसके कारण पहले ही दिये जा चुके हैं अर्थात् पर्यवेक्षण कर्मचारियों के लिये वर्तमान दरें पर्याप्त समझी जाती हैं और उनमें वृद्धि करने का औचित्य नहीं है ।

जमशेदपुर में मिश्रित इस्पात परियोजना

6483. श्री पार्थसारथी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटाओं ने बिहार में जमशेदपुर में प्रस्तावित मिश्रित इस्पात परियोजना को कार्यरूप देना अभी आरम्भ नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इन्जीनियरी के सामान का निर्यात

6484. **श्री पार्थसारथी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू राजकोषीय वर्ष में इन्जीनियरी के सामान के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस निर्धारित लक्ष्य में से संयुक्त अरब गणराज्य तथा फारस की खाड़ी के देशों को कितने माल का निर्यात किया जायेगा; और

(ग) क्या हाल में पश्चिम एशिया में हुए युद्ध का निर्यात पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1967-68 के वर्ष के लिए इन्जीनियरी के सामान के निर्यात का लक्ष्य 42 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में संयुक्त अरब गणराज्य तथा मध्यपूर्व के देशों के लिए निर्यात लक्ष्य 12 करोड़ रु० आंका गया है ।

(ग) पश्चिम एशियाई युद्ध से प्रभावित देशों के साथ व्यापार सम्बन्धों के पुनःसमंजन के कारण वर्तमान स्थिति अनिश्चित है । फिर भी आशा की जाती है कि हमारे लिए लक्ष्य प्राप्त कर लेना सम्भव होगा ।

राज्य व्यापार निगम को देय व्यापार कमीशन

6485. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने ऐजेन्टों द्वारा देय व्यापार कमीशन बट्टे खाते में डाल दिया है अथवा माफ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इस कमीशन की कितनी राशि बट्टे खाते डाल दी गई;

(ग) उन पार्टियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनकी ओर एक लाख रुपये से भी अधिक का व्यापार कमीशन था परन्तु जिसको बट्टे खाते डाल दिया गया है;

(घ) राज्य व्यापार निगम की इस कार्यवाही के क्या कारण हैं;

(ङ) उनसे इस कमीशन की वसूली के लिए राज्य व्यापार निगम ने क्या कार्यवाही की थी; और

(च) क्या सरकार को किसी अधिकारी के विरुद्ध इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि वह व्यापार ऐजेन्टों के साथ मिला हुआ था ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (च) पूछी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

रेफ्रीजरेटरों का निर्माण

6486. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री न० कु० साल्वे :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 26 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू उपयोग के रेफ्रीज़रेटर बनाने वाले पांच कारखानों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक कारखाने की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या ये कारखाने घरेलू उपयोग के रेफ्रीजरेटरों सम्बन्धी देश की मांग पूरी करने में समर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में रेफ्रीज़रेटरों का आयात बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क)

	फर्म का नाम	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता
1.	मैसर्स सूर इन्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता।	2400
2.	मैसर्स गोडरेज एण्ड बोइस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई।	6000
3.	मैसर्स हैदराबाद एल्विन मैटल वर्क्स लिमिटेड, हैदराबाद।	10,000
4.	मैसर्स कैलवीनेटर आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।	6,000
5.	मैसर्स वोल्टास लिमिटेड, बम्बई।	11,000

(ग) जी हां।

(ख) रेफ्रीजरेटरों के आयात पर पाबन्दी है।

यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों में संगचल कर्मचारी

6487. श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों में 17–18 बोगियां चलाई जा रही है जिनके नियन्त्रण के लिए केवल एक परिवहन अधिकारी अर्थात् गार्ड इन्चार्ज होता है हालांकि विभाजन से पहले 7-8 बोगियों के लिए तीन परिवहन अधिकारी अर्थात् गार्ड इन्चार्ज, कन्डक्टर गार्ड और लगेज गार्ड हुआ करते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इससे रेलगाड़ियों के कुशलता से और समय पर तथा सुरक्षापूर्वक चलने पर कुप्रभाव पड़ता है; और

(ग) किन बातों तथा धन की बचत को ध्यान में रखकर केवल एक परिवहन अधिकारी ही रखा गया हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। पहले गाड़ी का गार्ड, लगेज गार्ड और कंडक्टर गार्ड परिवहन विभाग के अन्तर्गत होते थे। अब भी गाड़ी का गार्ड और ब्रेकसमैन (जो पहले लगेज गार्ड कहलाते थे) परिवहन विभाग के अन्तर्गत होते हैं, लेकिन अब कंडक्टर गार्ड वाणिज्यिक विभाग का कर्मचारी होता हैं जो ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी प्रबन्धों की देखभाल करता है और सभी दर्जों के यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के संगचल कर्मचारियों को क्वार्टरों का नियतन

6488. श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्वार्टरों के नियतन के मामले में रेलवे संगचल कर्मचारियों को सहायक स्टेशन मास्टरों के बाद सर्वोच्च प्राथमिकता मिला करती थी;

(ख) क्या अब अधिकांश वर्गों के कर्मचारियों को क्वार्टरों के नियतन के मामले में अनिवार्य घोषित कर दिया गया है जिनमें गार्ड भी शामिल है; और क्वार्टरों के नियतन में उनको कोई सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि रेलवे के अधिकतर संगचल कर्मचारी पर्याप्त विश्राम नहीं कर पाते हैं, जो कि रेलगाड़ियों को सुरक्षित चलाने के लिए परमावश्यक है क्योंकि वे अपने काम के स्थानों से बहुत दूर रहते हैं, और

(घ) संगचल कर्मचारियों के काम के अनियमित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूल से बाहर क्वार्टर देने पर कितना धन खर्च होगा।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ब्रिटिश कोलम्बिया के सहयोग से भारत में स्थापित किये जाने वाले उद्योग

6489. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री न० कु साल्वे :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 9 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2024 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उद्योगों की स्थापना के बारे में ब्रिटिश कोलम्बिया के व्यापार प्रतिनिधिमंडल से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुदीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास

6490. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री न० कु० साल्वे :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में मध्य प्रदेश में लघु उद्योग के विकास की कोई योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उनको कहां आरम्भ किया जायेगा और प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुदीन अली अहमद) : (क) और (ख) चतुर्थ योजनावधि के लिए उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रमों में निम्न योजनाओं को शामिल किया है (1967–68 के लिए योजनाएं पृथक से दी गई है):—

1. उद्योगों को राज्य सहायता—
   (एक) ऋण तथा अनुदान,

(दो) ऋणों के ब्याज, औद्योगिक बस्तियों के रोडों की बिजली और किराये पर राज सहायता ।

(तीन) प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता ।

(चार) औद्योगिक बस्तियों आदि के निर्माण पर जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय अभिकरणों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज पर राज सहायता ।

2. छोटे औद्योगिक एकक सरकार या सरकारी निगम द्वारा चलाये जायेंगे ।

3. लघु उद्योग निगम द्वारा किराया खरीद आधार पर मशीनों का दिया जाना ।

4. निर्यात प्रोत्साहन तथा विपणन सुविधाएं ।

5. परीक्षण तथा किस्म निर्धारण सुविधाएं ।

6 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण ।

7 सर्वेक्षण तथा आंकड़ों का संकलन और योजनाओं और क्षेत्र विकास अध्ययनों की तैयारी ।

8. प्रचार तथा प्रदर्शन, गोष्ठियां, सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के अध्ययन दौरे ।

9. मुख्यालय और उद्योगों के निदेशक के स्थानीय कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या का बढ़ाया जाना ।

10. उप-नगरीय औद्योगिक विकास केन्द्रों का विकास ।

11. चमड़ा उद्योगों का विकास ।

ग्राम तथा लघु उद्योगों सम्बन्धी कार्यकारी दल ने लघु उद्योग और औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए 152.70 लाख रुपये का उपबन्ध करने की सिफारिश की है ।

भिलाई इस्पात कारखाने के उपयोगार्थ मध्य प्रदेश में खरखरा तथा हसदेव परियोजना

6491. श्री न० कु० साल्वे :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए खरखरा परियोजना का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या इसके लिये वित्त की व्यवस्था उनके मंत्रालय ने की थी और इसकी व्यवस्था राज्य योजना में नहीं की गई थी;

(ग) क्या हसदेव परियोजना का निर्माण भी भिलाई इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया गया था;

(घ) हसदेव परियोजना को केन्द्रीय सरकार ने पूरा किया था अथवा राज्य सरकार ने और इस पर कितनी लागत आई थी; और

(ङ) यदि हसदेव परियोजना को राज्य सरकार ने पूरा किया है तो इस पर खर्च की गई राशि के सरकार द्वारा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां। प्रायोजना मुख्यतः भिलाई इस्पात कारखाने की पानी की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए है।

(ख) इस प्रायोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई ऋण सहायता मध्य प्रदेश को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता के अतिरिक्त है।

(ग) जी, नहीं। हसदेव प्रायोजना के प्रथम चरण से कोरबा थर्मल स्टेशन को ठंडा करने के लिए पानी दिया जाता है।

(घ) हसदेव प्रायोजना का प्रथम चरण राज्य सरकार द्वारा लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से प्रायः पूर्ण हो चुका है।

(ङ) चूंकि सिचाई और पावर की परियोजनाएं राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं इसके ऊपर किये गये व्यय को देने का प्रश्न नहीं उठता।

फ्लैक्स का आयात

6492. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्लैक्स का, जो आग बुझाने के होज बनाने के काम में आता है, आयात किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अलसी के डंठल, जो सारे भारत में बोई जाती है का प्रयोग फ्लैक्स बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो देश में फ्लैक्स तैयार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में विशेष धातु मिश्रित इस्पात कारखाने

6493. **श्री विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री अविचन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विशेष धातु मिश्रित इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्राप्ति हेतु दिये गये कोई अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, एक।

सभा में बोलने के लिये सदस्यों का चयन करने के बारे में प्रक्रिया

PROCEDURE REGARDING SELECTION OF SPEAKERS

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Yesterday while this House was discussing an Adjournment Motion on the Congress rule in Madhya Pradesh, Mr. Deputy Speaker, who was then presiding, remarked that Shri Surendra Nath Dwivedi, who was then speaking would be the last speaker to speak on the motion. I would like to submit that there are about sixty independent Members, who have been elected to this House. The hon. Deputy Speaker remarked that the Speaker had instructed him to allow only the Speakers who belong to any of the political parties to speak and no independent member should be called to speak.

Sir, I have gone through every word of the Constitution of India and the Rules of Procedure and conduct of Business of Lok Sabha and I have not been able to find any discrimination any where on any ground. The former Speaker, Sardar Hukam Singh had established a convention that the independent members of the House may form themselves into a group and that group may be recognised by the Speaker. This will help in the proceedings being carried on more smoothly from that point of view about twenty five independent Members of the House including myself have written to you requesting to evolve a formula by which our rights as Members of this House should not be jeopardised.

Shri Nath Pai (Rajapur) : We fully endorse the views expressed by Shri Shastri.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : चाहे हम किसी दल में शामिल हों अथवा नहीं और चाहे हमारा दल बड़ा हो या छोटा, हमारे निर्वाचन क्षेत्रों का यहां पर समान रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिये। यदि अवसर की समानता संवैधानिक तथा लोकतन्त्रात्मक अधिकार है तो नियम इस प्रकार बनने तथा लागू होने चाहिये कि सभी को उचित तथा समान अवसर प्राप्त हों।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I support the views expressed by the hon. Member.

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : कल जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो मैं पहले नाम देने वाले सदस्यों में से एक था। सभा की प्रथा यह है कि जो भी सदस्य बोलना चाहे, अपना नाम दें। मैंने यह भी बताया था कि मैं भी एक दल का सदस्य हूं परन्तु उन्होंने कहा कि आपका दल मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिये आपको समय नहीं दिया जा सकता।

इस सदन में सबसे बड़े दल के भी 53 सदस्य नहीं हैं और इसलिये वह मान्यता प्राप्त दल नहीं है। उसकी तुलना में हमारी संख्या अधिक है। यदि हमें चर्चा के बाद भी समय नहीं मिल पाता है तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे इस सभा में आने का क्या लाभ है। मैंने उपाध्यक्ष महोदय को यह भी कहा था कि मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा। फिर भी उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिदेशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उन प्रथाओं को मान्यता देनी चाहिये जो काफी समय से चली आ रही है। मुझे 25 वर्ष से इस सदन का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं निर्दलीय सदस्य रहा हूं और उस समय के अध्यक्ष श्री मावलंकर तथा उनसे पहले के अध्यक्ष भी अपने स्वविवेक से ऐसे सदस्यों को बोलने का अवसर देते रहे हैं जो उनके विचार में सभा की कार्यवाही में अधिक अच्छा भाग ले सकते हैं। डा० कुंजरु तथा मुझे विवाद का आरम्भ करने का अवसर दिया जाता था यद्यपि हम असम्बद्ध थे। आपके पूर्वाधिकारी ने हमें दल बनाने के लिये कहा था और हमें अपनी संख्या के अनुसार समय दिया जाता था परन्तु आपने उसे भी बदल दिया।

श्री ह० प० चटर्जी (कृष्णनगर) : श्रीमान, आपके विनिर्णय संविधान के अनुसार तथा न्यायिक होने चाहिये। आप हमें इस कारण बोलने का अवसर नहीं देते हैं क्योंकि हम असम्बद्ध है। यह संविधान के विरुद्ध, मनमाने ढंग का तथा लोकतन्त्र के विरुद्ध है।

श्री खाडिलकर (खेड) : कम समय होने के कारण मैं माननीय सदस्यों को अवसर नहीं दे सका और मैंने माननीय मंत्री को बोलने के लिये कहा था।

अध्यक्ष महोदय : लगभग 57 अथवा 60 असम्बद्ध सदस्य हैं परन्तु मेरे लिये यही, कठिनाई है। महन्त दिग्विजय नाथ श्री मुहम्मद इस्माइल मेरे पास आये थे और अपने दलों के बारे में कहा था। असम्बद्ध सदस्यों की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की जाती है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री फ्रैंक एन्थनी तथा श्री कृपालानी को बोलने का अवसर दिया जाता है। परन्तु अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। वे सन्तुष्ट नहीं होते हैं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं प्रोग्रेसिव ग्रुप की ओर से बोल रहा हूँ । श्री विश्वनाथम, श्री कुन्टे, श्री चौधरी तथा अन्य सदस्य उसमें शामिल हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि अध्यक्ष महोदय का कहना है कि अन्य दलों को जो सुविधायें दी गई है, वे आपके दल को नहीं दी जायेगी । यह तो विभिन्न दलों के बीच भेदभाव करने के समान है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इन सुविधाओं से वंचित नहीं किया गया है परन्तु यदि प्रत्येक सदस्य बोलना चाहे तो कठिनाई हो जाती है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : कल मैंने आपको लिखा था कि आप उपाध्यक्ष के व्यवहार की जांच करायें । मैं उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी जांच करवाई जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है । ऐसी बातें कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-पूर्वोत्तर) : श्री हेम बरुआ ने कहा है कि उपाध्यक्ष के व्यवहार की जांच की जानी चाहिये । उनका व्यवहार कुछ भी हो परन्तु क्या सभा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी बातें कहना उचित है ।

श्री हेम बरुआ : मैंने जो कुछ भी कहा है, वह किसी आधार पर कहा है । मुझे इस बात का दुःख है कि उपाध्यक्ष महोदय पक्षपात करते हैं ।

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय—जारी

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : इस समय देश की औद्योगिक स्थिति सब प्रकार से गम्भीर है । इस मंत्रालय के प्रतिवेदन में इस स्थिति को स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि दो वर्ष निरन्तर सूखा पड़ने के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है । मैं यह स्वीकार करती हूं कि कृषि पर आधारित उद्योगों पर सूखे का बुरा प्रभाव पड़ा है परन्तु चीनी, कपड़ा तथा अन्य उद्योगों में भी स्थिति गम्भीर है । इस मंदी के लिये मुख्य रूप से सूखे पर आरोप लगाना उचित नहीं है । हमारी नीति ठीक नहीं सिद्ध हुई, उनकी क्रियान्विति में दोष रहा है । समन्वय का अभाव, सरकार और औद्योगिक हितों के बीच निकट सम्बन्धों का अभाव आदि इस स्थिति के कुछ कारण हैं । ऋण व्यवस्था को संकुचित इसलिये किया गया था कि मूल्यों पर से दबाव हट जाये । परन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि इस कार्यवाही से उत्पादन में बाधा पड़ी और उद्योग की हानि हुई । इस कार्यवाही से सट्टेबाजी और वस्तुओं को एक स्थान

पर रोकने की प्रवृत्ति को समाप्त करने का था परन्तु वैसा हो नहीं सका। हमें अपने उद्देश्य में इसलिये सफलता नहीं मिली क्योंकि समस्त देश में छिपा हुआ धन बहुत है। इस छिपे हुए धन को बाहर निकलवाने के लिये हमें कोई गम्भीर कार्यवाही करनी चाहिये। यदि किसी और ढंग से सफलता न मिल सके तो हमें विमुद्रीकरण जैसी गम्भीर कार्यवाही करने के बारे में भी विचार करना चाहिये।

हमारी अर्थ-व्यवस्था को आघात पहुंचाने वाली एक और गम्भीर बात अवमूल्यन हैं। मेरे विचार में यह विनाशकारी गलतियों में से एक है। हमें यह कार्यवाही करनी पड़ी क्योंकि हमारे आयात का ढांचा बहुत कठोर है। हमें खाद्यान्न जैसी कुछ वस्तुओं का आयात करना ही पड़ता, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। यदि कच्चे माल का और फालतू पुर्जों का आयात न किया जाये तो हमारे उद्योग एकदम बन्द हो जायेंगे। इसलिये हमारे आयात में कमी करने की बहुत कम सम्भावना है। जहां आयात का ढांचा इतना कठोर हो वहां हमें अवमूल्यन करने से पहले बहुत अच्छी तरह से विचार करना चाहिये था। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई है और दूसरी ओर इससे हमारे आयात या हमारे उद्योगों को कोई सहायता नहीं मिली। इन परिस्थितियों में स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिये हमें मूल्यों में वृद्धि नहीं करनी चाहिये। इन कारणों से उत्पादन की गति धीमी पड़ गई है और इसके साथ मंदी की भी स्थिति स्पष्ट है। मांग इतनी कम है कि कम उत्पादन वाले एकक भी अपने माल को बेच नहीं पाते। मुझे उत्तर प्रदेश से समाचार मिला है कि इन्जीनियरिंग उद्योग के एकक बन्द होते जा रहे हैं। हाल ही में बम्बई से समाचार आया था कि 7500 लोगों को जबरी छुट्टी दी गई है। इन्जीनियरिंग उद्योगों की अत्यधिक क्षमता बेकार जा रही है। रांची में भारी इन्जीनियरिंग परियोजना पर 200 करोड़ रुपया लगाया गया था। हमारा अनुमान यह था कि इससे सारे देश की भारी मशीनों से सम्बन्धित आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी। परन्तु मुझे पता चला है कि उस कारखाने की क्षमता का केवल दस प्रतिशत काम हो रहा है। यह बहुत बड़ी गलती है और हमें उसका सुधार करना चाहिये। हमें यह भी देखना चाहिये कि रुरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों में उत्पादन की कमी के क्या कारण हैं? यह सरकारी उद्योग है और उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। कुछ लोगों का विचार है कि उत्पादन को बढ़ाने से तथा अधिक निर्यात से मंदी को दूर किया जा सकता है। कहने से करना कठिन होता है। हमारे उत्पादन और कच्चे माल की लागत अत्यधिक है और विदेशों के बाजारों में प्रतियोगी दरों पर वस्तुएं भेजी जाती हैं। विदेशी बाजार पर प्रभाव डालने के लिये हमें कुछ मूल और गम्भीर कारणों पर काबू पाना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिये हमें औद्योगिक कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर उपलब्ध किया जाना चाहिये। उत्पादन शुल्क और सीमा-कर के सम्बन्ध में सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिये।

केवल निर्यात से हम उद्योगों की रक्षा नहीं कर सकते या अर्थ-व्यवस्था का सुधार नहीं कर सकते। हमारा भारतीय बाजार बहुत बड़ा होना चाहिये। उसका हमारी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सके। जिससे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य कम रखे जा सकें। सरकार को अपनी वित्तीय नीति को एक नया रूप देना चाहिये जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उपभोक्ता वर्ग इतनी

बचत कर सके कि वह उद्योगों में धन लगा सके । उत्पादन और खपत का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है और वे एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैं । यदि देश में ऐसी स्थिति पदा कर दी जाये जिससे उपभोक्ता की क्रय-शक्ति ही न रहे तो उद्योग नहीं चल सकते ।

हम पिछले 20 वर्षों से मोटर-गाड़ी उद्योग के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं । कई समितियां बनाई गई हैं और कितनी शिकायतें की गई हैं । आज इस क्षेत्र में पूर्ण एकाधिकारवाद की स्थिति है । मोटर गाड़ियों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है और उनकी गुणवत्ता कम होती जा रही है । जनता द्वारा शोर मचाने पर अब एक समिति बनाई गई है । मोटर-गाड़ी के उद्योग में सुधार किया जाना चाहिये और इस क्षेत्र में एकाधिकार की स्थिति समाप्त की जानी चाहिये ।

प्रशासनिक अकार्यकुशलता भी अत्यधिक है । इस बजट में बिजली से चलने वाले करघों पर अतिरिक्त कर लगाया है । वित्त मंत्री ने कहा था कि अतिरिक्त कर से 7.80 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । इन आंकड़ों को 'फेडरेशन आफ कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष ने चुनौती दी है और कहा है कि इससे कुल आय 52.40 करोड़ रुपये होगी न कि 7.80 करोड़ रुपये । कुछ और लोगों का कहना है कि इससे 60 करोड़ रुपये प्राप्य होंगे । जिस अधिकारी ने यह गलत आंकड़े दिये हैं उसने मंत्री महोदय को बुरी तरह से गुमराह किया है । यदि यह ठीक बात है तो यह एक गम्भीर मामला है और हमें इन मामलों में सतर्क रहना चाहिये ।

मैं जानती हूं कि सरकार उद्योगों की सहायता करने के लिये उत्सुक है । परन्तु हमें अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिये । औद्योगिक नीति विषयक संकल्प हमारी नीति का आधार है । किन्तु क्या हमें इस बात का अन्दाज नहीं लगाना चाहिये कि क्या हम अपनी नीति से हट गये हैं, क्या हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं ? मंत्री महोदय को मंदी को रोकने, और बेरोजगारी को दूर करने के बारे में विचार करना चाहिये । सबसे अधिक ध्यान मंदी पर देने की आवश्यकता है । सभी संसाधनों, कच्चे माल तथा जन-शक्ति का सही अनुमान लगा कर इस विषय पर विचार करना चाहिये कि हम देश का विकास कर सकते हैं ।

Shri George Fernandes (Bombay-South): I move that this debate be adjourned. My motion is under Rule No. 340.

Recently Shrimati Sucheta Kripalani has charged the Government that the collection from the levy imposed on Power Loom would Rs. 52 crores instead of Rs. 8 crores. In fact some persons have stated that the yield would be upto Rs. 75 crores. This is a very serious matter. Even, if we charge the Government with criminality in this respect it would be a milder charge.

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे इस प्रस्ताव को लिख कर सूचना देनी होगी । मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता । श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा है कि आंकड़ों में अन्तर है । मंत्री महोदय इस बात का उत्तर अपने मंत्रालय की मांगों के उत्तर देते हुए दे सकते हैं ।

श्री जनार्दनन (त्रिचूर) : इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि हमारे उद्योगों में मंदी है । उद्योगपतियों ने कारखाने बन्द करके, अत्यधिक संख्या में छंटनी करके और मजूरी पर

रोक लगा कर बहुत गलत काम किया है। सरकारी क्षेत्र के कुछ एकक भी बन्द कर दिये गये हैं। स्थिति बहुत ही गम्भीर हो गई है और इसलिये अब कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। अब तक सरकार ने जो कार्यवाही की है उससे स्थिति और बिगड़ेगी ही, परन्तु इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

इस सरकार की तथाकथित आर्थिक और औद्योगिक नीति निश्चय ही उसके अपने औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के विरुद्ध है। सरकारी क्षेत्र में सरकार ने अपनी नीति से हटना आरंभ कर दिया है। मैं सरकारी क्षेत्र को समाप्त करने के विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिये और उसे अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिये। परन्तु सरकारी क्षेत्र में कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलता आदि सब कुछ है और यदि सरकार ने इन्हें समाप्त करने के लिये तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की तो स्थिति और बिगड़ जायेगी।

1956 के संकल्प में सरकार ने यह घोषणा की थी कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र को इस्पात और उर्वरक के सरकारी क्षेत्रों में घुसने की अनुमति नहीं देगी। परन्तु अब सरकार उर्वरक का काम एक अमरीकी कम्पनी को सौंप रही है। एक गैर-सरकारी इस्पात की मिल की भी पेशकश की गई है। इस प्रकार धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र कमजोर होता जा रहा है और सरकार अपनी नीति से हट रही है। फिर आयात को बढ़ाने से आत्म-निर्भरता के प्रयत्नों को भी धक्का पहुंचा है। 1965 के अन्त में पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता पर निर्भर करने के बाद आयात प्रतिस्थापन का जो कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, उसको निर्यात के सम्बन्ध में उदार नीति से गहरा आघात पहुंचा है।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह धन को कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा नहीं होने देगी। परन्तु इन वर्षों में सरकार ने जो कुछ किया है, उससे एकाधिकारवाद को अधिक बढ़ावा मिला है। एकाधिकार आयोग ने कहा है कि हमारा राष्ट्रीय धन 75 एकाधिकारवादी संस्थाओं में जमा हो गया है। औद्योगिक नीति तथा लाइसेंस प्रणाली से जन-साधारण के स्थान पर एकाधिकारवादियों का ही अधिक भला हुआ है। विदेशी एकाधिकारवादी पूंजीपति भी हमारी अर्थ-व्यवस्था में अधिक से अधिक स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सरकार इस समस्या का समाधान पूंजीपतियों के ढंग से कर रही है। जब संसार भर की पूंजीपति व्यवस्था ही खतरे में है तो वह इस पुराने तरीके से समस्या का समाधान कैसे कर सकती है। सरकार को विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये और एकाधिकारवाद को रोकना चाहिये। तभी इस क्षेत्र में प्रगति हो सकेगी।

1956 के उपरोक्त संकल्प में कहा गया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास सम्बन्धी असमानता है उसे देश के अर्थतंत्र के हित में धीरे-धीरे कम कर दिया जायेगा। परन्तु इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। पिछड़े हुए क्षेत्र अब भी पिछड़े हुए हैं। केरल ऐतिहासिक तथा अन्य कारणों से पिछड़ा हुआ है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में केरल की अवहेलना की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सारे देश के लिये 1,261 करोड़ रुपये की धन राशि में से केवल 71 करोड़ रुपये केरल के लिये नियत किये गये परन्तु वास्तव में 30 करोड़ रुपये ही लगाये गये है क्योंकि उद्योगों की कुछ केन्द्रीय योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो

सकी। हमारे विचार में सरकार जानबूझ कर इस प्रकार की नीति पर चल रही है जिससे वह कुछ प्रदेशों को पिछड़ा हुआ रख सके और जहां से उसे कच्चा माल और सस्ते मजदूर उपलब्ध हो सकें। यदि यह बात न हो तो केरल में औद्योगिक विस्तार के लिये जिन बातों की आवश्यकता है वे सभी वहां से पूरी हो सकती हैं।

मेरे विचार में हमारी जनता अपने अधिकारों के लिये लड़ना जानती है। राष्ट्रीय एकता की समस्या का समाधान इस प्रकार नहीं हो सकता। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह केरल जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये तत्काल कार्यवाही करे। तभी राष्ट्रीय एकता हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होगी और दो बजे पुनः समवेत होगी।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock,

(लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the clock)

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr Deputy Speaker *in the Chair* }

श्री जे० अहमद (धुबरी) : मैंने वर्ष 1967–68 की औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय की मांगों को पढ़ा है और मुझे यह देख कर दुःख हुआ है कि उनमें असम के लिये एक भी उद्योग को सम्मिलित नहीं किया गया। भारत के विभाजन के पश्चात पटसन पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। पटसन के सभी उद्योग कलकत्ता में स्थापित किये गये हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्ष के बाद पटसन उद्योग का हमारा व्यापार ठप्प हो गया है। मुझे आशा थी कि मंत्री महोदय जो असम के रहने वाले हैं वह असम में पटसन की एक मिल सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। समस्त भारत ने असम को छोड़ दिया है और इस क्षेत्र का भविष्य अन्धकारमय है। यदि भारत सरकार ने कुछ न किया तो यह निश्चित है कि असम भारत के हाथों से निकल जायेगा। सरकार शायद असम को चीन अथवा पाकिस्तान को देने का इरादा रखती है। असम की जनता का विश्वास इस सरकार पर से उठ रहा है। उनका किसी प्रकार से विकास नहीं हो रहा। वहां पर केवल एक ही उद्योग चाय का है और उसकी भी अवहेलना की जा रही है। असम में चाय बागान का प्रबन्ध भारतीयों के हाथ में भी है और के हाथ में भी है। असम के चाय बागानों की चाय कलकत्ता में बेची जाती है। यह देखा गया है कि विदेशियों द्वारा बेची जाने वाली चाय पर अधिक लाभ मिलता है और भारतीयों द्वारा बेची जाने वाली चाय पर कम लाभ प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि भारतीय व्यापारी किस्म के सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं देते। वे चाय के साथ चमड़े के

छोटे-छोटे टुकड़े आदि गंदी वस्तुएं मिला देते हैं। जब तक हम किस्म में सुधार नहीं करते तब तक हम अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर सकते और हमारी हानि होती रहेगी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जिन भारतीय संस्थाओं को लाभ नहीं हो रहा, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये, उन्हें सरकार द्वारा खरीद लिया जाना चाहिये।

यही स्थिति पटसन उद्योग की है। उद्योगों का विकास वहीं हो सकता है जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मुझे पता चला है कि असम की सरकार ने नौगांग में सहकारी आधार पर एक पटसन मिल लगाने पर विचार कर रही है परन्तु इस गोलपारा जिले में लगाया जाना चाहिये था जहां बढ़िया किस्म की पटसन पैदा होती है। शायद सारे असम से इस क्षेत्र में अधिक पटसन पैदा होती है। पटसन के उत्पादन के मामले में बंगाल के बाद असम का स्थान है। मेरा यह अनुरोध है कि गोलपारा जिले में कम से कम पटसन की एक मिल सरकारी क्षेत्र में लगाई जाये।

श्री तन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापत्तनम) : औद्योगिक विकास के बारे में सरकार ने जो नीति अपनाई है वह समझौते की नीति है। सरकारी क्षेत्र बनाम गैर-सरकारी क्षेत्र के विवाद पर पिछले 20 वर्षों से बहस की जाती रही है। कभी-कभी नीति के दो पहलू हुआ करते हैं। जब मतदाता का सामना करना होता है तो वह सरकारी क्षेत्र के विस्तार का समर्थन करती है। लेकिन व्यवहार में वह हमेशा गैर-सरकारी क्षेत्र की मदद करती रही है। गैर-सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की विचारधारा तैयार की गई है कि सरकारी क्षेत्र काम नहीं कर सकता और इस विचारधारा के पीछे उन लोगों का हाथ है जो सरकारी क्षेत्र के भार-साधक (इन्जार्च) हैं। सारे आर्थिक संकट का यही कारण है। तथाकथित मिली जुली अर्थ-व्यवस्था देश के लिये एक निरी बुराई सिद्ध हुई है और उससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। उद्योगपति अपने लाभ के लिये सरकार का लाभ उठाने में सफल रहे हैं और कमजोर राजनीतिज्ञों को उद्योगपतियों के चंगुल में पड़ने के लिये प्रोत्साहन मिला है। यही कारण है कि देश की सम्पत्ति कुछ ही व्यापारिक संस्थाओं के हाथ में केन्द्रित हो गई है। कम से कम अब चौथी योजना की अवधि में सरकार को यह अवश्य तय कर लेना चाहिये कि वह देश की जनता के पक्ष में है अथवा केवल कुछेक उद्योगपतियों के पक्ष में ही है।

कम्पनी कानून में भी हमेशा यह दो पहलू वाला उपबन्ध रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ जब कुछ माननीय मित्रों ने यह शिकायत की कि कम्पनी कानून बड़ा कड़ा है। इसके सिवाय कि बहुत से प्रपत्र भरने पड़ते हैं, अन्य कोई कड़ी बात इसमें नहीं है। मुख्य धारा उद्योगपति के विरुद्ध होती है परन्तु हमेशा उसके पक्ष में होता है। और परन्तुक ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में जब यह कम्पनी कानून तैयार किया जा रहा था तो उसमें अनेक ऐसे उपबन्ध रखे गये थे जिनसे सरकार न्यायालयों को शक्तियां देना चाहती थी। लेकिन उद्योगपति चाहते थे कि वे शक्तियां सरकार अपने हाथ में ले लें क्योंकि वे न्यायालयों पर प्रभाव नहीं डाल सकते जबकि सरकार से वे निपट सकते हैं। इसी मनोभावना से यह कम्पनी कानून तैयार किया गया। कम्पनी कानून का आशय उद्योगपति को सहायता करना है और वह उद्योगपति वही व्यक्ति होता है जो सरकार की मदद करता है। कांग्रेस ने 1957 के चुनावों के लिये विभिन्न कम्पनियों से लगभग 5 करोड़ रुपये इकट्ठे किये थे।

यह उद्योगपतियों का दोष नहीं है कि वे लाभ के लिये काम करते हैं। लेकिन यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि वह उनके हाथ में कठपुतली न बने। फिर भी नीतियां उन्हीं के इशारे पर बनती हैं। यही कारण है कि इन उपबन्धों के बावजूद कि धन तथा उत्पादन के साधन कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित नहीं होने दिये जायेंगे एकाधिकार को बढ़ावा मिला है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें अपनी नीतियां 50 करोड़ व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रख कर बनानी चाहिये तथा इन कुछेक उद्योगपतियों के फायदे को दृष्टि में रख कर नहीं।

योजना की रूपरेखा में हमेशा यह दिया हुआ होता है कि क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त किया जाना चाहिये। जहां कच्चे माल का होना प्राथमिक कारण न हो, उद्योगों की स्थापना इस प्रकार की जाये जिससे यह असंतुलन दूर हो सके। विशेषज्ञों की राय के आधार पर आंध्र प्रदेश में पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने का विचार किया गया था परन्तु 1966 में यह विचार छोड़ दिया गया। यदि सरकार लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहती है तो उसे अपनी इस नीति को बदल देना चाहिये।

श्री कार्तिक ओराओं (लोहारडगा) : उद्योग के क्षेत्र में भी धन की अपेक्षा चरित्रवान व्यक्ति का अधिक महत्व है। हमने लगभग सभी उद्योगों में इस गुण की अवहेलना की है। इन उद्योगों के लिये निदेशक बोर्ड बनाते समय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों को जिनकी व्यापारिक क्षमता तथा अनुशासन सरकार के मुख्य उद्देश्यों के अनुकूल नहीं है, नियुक्त नहीं किया जाये। चूंकि मंत्री महोदय को राष्ट्रपति की ओर से इन पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार है इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि उन्हें इन पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त करने चाहिये जो ये आवश्यकताएं पूरी करते हों :—(क) उन्हें सरकार की नीतियों में दृढ़ विश्वास हो, (ख) वे योग्य हों और उन्हें उन नीतियों को कार्यक्रमों में कार्यान्वित करने का अनुभव हो, (ग) वे चरित्रवान तथा ईमानदार हो, (घ) उनमें सेवा करने की भावना तथा फालतू समय में बोर्ड का काम देखने का उत्साह हो, (ङ) योजनाबद्ध विकास की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में संस्था के लिये भविष्य में आवश्यक वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता हो, और (च) उनमें हर एक के साथ मिलकर काम करने की योग्यता हो। उन्हें यह आभास करा दिया जाना चाहिये कि यह उन्हीं का उद्योग है।

लगभग सभी बड़ी परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में तथा विदेशी सहयोग के साथ चल रही है। यह विदेशी सहयोग जन, धन, मशीन तथा सामग्री के रूप में है। यह अच्छा लक्षण नहीं हैं। इसके विपरीत होना यह चाहिये कि हम अपने देश में ही मशीनों का निर्माण करके विदेशी मुद्रा बचाने के लिये अपने लोगों को प्रशिक्षित करें और ऐसी सामग्री के उत्पादन पर सबसे अधिक ध्यान केन्द्रित करें जिनके लिये हमें विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है।

यह कहा गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे 40 उपक्रमों में से 31 लाभ पर चल रहे हैं। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इन उपक्रमों के अतिरिक्त कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जिनका अभी निर्माण हो रहा है। उनका निर्माण कार्य उत्साह के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिये। हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन में बहुत गड़बड़ घोटाला है। सरकार को चुप नहीं बैठे रहना चाहिये और उस ओर ध्यान देना चाहिये।

Shri Y. S. Kushwah (Bhind) ; The Government has been following a wrong industrial policy for the last 20 years. Had this policy been formulated with the idea of giving every encouragement to agriculture-oriented industries, we would have not only solved the food problem but also benefited the farmers.

In the Bhind-Morena area of Madhya Pradesh water and electricity is now available from the Chambal river. In addition, raw material is also available there in sufficient quantity which can be used for develpoing some industries. The Government should take steps for setting up some industries in that area so that people can get employment. This will help the Government in takling the dacoit menace and also result in saving of money,

Adequate assistance has not been given to Madhya Pradesh for development of Industries in that State. Adequate financial assistance should be available to Madhya Pradesh keeping in view its area and population. A cooperative sugar factroy was sanctioned for Morena District. But due to lack of cooperation from the administration, this factory has not so far been started.

A cloth mill was sanctioned for Bhind and the licence for the same was also issued. If the Birlas are not interested in setting up this mill, some other party should be asked to take up this project.

Oilseeds are grown in abundance in Datia area of Madhya Pradesh, A big oil mill can be started there. The Central Government should given assistance for this purpose.

The present industrial licensing policy needs radical change so that delays in the grant of licences and the corruption involved therein may be eliminated.

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को तीन वर्गों में बांटा गया था। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनके भावी विकास के लिये केवल सरकार ही उत्तरदायी होगी। कुछ उद्योगों पर सरकार का अधिकार उत्तरोत्तर बढ़ता जायेगा लेकिन आशा की जाती है कि ऐसे उद्योगों में गैर-सरकारी उपक्रम सरकार के प्रयास की अनुपूर्ती करेंगे। शेष उद्योग आम तौर पर गैर-सरकारी क्षेत्र में रखे जाने हैं।

पिछली तीन योजनाओं में हमने सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक पूंजी लगाई। पहली योजना में सरकारी क्षेत्र में 60 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र में 348 करोड़ की पूंजी लगाई गई। दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में 770 करोड़ तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में 850 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई और तीसरी योजना के आंकड़े क्रमशः 1330 करोड़ तथा 1275 करोड़ रुपये हैं। इस सब का परिणाम यह हुआ कि इस समय सरकारी क्षेत्र में जो पूंजी लगी हुई है वह देश की कुल विनियोजित पूंजी के 56 अथवा 57 प्रतिशत के बराबर है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित नीति का पालन नहीं किया है।

जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है पहली योजना में केवल 42 करोड़ रुपये लगाए गये थे। दूसरी योजना में 265 करोड़ और तीसरी योजना में 425

करोड़ रुपये लगाये गये। चौथी योजना में लगभग 770 करोड़ रुपये लगाने का अनुमान है। इसी प्रकार मैं आंकड़े देख कर यह दिखा सकता हूं कि सहकारी क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर अधिक पूंजी लगाई गई है।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, पहली योजना में कोई उत्पादन नहीं हुआ। दूसरी योजना में 375.7 करोड़ रुपये तथा तीसरी योजना में 875.75 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ। चौथी योजना में 2435 करोड़ रुपये का उत्पादन होने की आशा है।

जहां तक कुछ एक लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने का प्रश्न है, सरकार लोक-सभा के चालू सत्र में इस आशय का एक विधेयक लाना चाहती है ताकि औद्योगिक नीति संकल्प को कार्यान्वित किया जा सके।

जहां तक विकास के स्तरों में विषमता कम करने का प्रश्न है यह एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में अलग अलग राय हो सकती है। प्रत्येक राज्य के लिये जो कुछ उचित है उसे वह प्राप्त हो और सभी क्षेत्रों का समुचित विकास हो जहां तक उत्पादन तथा विकास का सम्बन्ध है हमें सारे देश के हित को ध्यान में रखना होता है। बहुत से उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया गया है जहां उन्हें स्थापित करना उपयुक्त, अधिक किफायती तथा लाभदायक था

विदेशी सहयोग के बारे में हमारी नीति राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये बनाई गई हैं। यह जरूरी है कि विदेशी सहयोग प्राप्त करने वाले उपक्रमों का स्वामित्व तथा प्रभावकारी नियंत्रण मुख्य रूप से भारतीयों के हाथ में होना चाहिये। इस मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन केवल ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में नहीं हुआ है जिनमें तकनीकी क्षेत्र का मुख्य रूप से योगदान है, जिन में हमने बहुत कम प्रगति की है और काफी अतिरिक्त विकास जरूरी है, उदाहरण के तौर पर मशीनों का निर्माण या कार्बनिक रसायन उद्योग या ऐसी परियोजनाएं जिनके लिये काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इस प्रकार की परियोजनाओं में यदि विदेशियों को अधिकांश हिस्सेदारी न दी जाये तो हमें उनके लिये काफी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी पड़ेगी और दीर्घकालीन धन जुटाने का कोई आकर्षक तरीका व्यवहार्य नहीं है। केवल ऐसी परिस्थितियों में ही हमने विदेशी सहयोग को अनुमति दी है। लेकिन चूंकि हमारे देश में तकनीकी जानकारी का विकास हो रहा है इसलिये यह देखना हमारी नीति है कि देश में विकसित तकनीकी जानकारी को अन्य देशों में विकसित जानकारी की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाये।

आयात के बारे में हमने दृढ़ रूप से यह नीति अपनाई है कि ऐसे कल-पुर्जों के आयात की अनुमति न दी जाये जो देश में उपलब्ध हो सकते हैं। वास्तव में, आयात के लिये जो लाइसेंस दिये जा चुके हैं उन पर हम दोबारा विचार करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि क्या उनमें से कुछ मदों का निर्माण देश में किया जा सकता है जिनके लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं। यदि उनका निर्माण हमारे देश में हो सकता है तो हम उन चीजों का बाहर से आयात नहीं होने देंगे।

यह कहना ठीक नहीं है कि सभी उद्योगों में मन्दी है वास्तव में कुछ इंजीनियरी उद्योगों में उत्पादन एक सा रहा या बढ़ भी गया है। जिन उद्योगों में इस समय मन्दी है उनमें इस्पात की ढली वस्तुएं, ढांचा निर्माण, ढलवें लोहे के नल, रेलवे मालडिब्बा उद्योग, खनन और कोयला मशीनरी वाणिज्यिक गाड़ियां, निर्माण उपकरण और मशीनी औजार शामिल हैं।

जहां तक इस्पात ढलाई उद्योग का सम्बन्ध है, इस उद्योग के विकास को रेलवे रौलिंग-स्टाक, मोटरगाड़ी तथा दूसरी औद्योगिक मशीनरी से सम्बद्ध किया गया है। इस उद्योग को लाइसेंस-व्यवस्था से मुक्त रखा गया है।

अन्त में ढलाई उद्योग पर आता हूं। इन्जीनियरिंग उद्योग में मंदी होने के कारण ढलाई उद्योग में भी मंदी हो गया है। इन उद्योगों में मंदी की स्थिति पर काबू पाने के लिये कुछ कदम उठाने का विचार किया गया है। अब चूंकि देश में मांग कम हो गई है इसलिये बेकार पड़ी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि निर्यात उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर लोहा और इस्पात दिया जाये। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जहां पर हम माल को नकद नहीं बेच सकते हैं वहां पर ऋण दिया जाये। यह भी विचार किया जा रहा है कि देश में मांग को पुनः बढ़ाने के लिये ऋण सुविधाओं में सुधार किया जाये और आसान शर्तों पर किराया-खरीद व्यवस्था की जाये। मुझे आशा है कि इन मामलों के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किये जायेंगे। कुछ इंजीनियरिंग उद्योगों में बनने वाले सामान, जैसे रेलवे के माल डिब्बे, रेल की पटरी के उपयोग में आने वाले सामान, की पुनः मांग है। इसके लिये सरकार द्वारा क्रयादेश भेज दिये जाने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि हमें अपने देश की मांग को पूरा करने के लिये ही नहीं बल्कि निर्यात करने के लिये भी सामान बनाने के लिये विचार करना होगा। यहां पर दो प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न तो उस मूल्य के बारे में है जिस पर हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सके और दूसरा प्रश्न सामान की किस्म के बारे में है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने का सम्बन्ध है मुझे आशा है कि हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे, हम यथासम्भव सहायता देने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकें। जहां तक सामान की किस्म का सम्बन्ध है इस प्रश्न का सम्बन्ध उन लोगों से है जो इन उद्योगों का प्रबन्ध करते हैं। इसके लिये मैं उन सम्बन्धित लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वे सामान की किस्म सुधारने का प्रयास करें। केवल राजसहायता देने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिये सरकार को भी बहुत काम करना पड़ेगा। मैं भी इसके लिये एक काम कर रहा हूं। मैं अनुसंधान विभाग और औद्योगिक विभाग के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक समिति बना रहा हूं। इस समिति को बनाने का मेरा ध्येय यह है कि अनुसंधान-कार्य करने वाले लोग यह जान सके कि वे देश में विभिन्न उत्पादों की किस्मों को सुधारने में किस क्षेत्र में सहायक हो सकते हैं। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जब तक किस्म में सुधार नहीं होगा उस माल की मांग देश व विदेश में नहीं बढ़ेगी।

कारों की किस्म के बारे में भी प्रश्न उठाये गये थे। इस सम्बन्ध में मुझे भी प्रतिदिन औसतन 10-12 शिकायतें मिल जाती हैं। यह जानने के लिये कि खराबी कहां पर है और

उसे कैसे दूर किया जा सकता है मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं। उसके लिये मैंने समिति नियुक्त कर दी है।

यह भी प्रश्न उठाया गया था कि देश में छोटी कारें बननी चाहिये। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि हमारी वर्तमान कार "स्टैंडर्ड" से छोटी और कौनसी कार हो सकती है। मैं समझता हूं कि कम खर्चीली कार की मांग की जा रही है। इसके लिये मैं बहुत सी प्रश्नावलियां जारी कर चुका हूं और यह हिदायतें दी गई हैं कि तीन महीने की अवधि के अन्दर मुझे उत्तर मिल जाने चाहिये। उत्तर आने पर ही हम इस सम्बन्ध में निर्णय कर सकेंगे।

ट्रैक्टरों के निर्माण का भी उल्लेख किया गया है। जहां तक टैक्टरों के निर्माण का सम्बन्ध है कुछ दिन पहले मैं सभा को बता चुका हूं कि हम ट्रैक्टरों की वर्तमान मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश के ट्रैक्टर निर्माता छोटे ट्रैक्टर बनाने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसलिये हम सरकारी क्षेत्र में कम अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में चेकोस्लोवेकिया की एक फर्म के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि सरकारी क्षेत्र के कारखानें मुनाफे पर नहीं चल रहे हैं और यदि किसी कारखाने में मुनाफा हो भी रहा है तो वह बहुत कम हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक मेरे मंत्रालय के अधीन कारखानों का सम्बन्ध है। उनमें से अधिकांश कारखानों में मुनाफा हुआ है। 'दि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स', 'दि नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड' 'दि सांभर साल्ट्स लिमिटेड', तथा 'नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड' में काफी मुनाफा हुआ है। 'हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड' में नुक्सान हुआ है। इसलिये यह आरोप लगाना कि सभी सरकारी कारखानों में नुक्सान हो रहा गलत है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारखाने हैं जिनमें आंशिक रूप से निर्माण हो रहा है। "हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन' में अभी आंशिक रूप से निर्माण हो रहा है। ऐसे कारखानों के अच्छी तरह से स्थापित हो जाने पर और उनमें बनने वाले माल की मांग बढ़ने पर, जब वे मशीनों का निर्यात करने की स्थिति में पहुँच जायेंगे तब से उनकी स्थिति वर्तमान स्थिति से अच्छी हो सकेगी।

हम सबके लिये दूसरों की आलोचना करना आसान होता है परन्तु हमें सच्चाई को नहीं भूलना चाहिये। यह सही है कि हमें जितनी प्रगति करनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई है परन्तु गत 15--16 वर्षों में हमने जो कुछ भी प्रगति की है उसे नहीं भूलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut Motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of the Ministry of Industrial Development and Company affairs were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
56	औद्योगिक विकास विभाग	32,91,000
57	उद्योग	2,78,78.000
58	नमक	37,21,000
59	औद्योगिक विकास विभाग का अन्य राजस्व व्यय	37,48,000
98	कम्पनी कार्य–विभाग	16,15,000
99	कम्पनी–कार्य विभाग का अन्य राजस्व व्यय	32,11,000
125	औद्योगिक विकास और कम्पनी–कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	10,74,96,000

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

Ninth Report

Shri Hardyal Deogun (East Delhi) : Sir, I beg to move that this House agrees with the Ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th July, 1967."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नवें प्रतिवेदन से, जो 20 जुलाई, 1967 को सभा में उपस्थापित की गई थी सहमत हैं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The maotion was adopted

गंगा घाटी निगम विधेयक 1967

Ganga Valley Corporation Bill, 1967

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Sir, I beg to move : "That leave be granted to introduce a Bill to make arrangements for power generation, irrigational facilities and water drainage by harnessing the river ganga and its tributaries."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गंगा नदी तक इसकी उपनदियों का उपयोग करते हुए बिजली पैदा करने, सिंचाई की सुविधाओं तथा जल निस्सारण के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Maharaj Singh Bharati : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

CONSTITUTION (AMENDEMENT) Bill, 1967

(अनुच्छेद 93 का संशोधन)

(Amndment of Article 93)

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नाथपाई : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 93 का संशोधन)

(AMENDMENT OF ARTICLE 16)

Shri S. C. Jha (Madhubani) : Sir, I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री शिव चन्द्र झा : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 1967

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL 1967

(धारा 3, 6 आदि का संशोधन)

(Amendment of Section 3, 6 etc)

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) ; Sir, I beg to move.

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliment Act, 1954."

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I take objection to this Bill. I oppose it. I fail to understand how far it is justified to introduce such a Bill when our economic condition is such that this per capita incomeper day of 27 crores o f people is 3½ annas priv ously when our party was increased from Rs. 400 to Rs.500 and Daily Allowance from Rs. 21 to Rs. 31 there was a great criticism is the country.

Now Shri Barupal wants than daily allowance of M. Ps, should be increased from Rs. 31 to Rs. 50. because the present salary and allowance of the Members of Parliament are not enough to meet their daily requirements in view of the high prices. In this connection I want to submit that Government is not prepared to give dearness allowance even at the rate of Rs. 6 or 8 p. m. to Government employees and he wants to increase the daily allowance by Rs. 19 per day. I strongly oppose it.

I want that there should be voting on this Bill.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं सभा का बहुत समय नहीं लूंगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के विधेयक को पुरस्थापित करने के लिये यह उचित समय नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि अन्य देशों में विधायकों को बहुत सुविधायें प्राप्त हैं परन्तु उन देशों में सर्वसाधारण लोग भी धनी हैं।

आजकल हमारे देश में औद्योगिक मंदी नहीं चल रही है। हमारे वित्त मन्त्री को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह ऐसा समय है जबकि हमें सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में मितव्यता करनी चाहिये। यदि हम इस समय विधेयक को पुरस्थापित करने की अनु-

मति दे देंगे तो लोग हमें गलत समझने लग जायेंगे । इसलिये मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे वापिस ले लेंगे ।

Shri P. L. Barupl : If they want to serve a modelto ot her Members they may refused to accept already enhanced amount. Hence I intro duce the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 368 का संशोधन

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैंने यह संशोधन रखा है कि यह विधेयक दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये.... (अन्तर्बाधाएं)

Shri Sheo Narain : I move that the time for this Bill should be extended by two hours. It may be put to vote.

उपाध्यक्ष महोदय : समय दो घंटे तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री गोविन्द मेनन : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसे 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये ।

{ **श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा पीठासीन हुईं** / **Shrimati Lakshmikanthama *in the Chair*.** }

इस विधेयक का सम्बन्ध संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति तथा अधिकार से है । इस वर्ष 27 फरवरी तथा भारत में संसद तथा विधान मंडल ही नहीं बल्कि सभी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ही यह समझते थे कि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन का अधिकार निहित है । पिछले 17 वर्षों में हम समय समय पर संविधान में संशोधन करते रहे हैं । कुल मिला कर हमने 21 बार संशोधन किया है ।

यह गलत है कि संसद ने संशोधन करने की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है । जो सदस्य ऐसा कहते हैं, यदि वे 21 संशोधनों का प्राक्कलन करें तो मालूम होगा कि तीन को छोड़ कर शेष सभी संशोधन ऐसे मामलों से सम्बन्धित हैं जो कि अविवादास्पद हैं । तीन विवादास्पद संशोधनों का सम्बन्ध उस सम्पत्ति के अधिकार से है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया है । छिटपुट ब्योरे के अतिरिक्त अन्य मूलभूत अधिकारों के सम्बन्ध में इस सभा में कोई चर्चा नहीं हुई है । परन्तु जहां कहीं इन मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसके सम्बन्ध में न्यायालयों ने कहा है कि ये संशोधन उपर्युक्त हैं ।

संविधान में संशोधन द्वारा हम उसमें कोई अनुचित परिवर्तन नहीं कर रहे हैं । लोकसभा तथा देश के विधान मण्डलों का यह सुनिश्चित करना मूलभूत कर्तव्य है कि संविधान में जिन निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, उनके आधार पर विधि बनाई जाये । परन्तु जब हम निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने की चेष्टा करते हैं तो संविधान में संशोधन लगभग आवश्यक हो जाता है ।

इस डर का कोई कारण नहीं है कि यदि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देने की बात मान ली जाये तो संविधान में उल्लिखित सभी मूलभूत अधिकार छीन लिये जायेंगे । ब्रिटिश संसद को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं । वह कोई भी विधि पारित कर सकती है । उसकी विधान शक्ति की कोई सीमा अथवा किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं हैं । फिर भी हमने कभी ऐसा कोई मामला नहीं सुना है जिसमें ब्रिटिश संसद के उदाहरणार्थ कोई ऐसी विधि पारित की हो जिसके अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को अथवा बिल आफ राइट्स के अधिकार को छीन लिया गया हो । यह राजनैतिक विचारशीलता का विषय है । आपके पास शक्ति हो तो यह अनिवार्य नहीं है कि उसका प्रयोग किया जाये । हमारे देश में इससे पूर्व जो 21 संशोधन किये गये हैं, उनमें से किसी में भी संसद के अधिकारों में कमी की बात नहीं सोची गई है । अतः यह डर ठीक नहीं है कि अब तक हम जिस तरीके से काम करते रहे हैं अब उससे भिन्न रूप से काम करेंगे । यह कहने का बिल्कुल कोई आधार नहीं है कि लोगों के अधिकार कम करने के लिये संविधान में कई बार संशोधन किया गया है ।

कुछ लोगों ने यह विचार पैदा कर दिया है कि न्यायाधीशों ने कहा है कि संविधान का संशोधन करने के लिये संविधान सभा को बुलाया जा सकता है । परन्तु वास्तविकता यह है कि ग्यारह न्यायाधीशों में से केवल एक ने कहा है कि ऐसा सम्भव है कि किसी अन्य न्यायाधीश ने इस सिद्धान्त से सहमति प्रकट नहीं की है जैसा कि श्री नि चं० चटर्जी ने कहा है, यह समझ में नहीं आता कि किस प्रकार संसद अप्रत्यक्ष रूप से वह कार्य कर सकती है जिनको वह अप्रत्यक्ष रूप से कर सकती है कि अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को निर्देश करने के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि इसकी कुछ सीमायें हैं । उच्चतम न्यायालय यह कह सकता है कि वह कोई राय नहीं देगा । अतः वह तरीका ठीक नहीं है । हम जो इस विधेयक का समर्थन करते हैं यह समझते हैं कि ठीक कार्यवाही यह है कि अनुच्छेद 368 का स्पष्टीकरण किया जाये । संसद के पास संविधानिक शक्तियां हैं । संविधान सभा भी स्वयं संविधानी तथा विधायिकी शक्तियों का प्रयोग कर रही थी ।

अनुच्छेद 368 में कुछ उपबन्ध हैं तथा प्रक्रिया उल्लिखित है जिसके अन्तर्गत कार्य करने से हम संविधानी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अतः उसमें न केवल प्रक्रिया का समावेश है अपितु संविधान का संशोधन करने के लिये संसद में निहित शक्ति भी शामिल है। इस विधेयक द्वारा उस स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की गई है। यदि दूसरे स्पष्टीकरण भी आवश्यक हैं तो हमें उन विषय पर संयुक्त समिति के शान्त तथा पक्षपात रहित वातावरण में विचार-विमर्श करना चाहिये तथा एक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिये जिस पर आगे चल कर विचार किया जाये। मैं श्री रंगा से निवेदन करता हूं कि वह अपने दल का एक अथवा दो सदस्य संयुक्त समिति में भेजें ताकि हम चर्चा कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार करें।

Shri Ram Manohar Lohia : (Kannuaj) : If this Bill is passed into law, the Parliament shall have the power to amend any provision of the Constitution. The preamble to the Constitution will also be abrogated.

The Central Government has not done anything good so far. We all know what happened in Bastar, Kerala and other States. The Government will be empowered to change the very complexion of the countrys' present set up, if this Bill is passed. The Government have already wide powers under the article 352 to 360 of the Constitution. President's rule can be imposed in all the States, State Legislature can be dissolved. Even other democratic institutions in the country can be done away with. Thus the Central Government can also be done away with. I would, therefore, say that eminous consequences will follow on the passing of this Bill. It was through these enabling legislations that Hitler came to power.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **The Deputy Speaker** *in the chair* }

A provision to the effect should be included in the Constitution that no one can ever destroy our sovereign Republic. For the purpose it is necessary to convene a Constituent Assembly. The new Constituent Assembly should be formed on the basis of the adult franchise. In the end I would request the mover to withdraw the Bill.

श्री न० कु० साल्वे (बेतूल) : मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। मैं इस विधेयक को सिद्धान्त रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सभा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय कि इस आधार पर निन्दा की गई है क्योंकि इसके मूल अधिकारों के बारे में कानून का उल्लेख किया गया है कि उनका उल्लंघन कभी नहीं किया जा सकता और इसने मूल अधिकारों को लोगों पर सदा के लिए थोप दिया है, चाहे वे आम जनता के विरुद्ध ही क्यों न हों। मेरे विचार में सभा को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय में केवल इतना ही कहा गया है कि संविधान के भाग 3 में दिये गये मूल अधिकार स्थायी हैं और कि उनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत को कोई अधिकार तथा शक्ति नहीं है। विधि मन्त्री के लिए यह कहना उचित नहीं है कि केवल एक न्यायाधिपति श्री हिदायतुल्ला ने कहा कि संविधान सभा बुलाई जा सकती

है। अधिकांश न्यायधीशों ने यही सुझाव दिया है। अतः संविधान के अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता। विधि मन्त्री ने यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 13 (2) (ख) में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लिखित कानून का आगे पालन नहीं किया जाता और यह विधेयक पास होने के पश्चात संविधान का एक अंग बन जाता है, और यदि पुनः इसको उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो फिर क्या उपाय किये जायेंगे। इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या मूल अधिकारों संबंधी अनुच्छेदों में संशोधन करने का अधिकार संसद के विशेष बहुमत को प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नहीं। यह भी तर्क दिया जाता है कि यह एक प्रासंगिक विचार है। परन्तु मेरे विचार में यदि उच्चतम न्यायालय उसके समक्ष किसी सामयिक मामले से संबंधित कोई बात कहता है तो वह एक कानून बन जाता है। जहां तक व्याख्या का प्रश्न है यह इस सभा पर भी बाध्य हो जाता है।

संविधान निर्माताओं का आशय मूल अधिकारों को स्थायी बनाने का ही था ताकि अन्य अनुच्छेदों की तरह मूल अधिकारों संबंधी अनुच्छेदों में विशेष बहुमत से संशोधन न किया जा सके। अतः मैं विधेयक के प्रस्तावक तथा समर्थकों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनता की इच्छाओं के विरुद्ध देश में लोकतंत्र के आधार को नष्ट करने के लिए संसद विशेष बहुमत का प्रयोग न करे।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का समर्थन करता हूं।

यह समझना ठीक नहीं है कि वर्तमान संविधान के बनने से ही भारत में लोकतन्त्र की स्थापना हुई है। अतीत में भी भारत एक लोकतंत्रीय राज्य रहा है। पहले भी लोगों को मूल अधिकार प्राप्त थे। इसलिए यह समझना गलत है कि हमने कोई अद्भुत लोकतंत्रात्मक संविधान बनाया है। भारत के इतिहास को जानने वाले लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मूल अधिकारों में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि हम इस तर्क को स्वीकार कर लें कि यह सभा संविधान तथा मूल अधिकारों सम्बन्धी अनुच्छेदों में संशोधन नहीं कर सकती तो इस का अर्थ यह होगा कि केवल उच्चतम न्यायालय ही इसमें संशोधन कर सकता है अथवा इसकी व्याख्या अथवा इसको रद्द कर सकता है। यह एक अलोकत-लीप बात है।

हमारी संसद पूरी तरह से प्रभुता सम्पन्न है। यहां पर सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। परन्तु संविधान सभा तो ब्रिटिश सरकार की इच्छानुसार बनाई गई थी। इसमें भारत की जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। वर्तमान संसद जनता द्वारा एक निर्वाचित संसद है और इसलिए हमें संविधान से कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हैं। अतः हमें एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद की हैसियत से, संविधान तथा मूल अधिकारों संबंधी अनुच्छेदों में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। पुराने ढंग पर नई संविधान सभा को बुलाना उचित नहीं है।

यह भी कहा गया है कि यदि संशोधन के अधिकार दिये गये तो लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा। परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है क्योंकि यदि एक तानाशाही शक्ति संविधान में संशोधन करना चाहती है अथवा उसे उखाड़ फेंकना चाहती है तो वह इस प्रकार की शक्ति की मांग करने के लिए संसद के पास नहीं आयेगी।

यह विचार भी गलत है कि यदि हम इन मूल अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार में कुछ फेरबदल करते हैं तो वे समाप्त हो जायेंगे। कुछ अधिकार व्यवहारिक दृष्टि से भ्रममात्र ही हैं। संविधान का आधार लोकतन्त्रात्मक है परन्तु वह लोकतन्त्र को कार्यान्वित नहीं करता।

इस प्रस्ताव का विरोध उन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है जो देश में लोकतन्त्रीय समाजवाद का विकास नहीं चाहते। हम देश में समाजवादी लोकतन्त्र का विकास चाहते हैं और इसमें मूल अधिकार बाधक नहीं होने चाहिए। मूल अधिकारों में से कुछ अधिकार अमीर लोगों के ही पक्ष में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित किया गया समय समाप्त हो चुका है। यदि समय को और बढ़ाया जाता है तो फिर वाद-विवाद अगले दिन ही किया जा सकता है। इस बारे में मैं विधिमन्त्री के विचार जानना चाहूँगा।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : इस पर पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है। दूसरे इस पर प्रवर समिति में विस्तृत रूप से विवाद होगा। प्रवर समिति से वापिस आने पर सभा को क्या इस विधेयक पर वाद-विवाद का अवसर मिलेगा।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) अभी बहुत से सदस्य इस विषय पर अपने विचार सभा में समक्ष रखना चाहते हैं। अतः समय और दिया जाना चाहिए।

यदि ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक सरकार पुरःस्थापित करती तो कार्य-मंत्रणा समिति इस पर चर्चा के लिये तीन या चार दिन का समय नियत करती। यह प्रश्न केवल संविधान में संशोधन करने का ही नहीं, अपितु प्रश्न यह है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। अतः आपको इस के लिये कम से कम 2½ घण्टे का समय और बढ़ाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे यह विधेयक सरकारी है या गैर-सरकारी, सरकार ने इस के संबंध में विभिन्न मतों पर समुचित ढंग से विचार करने के लिये इसे संयुक्त समिति को सौंपने का निश्चय किया है।

संसदीय-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : क्योंकि इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने का विचार है, इसलिये समय बढ़ाना कुछ ठीक मालूम नहीं देता। फिर भी हम सभा में यह भावना नहीं पैदा करना चाहते कि इस विधेयक के लिये समय कम कर दिया गया है। इसलिये यदि आप इस विधेयक पर चर्चा के लिये दो घण्टे समय बढ़ाना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक पर चर्चा का समय 2 घण्टे और बढ़ा देते हैं, परन्तु इसके बाद और समय नहीं बढ़ाया जायेगा ।

श्री स० कुण्डू० (बालासौर) : यह कहा गया है कि यदि अनुच्छेद 368 में संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत में वही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जैसी उस समय थी जब हिटलर ने शासन सत्ता सम्भाली थी । वास्तव में यह बात नहीं है । हिटलर ने जब शासन सत्ता सम्भाली थी उस समय जर्मनी की सामाजिक पृष्ठभूमि आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों बिल्कुल भिन्न थी । इस संशोधन से वह स्थिति यहां कैसे उत्पन्न हो सकती है ?

वस्तुतः यह एक मूलभूत प्रश्न है, क्योंकि यह सारी स्थिति पहले संशोधन के पेश किये जाने के ही फलस्वरूप पैदा हुई है । पहला संशोधन सम्पत्ति के अधिकार के बारे में था । आज यदि हम सभी निदेशक सिद्धान्तों को एक एक करके संविधान में मिला देना चाहें तो संविधान में से सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी खण्ड को हटा देना चाहिये । ऐसा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम मूलभूत अधिकारों को बदल नहीं देते । यदि हम ये परिवर्तन नहीं करते तो देश में भारी उथलपुथल हो जायेगी । आजकल मूल्यों में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के मन में निराशा है । बैंकों का तथा बड़े व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । (**व्यवधान**) कानून कहता है कि किसी को सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा । (**व्यवधान**) कानून की यह व्याख्या की गई है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि की मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये । यदि हम यह संशोधन नहीं करते तो हमें काफी बड़ी मात्रा में क्षतिपूर्ति देनी होगी । परन्तु प्रश्न यह है कि क्षतिपूर्ति कहां से दी जायेगी और यदि राष्ट्रीयकरण नहीं करते तो देश में उथलपुथल होगी और लोकतन्त्रीय ढांचा उखड़ जायेगा ।

इस निर्णय में संविधान सभा को बुलाने के लिये कहा गया है । यह कहना ठीक नहीं है कि यदि हम मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो संविधान सभा बुलाई जाये । संविधान के निर्माताओं ने किसी रूप में संविधान सभा का विचार करके ही दो-तिहाई बहुमत का उपबन्ध किया था । दो तिहाई बहुमत की स्थिति भी संविधान सभा जैसी ही है । इस सभा में निर्वाचित सदस्य जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं । यदि दो–तिहाई बहुमत कोई निर्णय लेता है तो वह उचित ही होगा । यह एक प्रकार की संविधान सभा भी होगी और संविधान में उपबन्धित मूलभूत अधिकारों को परिवर्तित करने के लिये यह सक्षम होगी ।

यह आवश्यक नहीं कि यदि एक न्यायाधीश ने संविधान सभा बुलाने के लिये कहा है तो संविधान सभा अवश्य बुलाई जाये । न्यायाधीशों ने कहा है कि अविशिष्ट शक्तियों के अधीन एक संविधान सभा बुलाई जानी चाहिये । परन्तु मेरा कहना यह है कि अविशिष्ट शक्ति भी अपने आप में एक विधायिनी शक्ति है । इस शक्ति का संविधान के अन्तर्गत दी गई शक्ति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यह कहना एक काल्पनी कल्पना है कि अवशिष्ट शक्ति के अन्तर्गत संविधान सभा के रूप में प्रभुत्व सम्पन्न संस्था बड़ी सभा बुलाई जा सकती है

जीवनयापन के लिये सभी को समान साधन उपलब्ध कराने के लिये उत्पादन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाना आवश्यक है। यदि हम ऐसा करना चाहें तो हमें मूलभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन करना होगा। परन्तु निर्णय में कहा गया है कि संसद को मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण किये बिना निदेशक सिद्धान्तों को लागू करना चाहिये। यह बात ठीक है परन्तु इस तर्क का आधार क्या है ? यदि प्रगतिशील परिवर्तन के लिये कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून तानाशाही कानून नहीं बन जाता। मैं भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का आदर करता हूँ परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे न्यायाधीश प्रगतिशील कानून को तानाशाही कानून समझते हैं और हमारा इस बात से मतभेद है। इस बात का भय बताया गया है कि यदि यह संशोधन किया गया तो इससे शासक दल या सरकार के पास बहुत शक्ति हो जायेगी और वह तानाशाही बन जायेगी। परन्तु मेरा विचार यह है कि जैसा विधेयक में लिखा है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो जाने पर ही हम संविधान के लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक स्वरूप का सम्मान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मेरा जनता पर विश्वास है। वे तानाशाही प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देगी। वास्तव में यह भय कुछ ऐसे निहित स्वार्थ वाले लोगों को हो सकता है जो यह समझते हैं कि इस संशोधन से कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिसके अधीन उन लोगों को सम्पत्ति से वंचित किया जा सकता हो।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : हम यह जानते हैं कि मूलभूत अधिकार संविधान के भाग 3 में दिये हुए हैं। हालांकि वे हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं हैं, फिर भी उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। सामान्य दृष्टि से यदि देखा जाये तो यह पता चलता है कि सम्पत्ति के अधिकार पर काफी बल दिया गया है। हमारे समाज की वर्तमान स्थिति में क्या यह सत्य नहीं है कि जिन लोगों के पास कुछ सम्पत्ति है वही लोग भाग 3 में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों का विशेष लाभ उठाते हैं ? इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य आगामी अवसर पर अपना भाषण जारी रख सकेंगे। अब आधे घण्टे की चर्चा होगी।

दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के बारे में पांडे समिति का प्रतिवेदन *

Pande Committee Report on Durgapur Steel Plant * *

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Steel Ministry's demands are not likely to be discussed because tomorrow guillotive is being applied. First of all I have to point out that very costly stationery is used. You can see the high quality paper has been used in this Annual Report. The Pande Committee and Public undertaking Committee have sunmitted Reports on Durgapur Steel Plants. They have pointed out many draw-backs in the working of this plant. This annual Report of the Plant does not mention anything about those Reports but a great deal of self praise has been made. In 11th and 12th Reports the blame has been laid at the door relationship between labour and management. It is said that production has gone down because of strike of workers. Sir, I do not agree with this contention.

आधे घंटे की चर्चा

Half an hour discussion

The hon. Minister should issue a direction to the Management that in future all the Public Undertakings under his Ministry will submit correct picture of the working of of those undertakings. The Reports should give an indications of the steps being taken to improve the conditions and remove the defects. The trade unions in these Undertaking were not working smoothly. Government should encourage the formation of strong trade Unions. It will help in maintaining cordial labour management relations.

This will result in boosting production. I would like the hon. Minister to tell us whether action taken report has been sent by his Ministry or not.

Pande Committee has thrown light on about 10 or 11 matters. I will refer only a few of them. It is reported that this plant suffered a loss of Rs. 3.21 lakhs in 1965-66 and in 1966-67 the loss was to the tune of Rs. 13 crores. It is further said that production is decreasing and the loss will increase. This Committee like the public Undertakings Committee has emphasised the improtance of maintenance.

Government have removed the General Manager and action is contemplated against two Superintendents. I am surprised to learn that courts have been moved in this regard. I am glad that Government have accepted all the recommendation of Pande Committee. Now I want to know whether Government will inform the House about the implementation of this Report to this House after every two months ? Government should pay proper attention to the recommendations of public Undertakings Committee and take action in the matter.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : दुर्गापुर इस्पात संयंन्त्र के सभी विभागों में कार्य में बहुत गड़बड़ है। उत्पादन कम हो रहा है, वित्तीय स्थिति उत्तोरोत्तर खराब होती जा रही है। इस का पता इस तथ्य से चलता है कि घाटा प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इस संयन्त्र में सुधार करने के लिये सरकार को पांच वर्षो के लिये एक योजना बनानी होगी और दुर्गापुर की खामियों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाना चाहिये। सरकार को यह कार्य करने के लिये एक समिति का गठन करना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Cupta (Delhi-Sadar) : I would like the hon. Minister to assure the House that the recommendations of the Pande Committee would be implemented on a phased programme and by that way the condition would be improved. A quarterly report should be submitted to this House The officers of the project should also be transferred.

Shri George Fernandes : The pande Committee has pointed out defects in the working of Durgapur Steel Plant, I think such defects are there in the woking of other Plants also. The managements be have in a very irresponsible manner. It is only when things take very serious turn, as has happened in this case, tnat a Committee is appointed. I support the demand that a quarterly report should be submitted to this House. I would like to know from the Hon. Minister whether he would agree to to appoint a standing committee of Members of Parliament to look after the working of Public Undertakings.

Shri Randhir Singh(Rohtak) : I want to know whether there is any conspiracy behind these huge losses in the Public Undertakings If it is so, it is very serious matter. Government should appoint a high powered Committee to investigate the reasons of heavy losses in public undertakings. Action should be taken to remove the loopholes so that there are no losses.

Government should encourage healthy trade union system in these undertakings. The Labour should be given incentive.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Pande Committee has pointed out many defects in Durgapur plant. I want to know from the hon. Minister what steps he is contemplating to check this.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बी० सी० राय ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था कि राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों को दुर्गापुर में नियुक्त किया जाये ताकि मजदूरों की गड़बड़ी को ठीक ढंग से रोका जा सके। मैं समझाता हूं कि अधिकारियों को बदलने से स्थिति बहुत बिगड़ी है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या सरकार ने पांडे समिति की सुधार करने सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, पाण्डे समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न श्री मधु लिमये ने वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में उठाया था। उनका यह कहना सही है कि वार्षिक प्रतिवेदन पर सामान्य रूप से चर्चा करने की बजाय समस्याओं का अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाना चाहिये और जिन त्रुटियों का पता लगे उन्हें भी उस प्रतिवेदन में बताया जाना चाहिये तथा प्रबन्धकों को बताना चाहिए कि वे उन त्रुटियों को किस तरह से दूर करने जा रहे हैं। मैं उनके इस सुझाव पर विचार करूंगा।

जहां तक मजदूर संघों का सम्बन्ध हैं मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि उनके सम्बन्ध में काफी कठिनाई होती है। जब पेचीदा दावे किए जाते हैं तो यह कठिनाई और भी अधिक कठिन हो जाती है। इसके लिये मैं किसी विशेष मजदूर संघ या किसी विशेष व्यक्ति पर दोष नहीं लगाता हूं। मैं इस बारे में अखिल भारतीय स्तर के मजदूर नेताओं के साथ बातचीत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। ताकि हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकें जिससे विशेषकर सरकारी क्षेत्र में इस समस्या का समाधान किया जा सके।

प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कल्याण कार्य पर प्रति कर्मचारी पर 600 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से खर्च किया जाता है जो कि कम वेतन वाले कर्मचारियों को दी जानी वाली मजूरी का 25 प्रतिशत होता है। केवल यही नहीं। यह भी बताया गया है कि कर्मचारी जानबूझ कर अनुपस्थित होते हैं। 1963-64 में उनकी अनुपस्थिति की प्रतिशतता 12 प्रतिशत थी जो 1964-65 में 13 प्रतिशत हो गई थी और 1966-67 में 15.25 प्रतिशत। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी योजना बनाकर अनुपस्थित होते हैं ताकि उनका कार्योपरि भत्ता बन सके।

बहुत से सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया था कि हमने पांडे समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने की है। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने इस बारे में जो कुछ भी हम कर सकते थे किया है। जब यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तो हमने बिना

संकोच के जो सिफारिशें हम स्वीकार कर सकते थे, की। जो सिफारिशें हम स्वीकार नहीं कर सकते थे उसके लिये हमने सभा को बता दिया था कि किस वजह से हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सके हैं। यह देखने के लिए कि आवश्यक सुधार हो रहा है सरकार इन सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिए किए गए काम का समय समय पर पुनरीक्षण करेगी। प्रश्न केवल यह है कि क्या इन आंकड़ों को समय समय पर सभा पटल पर रखना व्यवहार्य होगा। मैं इस पहलू पर विचार करूंगा तथा जिस तरह से भी सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति को सभा पटल पर रखना सम्भव हुआ मैं वैसा करूंगा।

बजट के सम्बन्ध में भी सुझाव दिया गया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एच० एस० एल० से प्रत्येक कारखाने के उत्पादन, किस्म और लागत के लक्ष्य निर्धारित करने के लिये कहा गया है। एक विस्तृत योजना बनाई गई है। और हम यह देखने के लिये तीन महीने के बाद पुनर्विचार किया करेंगे कि स्थिति खराब होने से पहले क्या जैसे दुर्गापुर के मामले में हो गई थी हम क्या विरोधात्मक उपाय कर सकते हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि हम इन उत्पादन लक्ष्यों आदि की जांच किया करेंगे।

समय समय पर इस सभा में चिन्ता व्यक्त की गई है कि जब कुछ व्यक्ति अपराधी पाये जाते हैं तो उन पर आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है। जब दो अथवा तीन जून को इस प्रश्न पर चर्चा हो रही थी तो कुछ सदस्यों ने पूछा था कि हमने क्या कार्यवाही की है। उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं। उनमें से दो नौकरी छोड़कर चले गये हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में भी यदि कोई ऐसी बात हुई तो हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने सुझाव दिया था कि संसत्सदस्यों की एक विशेष स्थायी समिति बनाई जानी चाहिये। मुझे यह पता नहीं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के होते हुए जो इस चीजों की देखभाल करती है, कोई और समिति बनाई जा सकती है अथवा नहीं। इसलिये यदि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति कोई सुझाव देती है और यह सभा महसूस करती है कि ऐसी समिति बनाई जानी चाहिये तो मैं इसका स्वागत करूंगा।

कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये थे। श्री चटर्जी ने सुझाव दिया था कि अधिकारियों को एक स्थान पर अधिक समय तक रखा जाना चाहिये। उन्होंने कहा था कि यदि मुख्य प्रबन्धक की कालावधि बढ़ाई जाये तो श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्धों में सुधार हो सकता है। हम इस सुझाव को कार्य रूप दे रहे हैं। वर्तमान मुख्य प्रबन्धक गत 2½ वर्षों से लगातार काम कर रहा है। दूसरे वह उसी राज्य का रहने वाला है जिसमें यह कारखाना है। इसलिये हमें आशा की जाती है कि दोनों के बीच सम्बन्धों में सुधार होगा।

श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा ने सुझाव दिया था कि जो कुछ भिलाई अथवा कुछ अन्य कारखानों पर हो रहा है उसे दुर्गापुर इस्पात कारखाने में भी अजमाया जाना चाहिये। हमने

इस बात को ध्यान में रखा है और हम चाहते हैं कि एक कारखाने में जो अच्छा अनुभव हुआ हो उसे उसी तरह से दूसरे कारखानों में भी लागू किया जाये। हमारा वही उद्देश्य रहेगा।

मैं यह स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि जहां तक हमारे उत्पादों की किस्म का सवाल है उसकी ख्याती खराब नहीं है। किस्म के बारे में हमें कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। यदि किसी सदस्य के पास ऐसी कोई जानकारी है तो मैं उस पर आवश्यक कार्यवाही करने को तैयार हूं।

इसके पश्चात लोक सभा शनिवार, 22 जुलाई, 1967 आषाढ़ 31, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, July 22, 1967 Asadha 31,1889 (Saka).

— —